प्रभात

अंदर के पन्नों में...
★ विधान सभा चुनावों का बहिष्कार 5
★ अत्याचारों का असली समाधान 9
★ खाद्य सुरक्षा कानून की असलियत 15
★ सैद्धांतिक लेख –कॉ.माओ 18
★ जेलों में महिला बंदीयों का संघर्ष 21
★ कामरेड़ गणपति का संदेश 23
★ रिपोर्ताज 26
★ कॉ. आकुला भूमय्या को जोहार 35

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष-25 अंक-3& 4 जुलाई-दिसंबर 2013 सहयोग राशि-15 रुपए

आदर्श कम्युनिस्ट एवं साहित्यिक योद्धा कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव अमर रहे।

जून 20, 2013 को गंभीर अस्वस्थता के चलते 84 साल की उम्र में कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव का गुण्टूर में निधन हो गया है। वे ख्यात प्राप्त अनुवादक एवं लेखक थे। उससे भी ज्यादा वे भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मुखपत्र प्रभात के संस्थापक संपादक मंडल के सदस्य थे। भारत की नवजनवादी क्रांति का सपना संजोये, उसे साकार करने के लिए दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष को एक मात्र रास्ते के रूप में मानकर उस रास्ते में स्वयं चलकर व अपनी कलम की भी कवायद कराने वाले साहित्यिक योद्धा कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव को 'प्रभात' विनम्र जोहार पेश करता है। उनकी जीवन संगिनी कॉमरेड् ललिता, अन्य परिजनों एवं उनके मित्रों, रिश्तेदारों को गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करता है एवं उनके दुख में शामिल होता है।

तेलुगु समाज के लिए वे चिर परिचित थे। साहित्यिक दुनिया में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। अनुवादक के रूप में प्रारंभ उनके साहित्यिक सफर ने उन्हें कहानीकार, उपन्यासकार एवं आखिर में पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में रूपांतरित किया।

राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं को वे बहुत पसंद करते थे और काफी हद तक उन रचनाओं का उन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया था। राहुल जी की विस्मृतयात्री, दर्शन–दिग्दर्शन, दिबोदास, जययौधेय, वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद; प्रेमचंद की रंगभूमि, गबन, नोरा; किशन चंदर की वायुगुण्डम, पराजयम् एवं यशपाल की सिंहावलोकन आदि रचनाओं का कॉमरेड् भुजंगराव ने तेलुगु में अनुवाद किया था।

रागो, वह, जमीन बंधन मुक्ति के लिए, कोयले की परतों में, दण्कारण्य के अमर शहीदों की जीवनियां आदि किताबें व उपन्यास कॉमरेड् भुजंगराव की ही देन हैं। मूल तेलुगु से उन्होंने इनका अनुवाद किया था। उनके द्वारा अनूदित कोई भी रचना अनुवाद नहीं लगती है। मूल रचना से भी उनके अनुवाद के अच्छे होने की प्रशंसा वे पा चुके थे।

अनुवाद ही नहीं, उन्होंने कोण्डावागू, प्रजलु अजेयुलु (जनता अजेय हैं), नैना, दिक्कुमोक्कुलेनि जनम (भूले–बिसरे लोग) आदि उपन्यास एवं गम्यम दिशगा गमनम् (मंजिल की दिशा में सफर) के नाम पर अपनी आत्मकथा लिखी। साहित्य बाटासारी (साहित्यिक राहगीर) के नाम

विशेष सूचना : चूंकि प्रभात का यह अंक काफी देर से प्रकाशित हो रहा है इसलिए पिछले अंक के प्रकाशन के समय से लेकर अब तक शहीद हुए तमाम साथियों की जीवनियों को इस अंक में प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। खासकर पत्रिका की साइज को ध्यान में रखकर। शहीदों की जीवनियों को प्रभात के परिशिष्ट के रूप में अलग से प्रकाशित किया गया है।

–संपादक मंडल

पर उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले शारदा (नटराजन) की जीवनी लिखी। 20 से अधिक कहानियां लिखी। अरण्य पर्वम् के नाम पर उनका कहानी संकलन प्रकाशित हुआ है। पारदर्शी, पेद्दन्ना, चक्रधर, जनार्दन आदि नामों से उन्होंने रचनाएं की।

1970–80 के जमाने में तत्कालीन इंटरमीडियेट तेलुगु वचन विभाग में कॉमरेड् भुजंगराव की कृति 'दाशराज्ञा युद्ध' पाठ्यांश के रूप में पढ़ी जाती थी। अनुवादक व लेखक के रूप में उन्होंने विशेष योगदान दिया। सहज ही उन्होंने व्यापक स्तर पर साहित्यक अध्ययन किया था। वेदों से लेकर विश्वनाथ सत्यनारायण की रचनाओं तक उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। राहुल जी सहित प्रेमचंद की रचनाओं को वे काफी पसंद करते थे। वेमना शतकम् व श्री श्री की कविताओं को बहुत पसंद करते थे। वेमना शतकम् उन्हें पूरा याद था। गोर्की, टॉलस्टय की रचनाओं को भी पसंद करते थे। गोर्की के बारे में वे अपने बच्चों को ज्यादा बताते थे।

साहित्यिक क्षेत्र में विशेष सेवा करने वाले कॉमरेड् भुजंगराव की जिंदगी परोसी गयी थाली नहीं थी। स्वयं के प्रयास, दृढ़संकल्प, लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता, प्रतिकूलताओं व कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनकी जिंदगी हर एक के लिए मूल्यवान सीख जैसी है। इसीलिए उन्होंने अपनी जीवनी को गमनागमनम्, गम्यम दिशगा गमनम के नाम पर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर गये। आइये, उनकी शहादत के मौके पर उनके जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं।

अन्ध्रप्रदेश के गुण्टूर जिले के पोन्नूर के पास स्थित कोंडामुदि गांव में 1928 में कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव का जन्म हुआ था। सीतारामम्मा, वेंकटप्पय्या दंपत्ति की आखिरी संतान कॉमरेड् भुजंगराव के दो भाई एवं एक बहन थी। जब वे दूसरी कक्षा में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद उनके करीबी रिश्तेदारों ने गलत हिसाब बताकर कर्ज की एवज में उनकी 12 एकड़ जमीन हथिया ली थी। अभिमानवति मां उस गांव में नहीं रह सकी और अपने बच्चों को लेकर आजीविका की तलाश में तेनालि शहर पहुंच गयी। तब से कॉमरेड् भुजंगराव की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजरा था।

तेनालि में कॉमरेड् भुजंगराव की जिंदगी एक हॉटल में बाल मजदूर के रूप में शुरू हुई। उनके दो बड़े भाई छोटे–मोटे काम करते हुए घर चलाने में हाथ बंटाते थे। भुजंगराव के दूसरे नंबर के भाई प्रकाशम् तत्कालीन अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन 20 साल की कम अम्र में ही दुर्घटनावश उनकी मौत हुई थी। फिर भी भुजंगराव पर उनका अमिट छाप था जो आजीवन उन्हें प्रभावित करता रहा। कॉमरेड् भुजंगराव अपनी मां से असीम प्यार करते थे। भुजंगराव पर उनकी मां का भी जबर्दस्त प्रभाव रहा। विभिन्न मौकों पर वे कहा करते थे कि साहित्यिक अध्ययन की विरासत उन्हें मां से मिली।

भुजंगराव जिस हॉटल में काम करते थे, उस हॉटल मालिक की बेटी को हिन्दी पढ़ाने एक गुरूजी नियमित रूप से आते थे। हॉटल मालिक की बेटी के साथ भुजंगराव की दोस्ती के चलते वह भुजंगराव को अपने सीखे हुए पाठ्यांश पढ़ाती थी। अपने नोट्स देती थी। जेब खर्च (बीडी वगैराह) के लिए हॉटल मालिक भुजंगराव को एकाणा(छह पैसे), दोआणा देते थे। उन पैसों से भुजंगराव कोरा कागज खरीद कर लिखने में इस्तेमाल करते थे। पिता की मौत से जो पढ़ाई रूकी थी उसे उन्होंने इस तरह दोबारा जारी रखा था।

उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी हॉटल मजदूरों के बीच में काम करती थी। आन्ध्रा पेरिस के नाम से जाना जाने वाला तेनालि एक साहित्यिक केंद्र भी था। इस वजह से कॉमरेड् भुजंगराव एक तरफ कम्यूनिस्ट पार्टी एवं दूसरी तरफ प्रगतिशील साहित्य के संपर्क में आ गये थे। मुख्य रूप से अपने भाई के प्रभाव से कम्यूनिस्ट पार्टी व शारदा (नटराजन) के प्रभाव से साहित्य के करीबी बन गये थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के तौर पर कॉमरेड् भुजंगराव पर उनके भाई का जितना मजबूत असर था, साहित्यिक तौर पर शारदा का उतना ही मजबूत असर था।

बाद में भुजंगराव ने स्वयं की कोशिश से हिन्दी पर अच्छी पकड़ हासिल की थी। हिन्दी की परीक्षाएं भी लिखी। उस समय में उत्तर भारत से आये एक कम्युनिस्ट नेता ने तेनालि में हिन्दी में भाषण दिया था। कॉमरेड् भुजंगराव ने उक्त भाषण का तेलुगु अनुवाद किया था। हालांकि एक अनुवादक के रूप में वह उनका पहला अनुभव था, लेकिन उससे उन्हें अच्छा नाम मिला। तब उनकी उम्र 15–16 साल थी। तब से वे लगभग पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गये थे। अनुवादक व कार्यकर्ता के रूप में वे कई इलाकों में जाते थे। उस तरह उन्होंने हॉटल कार्य को छोड़ दिया।

बाद में जब कम्यूनिस्ट पार्टी संशोधनवादी पार्टी में तब्दील होकर चुनावी दलदल में फंस गयी थी, तब कॉमरेड् भुजंगराव जैसे कई कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए अपने जीवन समर्पित कर चुके थे, दिशाहीन हो गये थे। कॉमरेड् भुजंगराव को फिर से आजीविका की तलाश करनी पड़ी। तब तक वे हिन्दी भाषा में अच्छी कुशलता हासिल कर चुके थे। उन्होंने दो तीन धनी परिवारों के बच्चों को उनके घरों में जाकर हिन्दी के पाठ पढ़ाना शुरू किया था। कुछ दिनों में उन्हें करनूल में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल गयी थी। उससे आर्थिक तौर पर उनके जीवन में कुछ स्थिरता आ गयी थी। उसी समय उन्होंने अनुवाद को

अपना शौकिया पेशा चुना।

कॉमरेड् भुजंगराव की सत्यवति के साथ पहली शादी हुई थी। एक संतान को जन्म देने के बाद उनकी मौत हुई थी। कुछ साल बाद उसी मोहल्ले में रहने वाली कॉमरेड् ललिता के साथ उनकी शादी हुई। कॉमरेड् ललिता एक मध्य वर्गीय शिक्षक की पुत्री और पढ़ी लिखी है। साहित्य में रुचि रखती है। इसी के चलते साहित्यकार भुजंगराव के प्रति उनका लगाव बढ़ गया था। चूंकि कॉमरेड् भुजंगराव गरीब थे और एक बच्चे के बाप थे, इसलिए कॉमरेड् ललिता के मां–बाप को उनकी शादी पर आपत्ति थी। लेकिन कॉमरेड् ललिता इसे दरकिनार करके कॉमरेड् भुजंगराव के जिंदगी में कदम रखी। उसके बाद जिंदगी की हर मोड़ पर वे कॉमरेड् भुजंगराव का सहारा बनी। पहली संतान के अलावा इस दंपत्ति की छः संतानें हुई। इनमें से दो बेटों की मौत हुई। अभी तीन बेटियां एवं एक बेटा है।

शुरू से ही इस दंपत्ति ने अपने बच्चों की जनवादी माहौल में परवरिश की। अपनी आर्थिक स्थिति से बच्चों को साफ–साफ अवगत कराते थे ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पहचान कर व्यवहार कर सके।

करनूल के बाद कॉमरेड् भुजंगराव ने कृष्णा जिले के उय्यूर की मिशनरी स्कूल में काम किया था। उस समय प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन बराबर नहीं दिया जाता था। कॉमरेड् भुजंगराव ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठायी। प्रबंधन के खिलाफ वे हमेशा संघर्ष करते थे। प्रबंधन की प्रताड़ना के बावजूद वे राजी नहीं हुए। यह कहते हुए कि आत्म सम्मान को खत्म करके गुलाम जैसा काम नहीं कर सकता, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया। ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले कॉमरेड् भुजंगराव का साथी कर्मचारी इज्जत करते थे। उन्होंने यह कहते हुए कि इस्तीफा देने से आजीविका की समस्या उत्पन्न होगी, कॉमरेड् भुजंगराव को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे समझौता नहीं किये। जिलाधीश भी कॉमरेड् भुजंगराव का सम्मान करते थे। आखिर में जिलाधीश ने मामले में हस्तक्षेप किया और कॉमरेड् भुजंगराव का गुडिवाडा में तबादला किया।

बाल मजदूर के रूप में काम कर चुके भुजंगराव हमेशा श्रम का आदर करते थे। उय्यूर में नौकरी के दौरान सही समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के चलते परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया था। उस समय कॉमरेड् भुजंगराव की पत्नी एवं बच्चे गोबर से उपले बनाकर उसी स्कूल के सामने बेचते थे जहां वे शिक्षक थे। इसे वे आत्म सम्मान की भावना से देखते थे न कि नीचा व हल्का।

ब्राह्मण परिवार में जन्मे भुजंगराव जाति प्रथा से नफरत करते थे। उन्होंने पूरी सावधानी बरतकर अपने बच्चों पर जाति व धर्म के भेदभाव का असर नहीं पड़ने दिया। एक बार स्कूल में अपनी बेटी की जाति पूछने पर एक शिक्षिका के साथ कॉमरेड् भुजंगराव की कहा–सुनी हो गयी थी।

शिक्षा नीति के प्रति भी कॉमरेड् भुजंगराव की ठोस धारणाएं थीं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का वे कड़ा विरोध करते थे। परीक्षाओं में बच्चों को अनुत्तीर्ण करना उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए वे मुल्यांकन जब भी करते तो किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं करते थे।

साहित्यिक कृषि के तहत कॉमरेड् भुजंगराव ने गुडिवाडा में साहिती निकेतन की स्थापना की थी। उनका घर हर समय साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा के मंच के रूप में रहता था। साहित्यिक व राजनीतिक चर्चाएं होती थीं। साथियों का आना–जाना लगा रहता था। शिक्षक की हैसियत से वे तरिमेला नागिरेड्डी ग्रूप से संबद्ध शिक्षक संगठन में शामिल हुए थे। उस तरह वे उस पार्टी के संपर्क में गये थे। उस पार्टी की गतिविधियों में शामिल होते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कक्षाएं पढ़ाते थे। राज्य के विभिन्न इलाकों में जाकर राजनीतिक अध्ययन कक्षाओं में गुरूजी का काम करते थे। लेकिन वे ज्यादा समय तक उक्त राजनीति में टिक नहीं सके। उस राजनीति का अनुमोदन नहीं कर सकते थे। विभिन्न बैठकों व चर्चाओं में वे कॉमरेड् चारु मजुमदार की लाइन को ऊंचा उठाये रखते थे। उसके पक्ष में मजबूती से बहस करते थे। रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) को बहुत चाहते थे। तरिमेला ग्रूप से संबद्ध जनवादी छात्र संगठन (डीएसओ) के कार्यकर्ताओं को आरएसयू जैसा काम करने का सुझाव देते थे। डीएसओ में शामिल अपने पुत्र को आरएसयू में शामिल होने कहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को तरिमेला ग्रूप की राजनीति से अलग कर लिया था।

सिंहावलोकन का तेलुगु में अनुवाद करने के बाद कॉमरेड् भुजंगराव आरएसयू के काफी करीबी हो गये थे। आरएसयू की ओर से भगतसिंह के शहदत दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं में उन्हें वक्ता के रूप में आमंत्रित करते थे। बाद में तत्कालीन भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) की आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के निर्णय के मुताबिक राज्य कमेटी की ओर से कॉमरेड् भुजंगराव के साथ वार्ता हुई। उसके बाद वे भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के कार्यकर्ता बन गये थे। वे ही नहीं, उनकी पत्नी कॉमरेड् ललिता एवं बच्चों ने पीपुल्सवार की राजनीति को अपना लिया था। पार्टी के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कॉमरेड् भुजंगराव एवं कॉमरेड् ललिता की जोड़ी भाग लेती थी। इतना ही नहीं वे अपने बच्चों को भी उन गतिविधियों में

शामिल होने प्रोत्साहित करते थे। उस परिवार ने पार्टी नेतृत्व के लिए आश्रय का इंतजाम जैसी कई सेवाएं दी। कई युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वे मां–बाप बन गये। उस परिवार में व्याप्त राजनीतिक माहौल के चलते उनकी दो संतानें पार्टी की पूर्ण कालीन कार्यकर्ता बनी दो और संतानें भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शादी करके पार्टी का हिस्सा बनी। कॉमरेड् भुजंगराव एवं कॉमरेड् ललिता ने पार्टी में अपने बच्चों की भर्ती को प्रोत्साहित किया था। कभी हतोत्साहित नहीं किया।

बच्चों के बड़े होकर अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने की उम्र आने के बाद कॉमरेड् भुजंगराव एवं ललिता ने यह निर्णय लिया था कि अब उन्हें परिवार के लिए नहीं समाज के लिए जीना है। उन्होंने पार्टी के सामने पेशेवर क्रांतिकारी बनने का प्रस्ताव रखा। इसमें कॉमरेड् ललिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी मांग व पार्टी की जरूरतों को ध्यान में रखकर पार्टी ने उनके प्रस्ताव को मंजूर किया। दोनों का इस तरह पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के रूप में भूमिगत जीवन प्रारंभ हुआ था। उस तरह नौकरी से इस्तीफा देकर करीबन 60 साल की उम्र में कॉमरेड् भुजंगराव ने अपनी पत्नी समेत भूमिगत जीवन में प्रवेश किया।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मुखपत्र के रूप में प्रभात का प्रकाशन शुरू करने पार्टी ने निर्णय लिया था। हिन्दी भाषा में अच्छी कुशलता प्राप्त कॉमरेड् भुजंगराव प्रभात के संस्थापक संपादक मंडल के सदस्य बन गये थे। लगभग छह साल तक वे प्रभात के संपादक मंडल के सदस्य व अनुवादक के रूप में अनगिनत सेवाएं दी। वे शुरू से ही अस्वस्थता के शिकार थे। वे उच्च रक्तचाप (बीपी) व पाइल्स से पीड़ित थे। भूमिगत जीवन में बढ़ती उम्र के साथ–साथ तबियत भी और बिगड़ने लगी थी। आंखों की रोशनी कम हुई थी। तीन बार के ऑपरेशन के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला था। आंखों के कमजोर होने के बावजूद उन्होंने लेन्स के सहारे अपनी लेखनी जारी रखी थी। रातों में ज्यादा समय तक जागकर काम करते रहने के कारण उनका स्वास्थ्य और भी खराब हुआ था। पक्षाघात का दौरा भी पड़ा था। कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद वे लक्ष्य के प्रति अडिग थे। वे शारीरिक रूप से उम्र दराज जरूर थे लेकिन मानसिक तौर पर वे आने वाले युग का दूत थे। वे अपनी बौद्धिक क्षमता से कलम को तलवार बनाकर शोषक समाज पर आजीवन निशाना साधते रहे।

दुश्मन का दमन तेज होकर शहरों में कई गिरफ्तारियां हुई थी। 'प्रभात' का बाहर से संचालन असंभव सा हो गया था। इससे पार्टी ने यह निर्णय किया कि प्रभात का प्रकाशन संघर्ष इलाके के भीतर से किया जाए। यह सोचकर कि गंभीर अस्वस्थता एवं बढ़ती उम्र के कारण भूमिगत जीवन या वन इलाकों में रहना कठिनाई भरा है, पार्टी ने कॉमरेड् भुजंगराव एवं कॉमरेड् ललिता को भूमिगत जीवन से बाहर, खुले में जाने का सुझाव दिया था। चूंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पार्टी की सेवा करने के मौके से दूर होना पड़ रहा था, इसलिए वे दुखी हुए। अनिवार्य स्थिति में 7–8 सालों के भूमिगत जीवन को छोड़कर वे वापस खुले जीवन में चले गये।

दूसरे राज्यों व विभिन्न शहरों में रहते हुए उस दंपत्ति ने न सिर्फ प्रभात का काम किया बल्कि क्रांतिकारी आन्दोलन को कई सेवाएं उपलब्ध करायी। उस उम्र में भी जहां भी रहे, वहां की भाषाएं सीखी। उनका घर केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व के लिए एक मुख्य आश्रय स्थल था। पार्टी पर जारी तीव्र दमन व नित्य निगरानी के बीच ही उस दंपत्ति ने काफी हिम्मत व धैर्य के साथ पार्टी नेतृत्व की आंख की पुतली के समान रक्षा की। इस क्रम में कई नेतृत्वकारी कामरेडों के साथ उनके आत्मीय संबंध स्थापित हुए। अमर शहीद कॉमरेड् आईवी सांबशिवराव के साथ उनकी आत्मीयता को कॉमरेड् भुजंगराव ने कहानी में रूपांतरित किया था।

जब वे भूमिगत थे, तभी पार्टी में दूसरा संकट उत्पन्न हुआ था। संकट के समय में कॉमरेड् भुजंगराव सही राजनीति के साथ मजबूती से डटे रहे। उस संकट के समय कॉमरेड् भुजंगराव की बड़ी पुत्री का पति सिरा (सी. रामचंद्रा रेड्डी) केएस के पक्ष में रहकर उनके साथ ही पार्टी छोड़कर चले गये थे। सिरा के प्रति इस दंपत्ति का काफी लगाव था। चूंकि सिरा केएस के पक्ष में गये थे, इसलिए वे दुखी जरूर हुए लेकिन उन्होंने सिरा का समर्थन नहीं किया था।

भूमिगत होने के पहले से, 1987 से ही कॉमरेड् भुजंगराव क्रांतिकारी लेखक संघ में काम करते थे। आखिरी सांस तक वे उसका सदस्य बने रहे। विभिन्न जन संगठनों, महिला संगठनों के द्वारा आयोजित सभाओं, कार्यक्रमों में दोनों ही भाग लेते थे। यह युवा कार्यकर्ताओं के लिए स्फूर्तिदायक था। आम जीवन में जाने के बाद भी कॉमरेड् भुजंगराव ने कई कहानियां व उपन्यास लिखे। प्रत्यक्ष कार्याचरण में शामिल होने की इजाजत चूंकि स्वास्थ्य ने नहीं दी थी, फिर भी वे अपनी मेधो शक्ति को ही हथियार बनाकर क्रांतिकारी आन्दोलन की मदद में खड़े रहे। ऐसे समय में जब कलम पकड़ना भी इस कलम के योद्धा के लिए कठिन हो गया था, वे चुप नहीं बैठे। उनके कहने पर कॉमरेड् ललिता लिखती थी। वे एक अथक किसान की तरह आखिरी लम्हे तक साहित्यिक कृषि करते रहे। हार न मानने वाले सिपाही की तरह अक्षर कवायद को जारी रखे हुए थे।

उनकी चार संतानें पहले आन्दोलन का हिस्सा बनी

फर्जी विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करके, क्रांतिकारी जनताना सरकारों का झंडा ऊंचा उठाने वाली दण्डकारण्य जनता की जय–जयकार

छत्तीसगढ़ में पिछले नवंबर 11 एवं 19 को दो चरणों में, विधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। राज्य के कुल 27 जिलों में से 18 जिलों में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रभाव है। इनमें से बस्तर संभाग के सातों जिलों एवं राजनांदगांव जिले के कुल 18 विधान सभा क्षेत्रों जहां क्रांतिकारी आन्दोलन मजबूत है, के लिए 11 नवंबर को चुनाव हुए। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में चुनाव संचालन को एक चुनौती के रूप में लिया था। यहां के 90 विधान सभा क्षेत्रों के चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुचारू संचालन के नाम पर 650 कंपनियों यानी 72 हजार अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों को तैनात किया गया था। कुल मिलाकर एक लाख 50 हजार बलों की तैनाती हुई।

चुनावों के साल भर पहले से ही शोषक–शासक वर्गों की प्रमुख पार्टियों–कांग्रेस व भाजापा ने चुनाव तैयारियां प्रारंभ कर दी। अप्रैल महीने से ही संशोधनवादी सीपीआई ने बस्तर में पदयात्रा की। सभा–सम्मेलनों का आयोजन करके वोट हासिल करने की कोशिश की। चुनावों की घोषणा होते ही सत्ताधारी भाजपा, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, व तीसरे मोर्चे जिसका छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, सीपीआई, सीपीआईएम, बिएसपी आदि ने मिलकर गठन किया था ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों का ऐलान किया था।

दैनिक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी, भ्रष्टाचार, कोयला खानों का घोटाला, महिलाओं पर यौन अत्याचार खासकर झलियामारी कांड; जिंदल, मित्तल, एस्सार जैसे कारपोरेट घरानों को हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन सौंपना; उचित समर्थन मूल्य के अभाव में व कर्ज के बोझ तले दबकर सैकड़ों किसानों की आत्महत्याएं, क्रांतिकारी आन्दोलन के उन्मूलन के लिए जारी ऑपरेशन ग्रीनहंट के हमलों के तहत सारकेनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहार आदि जन विरोधी कार्रवाइयों के चलते एक ओर जनता में शोषक–शासक वर्गीय पार्टियों के प्रति विरोध व असंतोष बढ़ता जा रहा था तो दूसरी ओर ये पार्टियां जनता को धोखा देने सस्ती लोकप्रियता के प्रचार को तेज किया था। एक या दो रुपये में किलो चावल, मुफ्त तीर्थयात्राएं, धान का उचित समर्थन मूल्य, विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट (कंप्यूटर) जैसी योजनाओं की भाजपा ने घोषणा की तो कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा कानून, वनाधिकार कानून, मनरेगा आदि योजनाओं के बारे में प्रचार किया।

बहिष्कार का आव्हान – प्रचार

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने फर्जी विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने के तहत कांग्रेस व भाजपा को मार भगाने, तीसरे मोर्चे की पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करने जनता का आव्हान किया था। चुनाव बहिष्कार को एक बड़े राजनीतिक अभियान के रूप में संचालित किया था। पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकार व जन संगठनों ने इस चुनाव बहिष्कार अभियान में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। जनता को यह समझदारी दी गयी थी कि वर्तमान फर्जी संसदीय प्रणाली में लोकसभा या विधानसभा चुनावों का मतलब यह तय करना है कि आगामी पांच साल के लिए शोषक–शासक वर्गों की पार्टियों का कौन सदस्य संसद या विधान सभा में बैठकर जनता का शोषण, दमन करेगा। मौजूदा शोषक वर्गीय सत्ता का सही विकल्प है– क्रांतिकारी जनताना सरकार जो कि उदीयमान जन राजसत्ता के अंग हैं। इस संदेश को भी जन–जन तक पहुंचाया गया। उत्तर, दक्षिण रीजनों में चुनाव बहिष्कार अभियान में दसियों प्रचार टीमों ने भाग लिया।

इस प्रचार अभियान के तहत दोनों रीजनों में गांवों से

थी, बाद में तीन पुत्रियां आन्दोलन से हटकर वर्तमान में साधारण जिंदगी बिता रही हैं। इससे वे जरूर दुखी हुए लेकिन आन्दोलन के प्रति उनका विश्वास अटूट रहा।

नरहंता चंद्र बाबू के शासनकाल में क्रांतिकारी आन्दोलन में मौजूद छोटी पुत्री के जीवन साथी कॉमरेड् किरण को उन्होंने खोया। इससे वे बहुत दुखी हुए, बावजूद हताश नहीं हुए। इस तरह जिंदगी के कई उतार–चढ़ावों का कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव ने हिम्मत के साथ सामना किया था। भारत की नवजनवादी क्रांति की सफलता का सपना संजोये, उसे साकार करने के लिए सीधे क्रांतिकारी व्यवहार में शामिल होकर आज की पीढ़ी के सामने अपने जीवन को एक नमूने के रूप में पेश करने वाले कॉमरेड् आलूरि भुजंगराव ने 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।

उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनायेंगे। समतामूलक समाज के उनके अधूरे सपने को साकार करने अनवरत आगे बढ़ेंगे। यही कॉमरेड् भुजंगराव को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ★

लेकर शहरों तक कई जगह पोस्टर चस्पा किये गये। बैनर बांधे गये। 10 हजार से भी ज्यादा पर्चे बांटे गये। दीवारों व सड़कों पर बहिष्कार के नारे लिखे गये। गांव व पंचायत स्तर पर आम सभाएं आयोजित की गयी। सड़कों व गाड़ियों पर पोस्टर चस्पा किये गये। किरंदूल–विशाखा रेल लाइन पर माल गाड़ियों व पैसेंजर गाड़ियों पर भी पोस्टर चिपकाये गये। बैनर बांधे गये। लगातार जारी दुश्मन के गश्त के बीच ही यह प्रचार कार्यक्रम चला। दुश्मन के हमलों के बीच ही जोन भर में सीएनएम इकाइयों ने चुनाव बहिष्कार के संदेश को जनता के बीच में ले जाते हुए चुनाव बंदोबस्त के लिए आने वाली पुलिस का प्रतिरोध करने जनता व मिलशिया को प्रेरित किया।

स्पेशल जोनल कमेटी व कुछ डिविजनल कमेटियों ने मीडिया को चुनाव बहिष्कार के बयान जारी किये।

कुछेक जगहों पर लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। पूर्व बस्तर डिविजन के हर्राकोडेर व एरपुण्ड पंचायतों की जनता ने बोधघाट बांध के खिलाफ एवं अन्य समस्याओं को लेकर बैनर बांधकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की एवं मीडिया के जरिए अपनी मांगों को स्पष्ट किया।

उत्तर बस्तर डिविजन के प्रतापुर एरिया के आलदंड पंचायत के लोगों ने अपने गांव की समस्याओं के हल न होने के विरोध में चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। दरभा डिविजन के मडकामिरास (दंतेवाड़ा जिला, कुआकोंडा ब्लॉक) के ग्रामीणों ने गांव की शाला एवं आश्रम को ब्लॉक केंद्र में स्थानांतरित करने के विरोध में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था और रैली, आमसभा भी की। कांगेरघाटी एरिया के कुम्माकोलंग में सभा का आयोजन करके लोगों ने मीडिया को चुनाव बहिष्कार के अपने निर्णय से अवगत कराया।

संघर्ष इलाकों में कांग्रेस, भाजपा का प्रचार सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला व ब्लॉक केंद्रों तक ही सिमट कर रह गया था।

झीरमघाटी हमले में नरहंता महेंद्र कर्मा सहित मुख्य नेतृत्व को खोने वाली कांग्रेस ने बलिदानी माटी कलश यात्रा के नाम पर अस्थि कलशों को राज्य भर में घुमाते हुए सहानुभूति हासिल करने तद्वारा वोट बटोरने बड़े पैमाने पर सभा, सम्मेलनों को आयोजित किया था। लोक धुनों पर ऑडियो, वीडियो गीत व चित्र प्रदर्शित किये। विगत 10 सालों के अपने शासन काल में राज्य को विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के रूप में विकसित करने के अपने दावे को भाजपा ने चुनावी प्रचार का केंद्र बिंदू बनाया था। भाजपा ने यह प्रचार किया था कि उसकी सरकार चूंकि जनता को चावल, नमक, चना व तेंदूपत्ता बोनस दे रही है, इसलिए उसी को वोट दिया जाए। चुनावों में जीतने के लिए रमनसिंह ने सरकारी मशीनरी व पुलिस का भरपूर इस्तेमाल किया था। इस बार इंटरनेट, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक कारपोरेट मीडिया के सहारे शोषक–शासक वर्ग युवाओं को आकर्षित करने के काफी प्रयास किये।

दूसरी ओर इन चुनावों के दौरान यह बात एक बार और साबित हो गयी है कि शोषक–शासक वर्गों के लोकतंत्र, जनाधिकार, विकास आदि झूठे हैं, खोखले हैं। स्वयं रमनसिंह ने कई चुनावी सभाओं में यह कहा कि वोट नहीं डालने से चावल नहीं मिलेंगे। एक कदम आगे जाकर कांग्रेस ने कहा कि चावल ही नहीं केंद्र के फंड्स भी नहीं आयेंगे। झीरमघाटी हमले से उत्पन्न खौफ के चलते भाजपा के कार्यकर्ता इस बार ग्रामीण इलाकों में प्रचार के लिए आगे नहीं आये। 50 हजार से एक लाख रुपये तक का बीमा करवाके कार्यकर्ताओं को प्रचार में उतारा गया था। शासक वर्ग के लोग उपने प्रभुत्व वाले गांवों के जन विरोधी सियानों, सरपंचों, सचिवों के द्वारा यह प्रचार करवाकर जनता में खौफ पैदा करने की कोशिश की कि वोट नहीं डालने से चावल नहीं मिलेंगे, गांवों पर हमले बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जेल में डाले जाएंगे और गांवों को जलाया जायेगा। संशोधनवादी सीपीआई ने भी भाजपा, कांग्रेस और पुलिस के दुष्प्रचार का कोरस देते हुए यह प्रचार किया कि वोट नहीं डालने से गांवों पर पुलिसिया हमले और बढ़ेंगे। माओवादियों की बातें न सुनने की ग्रामीणों को हिदायत देते हुए उसने अपने वर्गीय चरित्र व शासक वर्गों की सेवा करने वाले इतिहास को उजागर किया। गांवों के जनविरोधियों, वर्ग दुश्मनों, जनविरोधी सियानों ने तरह–तरह की अफवाहें फैलायी, जैसे– मतदान में भाग नहीं लेने से गांवों को ध्वस्त किया जायेगा, पेड़ों के पत्तों से भी ज्यादा संख्या में पुलिस बल के तैनात होने के कारण उनसे नहीं लड़ा जा सकता है आदि। ऐसे इलाकों में जहां क्रांतिकारी आन्दोलन मजबूत है इस तरह की अफवाहों का क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जन संगठनों ने पार्टी के नेतृत्व में माकूल जवाब दिया और चुनाव बहिष्कार अभियान में जनता जुझारू ढंग से शामिल हुई। जहां क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर है, वैसे इलाकों में कुछ लोग डर की वजह से वोट डाले। हजारों की संख्या में अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती, गांवों पर हमलों, तलाशी, गिरफ्तारियों, मुठभेड़ों, रोड़ ब्लॉक, हेलिकॉप्टरों की निगरानी के बीच अलोकतांत्रिक ढ़ंग से चुनाव संपन्न कराये गये।

चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संचालन के तारीखों की घोषणा होते ही हजारों की संख्या में अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती शुरू हो गयी थी। 2008 के विधान सभा चुनावों के समय 308 कंपनियों के अर्ध–सैनिक बल तैनात किये गये थे। इस बार 72 हजार अतिरिक्त सशस्त्र बलों व 13 सैनिक हेलिकॉप्टरों को इस्तेमाल किया गया था। समूचे

दण्डकारण्य में चुनावों के दो माह पूर्व से ही पुलिस, अर्ध सैनिक बलों ने संयुक्त रूप से कॉर्डन एण्ड सर्च अभियानों को तेज किया था। छापामार आधार इलाकों जहां जनाधार मजबूत है, में घुसकर क्रांतिकारी जनताना सरकारों के नेतृत्व में संचालित शाला, आश्रमों सहित शहीदों के मठों को ध्वस्त किया था। स्थानीय पार्टी इकाइयों, जन संगठनों के नेतृत्व, व जन मिलिशिया पर हमले किये। इन्हीं हमलों में दक्षिण बस्तर में कामरेड शांति, कामरेड नरेश, कामरेड रामू, पूर्व बस्तर में कामरेड विजय, पश्चिम बस्तर में मिलिशिया कामरेड्स सोमा, अर्जुन, हिड़माल शहीद हो गये। स्थानीय निर्माणों के कई कामरेडों को गिरफ्तार करके थाना, कैंपो में यातनाएं दी गयी थी। सरकारी सशस्त्र बलों ने पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावों के दौरान 90 अभियान चलाये। माओवादी कार्यकर्ताओं की आवाजाही एवं बारूदी सुरंगों का पता लगाने संघर्ष इलाकों में 5000 मुखबिरों से काम लिया गया था। पुलिस, एसटीएफ, कोबरा बलों ने कुछ गांवों में यह कहते हुए कि वोट नहीं डालने से मारेंगे–पीटेंगे, गांवों को जलायेंगे, ग्रामीणों को धमकाया था।

चुनाव आयोग ने राज्य के एक करोड़ 97 हजार वोटरों के लिए 21,418 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जिनमें से 3249 केंद्रों को अति संवेदनशील एवं 6920 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया था। चुनावों के 'स्वतंत्र', 'निष्पक्ष' व 'सुचारू' संचालन के लिए डेढ़ लाख सशस्त्र बलों के अलावा राज्य के 2 लाख 36 हजार सरकारी कार्मचारियों को इस्तेमाल किया। कांकेर से जगदलपुर, जगदलपुर से कोण्टा और जगदलपुर से भोपाल पटनम् सहित जिला केंद्रों व ब्लॉक केंद्रों को जोड़ने वाली तमाम सड़कों को फोर्स ने अपने कब्जे में ले रखा था। सशस्त्र बलों की सुरक्षित आवाजाही के मद्देनजर चौबीसों घंटे सड़क गश्ती, एंबुश, जारी थे। रोड़ ओपनिंग पार्टियों को लगातार एंगेज किया गया था। आईजी स्तर के अधिकारी ने इन बलों को समन्वित किया था। 650 कंपनियों के अर्ध–सैनिक बलों की संगीनों के साये में 18 विधान सभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था। बाकी 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण का मतदान 19 नवंबर को हुआ। केवल बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में ही 25 हजार फोर्स तैनात थी। न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में ही एक क्षेत्र के लिए इस कदर फोर्स की तैनाती शायद पहली बार हुयी होगी। कोण्टा विधानसभा क्षेत्र (सुकमा जिला) में 15 हजार, दंतेवाड़ा क्षेत्र में 15 हजार, नारायणपुर क्षेत्र में 8 हजार बलों को तैनात करके जिला, ब्लॉक केंद्रों में व सड़कों पर कवायद करके जनता में भय व आतंक फैलाया गया था। इतने बड़े पैमाने पर बलों को तैनात करने के बावजूद 18 विधानसभा क्षेत्रों के 167 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित करके उन्हें कैंपों–थानों व सड़क किनारे स्थानांतरित किया गया था। जहां ज्यादा फोर्स की तैनाती थी। दक्षिण बस्तर के पामेड़, किष्टारम, जेगुरगुण्डा, पश्चिम बस्तर के गंगलूर, भैरमगढ़, नेशनलपार्क एरियाओं, पूर्व बस्तर के कुवानार एरिया, माड़ के कुतुल, इंद्रावति, नेलनार एरियाओं के अंदरूनी मतदान केंद्रों को 10 से 40 किमीं दूर स्थानांतरित किया गया था। 'फर्जी चुनावों का बहिष्कार करेंगे', 'क्रांतिकारी जनताना सरकारों को बचायेंगे, मजबूत करेंगे'–नारों के साथ क्रांतिकारी जनताना सरकारों का परचम लहराती जनता ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। यद्यपि चुनावों के दो महीने पूर्व से ही छग–उडिशा एवं छग–महाराष्ट्र राज्यों के बलों के द्वारा संयुक्त रूप से घेराव–दमन अभियान चलाते हुए गांवों पर हमले, गिरफ्तारियां, फर्जी मुठभेड़ हत्याएं की गयी थी लेकिन पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए, जन मिलिशिया व जनता ने दृढ़ता से प्रतिरोध किया।

स्थानीय पार्टी निर्माणों के नेतृत्व में बच्चों सहित महिलाएं, पुरूष, भूमकाल मिलिशिया, जीआरडी, मिलिशिया प्लाटून व जन संगठनों ने बड़े पैमाने पर गोलबंद होकर मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए आने वाली पुलिस का विभिन्न पारंपरिक ट्रैपों के जरिए डटकर मुकाबला किया। खासकर, दक्षिण व पश्चिम बस्तर में जनता ने बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर 10 दिन पहले से ही गांवों के बीच के जंगल एवं मतदान केंद्रों के पास दसियों हजार गड्डे खोदे थे। इन गड्डों में लोहे की छड़े लगाये गये थे। कीले गड़े लकड़ी के पाटें अलग–अलग जगहों में केमोफ्लेज के साथ लगाये गये। नवंबर महीने में फसल कटाई जोरों पर रहती है। बावजूद 50 हजार जनता ने इस चुनाव बहिष्कार–प्रतिरोध ा अभियान में शामिल होकर जंगी जोश व जुझारूपन का प्रदर्शन किया। इन फंदों में गिरकर पुलिस के 82 जवान घायल हो गये। आन्ध्रप्रदेश सरहद् के उसूर गांव में 25 अक्टूबर को फंदे में फंसकर आन्ध्र ग्रेहाउण्ड्स के एक जवान ने अपनी जान गंवाई।

जनता ही असली नायक और इतिहास की निर्माता है। इस चुनाव बहिष्कार ने यह साबित किया कि यदि सही राजनीतिक कार्य के साथ जनयुद्ध में जनता को संगठित करते हैं तो कठिन परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों के साथ भी जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करके दुश्मन का प्रतिरोध करना, जनाधार को और मजबूत करते हुए जनयुद्ध को आगे ले जाना संभव है। यहां यह बताना लाजमी होगा कि यह चुनाव बहिष्कार देश की उत्पीड़ित जनता एवं क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

प्रतिरोधी हमले व हथियारों की जब्ती

चूंकि शोषक–शासक वर्ग संघर्ष इलाकों में भारी

सैनिक हमलों के बीच जबरन चुनाव संपन्न कराना चाहते थे इसलिए एसजेडसी ने यह आव्हान किया था कि 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जनता के चुनाव बहिष्कार अभियान के साथ ही प्रतिरोध अभियान को संचालित किया जाए। पार्टी के आव्हान के मुताबिक जनता, मिलिशिया एवं पीएलजीए ने प्रतिरोध अभियान चलाया। इसके तहत चुनाव के दिन 11 नंवबर को 6 जगह मुठभेड़ें हुई। 10 नवंबर को राजनांदगांव के औंधी के पास पीएलजीए के द्वारा किये गये एंबुश में आईटीबीपी का एक जवान मारा गया था और एक घायल हो गया था। कांकेर जिले के बांदे विकास खंड के चित्रम के पास किये गये हमले में बीएसएफ के दो जवान मारे गये थे। इसी घटना में तीन जवान घायल हुए थे। इससे घबराकर मतदान दल सहित पुलिस बल वापस चले गये थे। कुछ दिन बाद भारी बंदोबस्त के बीच यहां पुनर्मतदान कराया गया।

11 नवंबर को दंतेवाड़ा जिले के कट्टेकल्याण के नयानार के पास मतदान के बाद वापस जाती पुलिस पर हमला किया गया था जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान खत्म हो गया था जबकि दो घायल हो गये। 12 नवंबर को सुकमा जिले के केरलापाल गांव के मांझीगुडा के पास लगाये गये एंबुश में बीएसएफ के तवेरा वाहन के परखच्चे उड़ गये थे। इसमें तीन मरे, दो घायल हुए थे। 12,13 तारीखों में चिंतागुफा पास हुए हमलों में सीआरपीएफ का एक कमांडेंट और कोबरा का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए।

सितंबर से नवंबर आखिरी तक के हमलों में जोन भर में पुलिस के 17 जवान खत्म हो गये जबकि 20 जवान घायल हुए। पीएलजीए ने पांच हथियार जब्त किये।

चुनाव बहिष्कार

शोसक–शासक वर्गीय पार्टियों के द्वारा जनता को दिये गये झूठे आश्वासनों को दरकिनार करके, पुलिसिया दमन को धत्ता बताकर क्रांतिकारी जनताना सरकारों के अधिकांश इलाकों में जनता ने झूठे लोंकतांत्रिक व्यवस्था को नकारते हुए विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया था। दक्षिण बस्तर में 49 पंचायत क्रांतिकारी जनताना सरकारों के 200 गांवों की जनता, पश्चिम बस्तर की 41 क्रांतिकारी जनताना सरकारों के 143 गांवों की जनता ने चुनाव बहिष्कार किया। पश्चिम बस्तर के गंगलूर एरिया के 68 गांवों में से 60 गांवों ने चुनावों का पूर्णतया बहिष्कार किया। जिला केंद्र से सिर्फ 6 किमी दूर स्थित मनकेली गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा जबकि वहां 681 वोटर हैं। 150 की संख्या में अर्ध–सैनिक बल मतदान के लिए गांव में पहुंचे लेकिन मतदान केंद्र से 300 गज की दूरी पर डरे–सहमें तीन घंटे जैसे–तैसे बिताकर वापस चले गये। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के 35 मतदान केंद्रों की जनता ने बहिष्कार किया। दरभा के 6 गांवों ने बहिष्कार किया।

माड़–उत्तर बस्तर संयुक्त डिविजन के इंद्रावति एरिया के सभी गांवों ने बहिष्कार किया। रावघाट एरिया के 30, प्रतापुर एरिया के 35 एवं कुतुल व नेलनार एरियाओं के अधिकांश गांवों की जनता ने चुनाव बहिष्कार किया। पूर्व बस्तर के कुवानार एरिया के 10 क्रांतिकारी जनताना सरकारों के 50 गांवों, केशकाल एरिया के 2 पंचायतों की जनता ने पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार किया। कुछ गांवों में 2 प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ। माड़ के कोहकामेट्टा, कच्चापाल, सोनपुर इलाकों में पुलिस, आत्म समर्पित गद्दारों, सहायक आरक्षकों, जन विरोधी सियानों के डराने–धमकाने के चलते कुछ लोगों ने मतदान किया।

इस तरह पार्टी के आव्हान को अपनाकर जनता ने क्रांतिकारी जोश के साथ चुनावों का बहिष्कार करके जनता के असली जनवादी राजसत्ता के संगठन– क्रांतिकारी जनताना सरकारों के प्रति अपना विश्वास जताया। क्रांतिकारी संघर्ष के परचम को ऊंचा उठाया। शोषक–शासकों के सशस्त्र बलों के लौह बूटों को फंदों में बांधकर बहादुरी से प्रतिरोध किया।

एक तरफ सच्चाई यह रही जबकि रमनसिंह सरकार एवं कॉरपोरेट मीडिया ने मतदान प्रतिशत को बढ़ा–चढ़ा कर पेश किया। 'बुलेट पर बैलेट की जीत', 'माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के आव्हान को जनता ने नकारा', 'गनतंत्र पर भारी पड़ता जनतंत्र' कहते हुए चुनाव आयोग एवं केंद्र–राज्य सरकारों ने अनर्गल प्रचार किया, वास्तविकताओं को तोड़–मरोड़कर पेश किया एवं चुनाव बहिष्कार के सच को झुठलाने की नाकाम कोशिश की।

8 दिसंबर को हुई मत गणना में भाजपा को 49, कांग्रेस को 39, बीएसपी को 1, अन्य को 1 सीट मिल गयी। बस्तर के 12 में से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। सत्ताधारी भाजपा के कुछ मंत्रियों, विपक्षी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को भी इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा।

तीसरी बार सत्तारूढ़ रमनसिंह अपने हिन्दूत्ववादी एजेण्डे पर आक्रामक तरीके से अमल करेगा। सरलीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की जन विरोधी नीतियों के अमल में और तेजी लायेगा। देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के लिए खनिज संसाधनों व कोयला खदानों के दोहन के लिए खुली छूट देगा। बड़े बांधों, बड़ी खदानों, बड़े कारखानों से संबंधित एमओयू पर अमल में तेजी लायेगा। इन सब से जनता खासकर आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। इन तमाम जन विरोधी योजनाओं पर अमल करने के लिए फासीवादी दमन में भी तेजी लायेगा। राज्य को सैनिक छावनी में तब्दील करेगा। संघर्ष के रास्ते से भटकाने के लिए अमल में लायी गयी जनाकर्षक योजनाएं –एक रुपये किलो चावल, मुफ्त नमक, चना, तेंदुपत्ता

फांसी कतई नहीं, पितृसत्तात्मक शोषण मूलक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही अत्याचारों का असली समाधान है!

16 दिसंबर, 2012 को देश की राजधानी दिल्ली के बीचों–बीच चलती बस में ज्योतिसिंह पांडे नामक पैरा मेडिकल छात्रा पर वहशियाना तरीके से किया गया सामूहिक बलात्कार, उसके फलस्वरूप 13 दिन के जीवन संघर्ष के बाद हुई उनकी मौत हमारी यादों में अभी धुंधली नहीं हुई है। देश में ही नहीं, अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनीखेज पैदा करने वाले इस घोर कृत्य के छह दोषियों में से चार को 13 सितंबर, 2013 को दिल्ली के साकेत जिला न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई। जबकि इस केस में प्रधान अभियुक्त रामसिंह की 11 मार्च को तीहाड़ जेल में संदेहास्पद परिस्थितियों मौत हुई। हालांकि जेल एवं पुलिस अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित की लेकिन पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि वह हत्या ही थी। इस केस के एक नाबालिक अभियुक्त को दिल्ली के जूवीनाइल न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

2011 के आंकडों के मुताबिक हमारे देश में हर 21 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। आंकडों में दर्ज न होने वाले बलात्कारों को भी यदि गिनती में लेते हैं तो एक आंकलन के मुताबिक प्रति मिनट एक बलात्कार हो रहा है। एशियन सेंटर फॉर हयूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2001–2011 के बीच की अवधि में महिलाओं पर यौन अत्याचारों में 336 फीसदी बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। आंकडें बताते हैं कि नाबालिग बच्चियों पर यौन अत्याचार इस कदर बढ़ गये हैं कि देश में यौन हिंसा के शिकार होने वालों में एक तिहाई मासूम बच्चियां ही हैं। कई मौकों पर बलात्कार पीड़िताओं की मौत हो रही है। अत्याचारों के इतने आम हो जाने के परिप्रेक्ष्य में यह आश्चर्य की बात है कि ज्योतिसिंह पांडे के बलात्कार ने देश, विदेशों में सनसनी फैला दी। इस मौके पर देश भर में अभूतपूर्व स्तर पर आन्दोलन हुए। इस आन्दोलन ने मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित के घरों सहित देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन का भी घेराव किया। कड़ाके की ठंड में, आधी रात को अपने घर के सामने बैठे आन्दोलनकारियों को समझा–बुझाने सोनिया गांधी को अर्धरात्रि सड़क पर आना पड़ा। युवक, युवतियां इतने आहत हुए कि जैसे अपनी बहन के साथ ही यह अत्याचार हुआ हो, बढ़े–बुजुर्ग इस कदर विचलित हुए कि अपनी बेटी के साथ ही यह हादसा हुआ हो। सबकी आंखें भर आई। सभी आक्रोशित थे, उग्र हो गये थे। आन्दोलन के नाम से ही बौखलाने वाली पुलिस के हाथों लाठी खाये, आश्रु गैस के प्रयोग व पानी के बौछारों को झेले। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया पुलिस पर हल्ला बोले। एक पुलिस जवान के मारे जाने का कारण बने। यदि यह आन्दोलन ही नहीं होता तो देश की कई बलात्कार पीड़िताओं की तरह ज्योतिसिंह भी निशब्द टपकने वाले आंसू की एक बूंद की तरह काल के गाल में समा गयी होती।

बलात्कार के मामले में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुआ जोकि स्वागतयोग्य है। आन्दोलन ने दोषियों को कठोर दण्ड देने, फांसी पर लटकाने, नपुंसक बनाने की मांग की। महिलाओं की सुरक्षा के सरकारी दवों का पर्दाफाश किया। हालांकि यह स्वस्फूर्त आन्दोलन था लेकिन बाद में कई राजनीतिक व जनसंगठन इसमें शामिल हुए, इसका समर्थन किया। लेकिन इनमें से कोई भी महिलाओं पर यौन अत्याचारों की समस्या की विस्तृति और जड़ों को पकड़ नहीं पाये।

इस आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में हमें इस समस्या का गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है। इस समस्या के प्रति शोषक–शासक वर्गों की सरकारों के रवैये एवं इस

बोनस आदि जनता को ज्यादा समय तक भरमाकर नहीं रख सकती।

घेराव–दमन अभियान, साम्राज्यवाद प्रायोजित विकास के नमूने, लेखा–मेंढ़ा जैसी योजनाओं, बस्तर प्रधिकरण जैसी संस्थाओं, फर्जी सुधारों के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक हमलों व काउन्सिलिंग को एक साथ संचालित करते हुए क्रांतिकारी आन्दोलन का सफाया करना ही आज शोषक–शासक वर्गों– सामंती, दलाल नौकरशाही पूंजीपति व उनके साम्राज्यवादी आकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संसदीय पार्टियों का लक्ष्य है। शोषक–शासक वर्गों के इस लक्ष्य को नाकाम करते हुए, चार उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ, देशीय बुर्जुआ वर्ग की जनता को बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से गोलबंद करके मजबूत नवजनवादी संयुक्त मोर्चे का निर्माण करेंगे।

जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाकर जनयुद्ध को तेज करेंगे, ऑपरेशन ग्रीनहंट को हरायेंगे।

उदीयमान जन राजसत्ता के संगठन–क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत करेंगे, विस्तार करेंगे।

दण्डकारण्य को आधार इलाके में विकसित करेंगे। सामतंवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग एवं साम्राज्यवाद को मटियामेट करेंगे।

भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनायेंगे।

★

आन्दोलन के संदर्भ में सरकार के द्वारा मजबूरी में उठाये गये कदमों के पीछे की असलियत को विस्तार से समझना चाहिए।

यह सही है कि दोषियों को दण्ड, कठोर दण्ड भी देना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपराधियों को तैयार करने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करना एवं उन्हें दूर करना। महिलाओं पर बढ़ते यौन अत्याचारों को शासन व पुलिस प्रशासन की अक्षमता के दायरे में नहीं देखना चाहिए। दरअसल शोषक–शासक वर्ग एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों की जन विरोधी नीतियों के चलते ही ये पल–बढ़ रहे हैं। इसीलिए शासक वर्ग आन्दोंलनों को समस्या की जड़ों तक जाने से रोकते हैं। समस्याओं के सतही समाधान की मांग करने एवं ऐसे समाधानों से संतुष्ट होने के स्तर तक ही जनता को सीमित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसीलिए दिल्ली बलात्कार मामले में दोषियों को कठोर दण्ड देने की आन्दोलनकारियों की मांग का सरकार ने तुरंत अनुमोदन किया। महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ख्याल रखने का दिखावा करते हुए कुछ कदम उठाये। देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय सुझाने जस्टिस उषा मेहरा की एकल सदस्यीय कमेटी गठित की। यौन अत्याचारों के रोकथाम व दोषियों को कठोर सजा देने भारतीय दण्ड संहिता में किये जाने वाले संशोधनों को सुझाने के लिए जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। वर्मा कमेटी ने एक महीने के अध्ययन के बाद सरकार को इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके तुरंत बाद अपराध कानून संशोधन–2013 को पारित किया गया। इस कानून में अब नये सिरे से कई तरह के लैंगिक उत्पीड़नों को शामिल किया गया है। वर्तमान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के मुताबिक बलात्कार के दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन करावास तक की सजा दी जा सकती है। अभी संशोधित नये कानून में भी 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार के मामले में कम से कम 20 साल से आजीवान कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बलात्कार के मामले में एक बार दण्डित व्यक्ति यदि दोबारा उसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो 20 साल या आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुना सकते हैं। बलात्कार पीड़िता की यदि मौत होती है या वो बेहोशी (कोमा) में जाती है तब कम से कम 20 साल या आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है। कुछ तबकों की ओर से बलात्कार के मामले में मौत की सजा की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी जो अब व्यवहार में आ गया है। लेकिन ज्योतिसिंह का मामला इस नये कानून के दायरे में नहीं आता है। विरले मामलों में हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में पहले से ही है। ज्योतिसिंह के मामले में चूंकि पीड़िता की मौत हुई थी इसलिए हत्या के जुर्म में ही अपराधियों को सजा दी गयी। इस तरह बलात्कार के मामले में मौत की सजा सुनाना हमारे देश में नयी बात है।

इस मौत की सजा के प्रति जनता में, खासकर महिलाओं में खुशी व्यक्त हुई। कुछेक संगठनों ने रैलियां निकालकर मिठाई बांटी। मीडिया ने भी संतोष व्यक्त किया कि दोषियों को उपयुक्त सजा दी गयी। कइयों ने यह बात कही कि यह सजा एक चेतावनी बनी रहेगी।

इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या मौत की सजाएं बलात्कारों का अंत कर सकती हैं? इसे समझने के लिए आइये, पहले यौन अत्याचारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारणों पर नजर डालते हैं।

बलात्कार एक घृणित पितृसत्तात्मक अभिव्यक्ति है। यह महिलाओं के मन व शरीर को चोट पहुंचाने वाला पितृसत्तात्मक हमला है। पितृसत्ता महिला को सिर्फ अंगों की पोटली समझता है। वह महिला को स्वतंत्र भावनाओं, पसंद–नापसंद, सोच–विचारों से निर्मित व्यक्तित्व वाली संपूर्ण इन्सान (मानवि) के रूप में चिन्हित नहीं करता है। यह नहीं समझता है कि महिलाओं के सोच–विचार, पसंद–नापसंद व भावनाओं का कद्र करना है। वह यही सिखाता है कि पुरूषों की भोगविलासिता के लिए ही महिला का जन्म हुआ है। समाज में अपनी जड़ें जमाये पितृसत्ता महिलाओं को पतिव्रता बनाता है लेकिन पुरूषों को नैतिक मूल्य नहीं सिखाता है। ऊपर से मर्दानगी के नाम पर नैतिक अराजकता को बढ़ावा देता है। इस तरह यौन अत्याचारों की जड़ें पितृसत्तात्मक समाज में ही मौजूद हैं।

वर्गीय शोषण पर आधारित सभी समाज पितृसत्ता को अपने मजबूत आधार बनाते हैं। इसीलिए वे पितृसत्ता के तमाम मूल्यों की रक्षा करते हैं। इसलिए शोषणमूलक समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में बदलाव की संभावनाएं क्षीण हैं। वर्ग संघर्ष के जरिए ही शोषणमूलक समाज व्यवस्था में बदलाव आयेगा। इस बदलाव के साथ ही पितृसत्ता भी कमजोर होता जायेगा। शोषणविहीन समतामूलक समाज व्यवस्था में ही पितृसत्ता की जगह स्त्री पुरूष समानता मजबूत होगी। इस तरह महिलाओं पर यौन अत्याचारों का अंत होगा।

शोषक–शासकों की साम्राज्यवादी परस्त, जनविरोधी नीतियां ही महिलाओं पर यौन अत्याचारों को बढ़ावा दे रही हैं। नयी आर्थिक नीतियों के पिछले 20 साल के अमल के दौर में महिलाओं पर यौन अत्याचार कई गुना बढ़ गये हैं।

अपने शोषण के लिए अनुकूल माहौल बनाने साम्राज्यवाद, संस्कृति को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। अपने बाजार को बढ़ावा देने वाली संस्कृति को वह जनता पर थोपता है और जबरन परोसता है। इस हेतु वह समाज को आगे ले जाने वाले तमाम प्रगतिशील मूल्यों को ध्वस्त करता है और अपने शोषण को बढ़ावा देने वाले मूल्यों की स्थापना करता है। मानवीय संबंधों को नष्ट करता है। समाज में यौन आराजकतावादी प्रवृत्ति एवं संस्कृति को बढ़ावा देता है। अश्लील साहित्य, अश्लील फिल्म सहित तमाम विकृत व विषैली संस्कृति को जनता पर थोप देता है ताकि उसके शोषण को कोई चिन्हित न कर सके, कोई समझ न सके और कोई सवाल न कर सके। यह संयोग कतई नहीं हो सकता है कि नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के बाद भारत सरकार ने टीवी चैनलों के द्वारा हॉलीवुड फिल्मों के प्रसारण पर रोक को हटाने संबंधी फाइल पर पहले दस्तखत किया था। अब इंटरनेट के जरिए अश्लीलता की बाड़ सी आयी है। महिलाओं को फिल्मों, टीवी चैनलों, विज्ञपनों में सेक्स सिंबल के रूप में देखने की जिन्हें आदत हो गयी हो, वे निजी जीवन में भी उनकी इज्जत नहीं कर सकते।

नई आर्थिक नीतियों के चलते एक तरफ बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर कइयों की आजीविका छिन रही है। इससे बेकार व लंपट तबका बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जोतने वालों को जमीन न मिलने एवं लगातार जमीन का बंटवारा होने के कारण भूमिहीन व गरीब किसानों की संख्या बढ़ रही है। इससे ग्रामीण गरीब व बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। पलायन करने वालों में पुरुष ही अधिक हैं और वे अकेले ही शहर जाते हैं। लेकिन शहरों में भी सही काम व वेतन नहीं मिल रहा है। शोषण के शिकार होते हैं। परिवारिक जीवन, अपनों की आत्मीयता से दूर रहने के कारण उनमें अशांति, अराजकता बढ़ने की संभावना अधिक है। कुलमिलाकर समाज के प्रति असंतोष व आक्रोश बढ़ रहा है। यदि सही राजनीति से उन्हें लैस करते हैं तो इनके असंतोष व आक्रोश को शासक वर्गों के खिलाफ मोड़ सकते हैं। अन्यथा मासूम लोग खासकर महिलाएं एवं नाबालिग लड़कियां इनमें से कुछ लोगों के शिकार हो जायेंगी।

ज्योति सिंह का बलात्कार करने वालों में एक नाबालिग लड़का भी है। इससे यह समझ सकते हैं कि बच्चे भी किस कदर शासक वर्गों की कुसंस्कृति के शिकार हो रहे हैं। अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ही 2011 में 33,887 बच्चे विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार हुए। इनमें से 1,419 नाबालिग बच्चे बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचारों के विरोध में आन्दोलनरत लोगों को चाहिए कि वे महिलाओं पर तिरछी नजर को बढ़ावा देने वाली ऐसी संस्कृति एवं उसके पोषणकर्ता बने शासक वर्गों को अपना लक्ष्य बनाएं।

ज्यातिसिंह का बलात्कार करने वाले सभी छह अपराधी पिये हुए थे, यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। ज्योति सिंह ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में यह खुलासा किया कि उन पर अत्याचार करने वाले छह में से नाबालिग और मुख्य अभियुक्त रामसिंह दोनों ने उन्हें क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया था। ज्योति सिंह के मित्र जो इस घोर कृत्य के पीड़ित एवं एक मात्र साक्षी हैं, ने भी इसे स्पष्ट किया। इतने क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने वाले उस नाबालिग को भी फांसी पर लटकाने और उसके लिए जरूरी होने पर किशोर अपराध न्याय कानून (जूवीनाइल जस्टिस एक्ट) में भी संशोधन करने की जोर–शोर से मांग उठी।

इसमें कोई शक नहीं कि अत्यधिक शराब पीने से सही–गलत की विवेचना खत्म हो जाती है। इसलिए इन अपराधियों के द्वारा अत्याचार करने में एवं पीड़िता को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करने में शराब की भूमिका भी हो सकती है। शराब के नशे में धुत, अंधे बनकर मां–बेटियों का बलात्कार करने की कई घटनाएं भी आये दिन देखने, सुनने को मिलती हैं। शराब के कारण मूल्यों के इस पैमाने पर पतन होने की बात स्पष्ट रूप से सामने आने के बावजूद भी सरकार ने शराब को अपने आय बढ़ाने के मुख्य स्रोत बनाया हुआ है। सरकार कई तरीकों में जनता में शराबखोरी को प्रोत्साहित कर रही है। शराब ही नहीं कई किस्म के नशीले पदार्थ इन्सानों की बुद्धि को इतना नष्ट कर देते हैं कि सही व गलत के बीच फर्क नहीं कर सकते। शराब एवं ड्रग माफियाओं को सरकारों, राजनेताओं व पुलिस का समर्थन व संरक्षण प्राप्त है। इसलिए अत्याचार विरोधी आन्दोलनकारियों को शराब व नशीले पदार्थों का विरोध करना चाहिए एवं सरकार सहित इन माफियाओं से सांठगांठ करने वालों का भी सख्त विरोध करना चाहिए।

एक नाबालिग के इस तरह के बर्बर व्यवहार के पीछे मीडिया खासकर टीवी चैनलों व फिल्मों जो हिंसा को बड़े पैमाने पर परोस रही हैं, की भूमिका कम नहीं है। छोटे बच्चों को भी बर्बर व पाशविक बनाने वाली हिंसात्मक संस्कृति का मुकाबला किये बगैर मात्र उसके शिकार बच्चों को दण्डित करते जाने से महिलाओं पर अत्याचारों को रोक नहीं सकते।

जाति व धर्म का प्रभुत्व भी महिलाओं पर यौन अत्याचारों के लिए मुख्य कारण है। आन्ध्रप्रदेश के कारम्चेडु, नीरुकोंडा, चुण्डूर, वेंपेंटा, महाराष्ट्र के खैरलांजी आदि जगहों पर दलितों पर हुए पाशविक हमलों व दलित महिलाओं पर हुए यौन अत्याचार, गुजरत में मुसलमानों पर व ओडिशा में ईसाइयों पर हुए हमलों के दौरान महिलाओं पर हुए बर्बर अत्याचारों के पीछे का मकसद साफ है, जाति

धर्म के प्रभुत्व को कायम रखना। एक जाति या धर्म पर अपने आधिपत्य को प्रदर्शित करने के लिए उस जाति या धर्म की महिलाओं का बलात्कार करना अब तक के तमाम हमलों में साफ तौर पर दिखा है। यह महिलाओं को निजी संपत्ति समझने की विचारधारा की ही उपज है।

शासक वर्गों के द्वारा बलात्कार को दमन के औजर के रूप में इस्तेमाल करने के चलते महिलाओं पर यौन अत्याचार बढ़ रहे हैं। दरअसल आज तमाम संघर्ष इलाकों में महिलाओं पर यौन अत्याचार करने वाले और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले और कोई नहीं बल्कि पुलिस, अर्ध–सैनिक व सैन्य बल ही हैं जो सुरक्षा बलों के नाम से प्रचलित हैं। दिल्ली बलात्कार कांड से विचलित सोनिया गांधी की आंखे भर आई थी, ऐसा कथन अखबारों में छपा था। यह अच्छी बात है कि उनके दिल के किसी कोने में गीलापन बचा है। लेकिन उसी सोनिया गांधी की देखरेख में ही आज सरकारी सशस्त्र बल महिलाओं पर अनगिनत अत्याचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल के सलवा जुडूम दमन अभियान के दौरान, आज के ऑपरेशन ग्रीनहंट में महिलाओं पर सरकारी सशस्त्र बलों के द्वारा अंतहीन अत्याचार जारी हैं। उन्हें शर्मनाक यातनाएं दी जा रही हैं। सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं। फर्जी मुठभेड़ों में हत्याएं की जा रही हैं। ज्योतिसिंह के ही समान कुमली, चैते की भी सामूहिक बलात्कार के बाद पाशविक तरीके से हत्या की गयी। आन्ध्रप्रदेश के संघर्ष इलाकों में महिलाओं पर कई अत्याचार हुए हैं। वाकपल्ली गांव की 11 आदिवासी महिलाओं पर ग्रेहाउण्ड्स के द्वारा किया गया सामूहिक बलात्कार उनमें से सिर्फ एक है। असल में इन इलाकों में बलात्कार सहित महिलाओं पर जारी तमाम किस्म के दमनात्मक हथकंडो का अंत करने क्रांतिकारी आन्दोलन के नेतृत्व में एक विशेष प्रयास जारी है। उसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी है। आज ज्योति सिंह के प्रति मगरमच्छ की आंसू बहाने वाले शासक इस महिला चेतना को खत्म करने के लिए महिलाओं पर यौन अत्याचारों को ही नहीं उनकी हत्याओं को भी औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

उत्तर पूर्वी राज्यों व कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की आड़ में सरकारी सशस्त्र बल महिलाओं पर मनमाफिक अत्याचार कर रहे हैं। उस फासीवादी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर मणिपुर की माताओं के नग्न प्रदर्शन एवं विगत 13 सालों से जारी मणिपुर की लाड़ली ईरोम शर्मिला के अनशन से पूरी दुनिया तड़प रही है। लेकिन शासकों को इससे कोई शर्म नहीं। ज्योतिसिंह पर अत्याचार के खिलाफ उठे आन्दोलन में उमड़ पड़े जन सैलाब को देखकर शासकों ने तुरंत–फुरंत कानून बनाकर ऐसी घटनाओं के प्रति गंभीर होने का नाटक किया। लेकिन अपने ही सशस्त्र बलों के द्वारा सैकड़ों महिलाओं पर किये जा रहे पाशविक अत्याचारों की खबरों से उनके कानों में जुएं तक नहीं रेंगते। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि क्रांतिकारी जनवादी, प्रगतिशील आन्दोलनों को कुचलने के लिए बलात्कार को दमन के औजार के रूप में शासक स्वयं ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली बलात्कार आदि घटनाओं के समय मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपने असली चरित्र–महिलाओं पर यौन अत्याचारों को दमन के औजार के रूप में इस्तेमाल करने वाले चरित्र पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ज्योतिसिंह पर अत्याचार करने वाले यदि लंपट न होकर समाज में बड़ी हैसियत रखने वाले होते या ऊंची राजनीतिक संरक्षण वाले या सशस्त्र बल होते तो क्या सोनिया आंसू बहाती? आज संसद और विधान सभाओं में बलात्कार के आरोपों का सामना करने वाले सांसद, विधायक बहुतायात में हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी के ज्यादा हैं। बलात्कार पीड़िताओं के प्रति यदि सोनिया गांधी सही मायने में सहानुभूति रखती तो बलात्कार के आरोपों का सामना करने वालों को पार्टी एवं संसद में बर्दाश्त नहीं करती। 16 साल पहले केरल राज्य के सूर्यनेल्लि में 16 साल की नाबालिग का 42 लोगों ने बलात्कार किया था। राज्यसभा के वर्तमान उप सभापति कुरियन भी इस मामले में आरोपी है। दिल्ली कांड एवं उसके खिलाफ उठे आन्दोलनों के परिप्रेक्ष्य में भी कुरियन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी। ऊपर से कुरियन का बचाव करते हुए एक कांग्रेस एमपी ने सूर्यनेल्लि बलात्कार पीड़िता को वेश्या कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। इस पर सोनिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इतना ही नहीं सीबीआई निर्देशक ने यहां तक बक दिया कि यदि अत्याचारों का रोकथाम नहीं कर सकते हैं तो उनका मजा लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि अत्याचार निरोधक कानून के मद्देनजर उसे लड़कियों के साथ बात करने में भी डर लग रहा है। इस तरह की ऊल जलूल व्याख्याओं के खिलाफ देश भर में विरोध दर्ज हुआ। लेकिन सोनिया की सरकार ने इनके खिलाफ उफ तक नहीं की।

बलात्कारों को दमन के औजार के रूप में इस्तेमाल करने वाले, बलात्कार के आरोपियों को ऊंचे ओहदों पर बैठाने वाले क्या महिलाओं पर अत्याचारों के रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठायेंगे? क्या पीड़ितों को न्यूनतम न्याय पहुंचा सकते हैं? कतई नहीं।

इस संदर्भ में एक तर्क यह भी मजबूती से सामने आया कि चूंकि दिल्ली पुलिस के ज्यादातर जवान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा जिम्मेदारियों में हैं, इसलिए भी महिलाओं की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो

रही है। असल में सवाल यह है कि क्या पुलिस महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकती है? क्या यह सहीं नहीं कि पुलिस थाने अत्याचारों के अड्डे बन गये हैं। एक तरफ महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ आन्दोलन उफान पर थे कि दूसरी तरफ आन्ध्रप्रदेश के गुण्टूर, चित्तूर जिलों में शिकायत करने गयी महिलाओं का थाने में ही बलात्कार किया गया था। खाकी वर्दी को अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने वाले पुलिस बल महिलाओं की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं।

देश में हर मिनट में एक के हिसाब से घटित होने वाले बलात्कारों में से ज्यादातर की रिपोर्ट नहीं होती और वे इतिहास की अंधेरी गर्त में समा जाते हैं। जो भी उजागर होते हैं, बहुत कम ही मामले आन्दोलन का रूप लेते हैं। दिल्ली बलात्कार कांड के बाद देश भर में कई और घटनाएं हुई। बलात्कार के अपराध के लिए मौत की सजा देने वाले कानून के अमल में आने के बाद ही दिल्ली में 15 अप्रैल, 2013 को पांच साल की मासूम पर, नागपुर में 17 अप्रैल को चार साल की मासूम पर अत्याचार हुए। आत्याचार के आरोपियों में नाबालिगों सहित कई किस्म के हैं। दिल्ली में भी कई कांड हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकडों के अनुसार 1 जनवरी से 31 अगस्त, 2013 के बीच दिल्ली में बलात्कार के 1,121 मामले दर्ज हुए हैं। 15 अप्रैल को दिल्ली में पांच साल की मासूम के बलात्कार के खिलाफ एक बार और आन्दोलन हुआ। बाकी बलात्कारों के खिलाफ कोई आन्दोलन नहीं हुआ। उजागर होकर आन्दोलन का रूप अख्तियार करने वाले मामलों के संदर्भ में पुरूषों को जानवरों से बदतर बनाने वाली जहरीली संस्कृति के बारे में चर्चा करना जरूरी है। बलात्कार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात किये बगैर सिर्फ सजा के बारे में बात करने से ज्यादा फायदा नहीं है। सिर्फ सजा की मांग करने का मतलब है प्रतिशोध की मांग करना। यह अत्याचारों का ही अंत करने की सोच नहीं हो सकता है। ज्योतिसिंह ने अपने बलात्कारियों को जिंदा जलाने की मांग की थी। वो जिस अकथनीय व अकल्पनीय वेदना की शिकार हुई, उसके चलते उनकी ओर से इस तरह की मांग उठना स्वाभाविक है और इसे हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या यह सजा और कुछ बलात्कारों को रोक सकती है? ज्योतिसिंह यदि जीवित होती तो अपराधियों को दिये गये कठिन दण्ड से शायद वह कुछ राहत महसूस कर सकती थी लेकिन पूरी तरह उस हादसे को नहीं भुला सकती। वो कठिन दण्ड उनके मां–बाप को शायद कुछ हद तक सांत्वना दे सकते हैं लेकिन पुत्री वियोग को दूर नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद भी लगातार उजागर होते बलात्कारों के मामलों ने यह साबित किया कि ये कठिन दण्ड दूसरी महिलाओं को ज्योतिसिंह की तरह बलात्कार की शिकार होने से बचा नहीं सकते हैं। कोई अपराधी बनकर जन्म नहीं लेता है। समाज ही अपराधियों को तैयार करता है। अपराधी बनने की प्रक्रिया का मुकाबला किये बगैर सजाओं का डर दिखाकर अपराधों को रोक नहीं सकते। यदि अपराधी बनने की प्रक्रिया जारी रहेगी तो सबूतों को नष्ट करके, सजा से बचते हुए या सजा भुगतने तैयार होकर भी अपराधी अपराध करते रहेंगे। इसलिए गौर करने वाली बात यह है कि अपराधियों को नहीं अपराध का सफाया किया जाए।

महिलाओं पर अत्याचारों के रोकथाम के लिए आज हड़बड़ी में कानून बनाने वाली सरकार ने अब तक जो कानून अमल में हैं उनका कहां तक इस्तेमाल किया था? असल में आज यह स्थिति ही नहीं है कि कोई बलात्कार पीड़िता निड़र होकर अकेली थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करें। कोई हिम्मत करके केस दर्ज कराने की कोशिश भी करती है तो दोषियों से घूस लेने वाली पुलिस उसके लिए तैयार नहीं होती। जन आन्दोलन के दबाव में या किसी मजबूरी में केस दर्ज करती भी है तो उसे काफी कमजोर बनाती है। पुलिस के द्वारा कई अवरोध उत्पन्न किये जाते हैं। इन अवरोधों को पार करके यदि कोई केस कोर्ट तक पहुंच भी जाता है, वहां सालों–साल लंबित रहता है जो पीड़ितों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। सजाएं भी अपराध, अपराध के स्वाभाव व उसे अंजाम देने के तरीके पर आधारित न होकर अपराध करने वाले की हैसियत पर आधारित होती हैं। अपराधियों की जाति, वर्ग उनकी हैसियत, राजनीतिक संरक्षण आदि बातों पर निर्भर होकर सजाएं दी जाती हैं। इसलिए कई अपराधी अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके सजा से बचते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि 2009–11 के बीच देश भर में बलात्कार के 68 हजार केसें दर्ज हुए थे जबकि 16 हजार अपराधियों को ही सजा दी गयी थी। इनमें भी ज्यादातर नाम मात्र की सजाएं थी। फैसलों के खिलाफ उच्च व उच्चतम न्यायालयों में अपीलें भी की जाती हैं। वहां भी कई फैसले उलट जाते हैं। सूर्यनेल्लि बलात्कार मामले में 42 आरोपियों में से सिर्फ एक को सजा हुई, बाकी सब छूट गये।

जस्टिस वर्मा कमेटी ने यह व्याख्या की कि बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानूनों में कोई खामी नही है लेकिन उसके अमल में ही खामी है। यौन प्रताड़ना की शिकायतों को दर्ज करने में पुलिस की ओर से होने वाली कमियों व खामियों को लेकर इस कमेटी ने गंभीर आलोचना की।

इतने सालों से मौजूद कानूनों का सही ढंग से अमल न करते हुए, उनके अमल में ढ़िलाई बरतते हुए आज जन आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में तुरंत–फुरंत एक कानून बनाकर

शासक अपने असली चरित्र पर परदा डालना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उग्र जन आन्दोलन को समस्या की जड़ों तक जाने से रोकना एवं कानूनों से संतुष्ट करना भी शासकों का उद्देश्य है। दिल्ली बलात्कार कांड के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने अपनी बजट में निर्भया निधि के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आबंटन करने के पीछे भी वही उद्देश्य है। ऐसे कानून बनाने के पीछे वोट बैंक बढ़ाने का मकसद भी रहता है।

शासकों के इस तरह की साजिशों को हमें समझना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचारों के निवारण के लिए कठोर सजाओं का प्रावधान एवं बजट में आबंटन ही पर्याप्त नहीं हैं। हमें महिलाओं को भोगविलासिता की चीज के रूप में देखने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी जहरीली संस्कृति के खिलाफ लड़ना होगा।

आखिर, ज्योतिसिंह बलात्कार कांड के परिप्रेक्ष्य में लोगों की प्रतिक्रिया में दो परस्पर विरोधी रूख व्यक्त हुए हैं। ज्योतिसिंह एवं उनके दोस्त के ऊपर हमला करके आरोपियों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल करके सड़क पर फेंक दिया था। नग्न, खून से लथपथ दोनों ने मदद की गुहार लगायी थी। लेकिन कोई राहगीर उनकी मदद में आगे नहीं आया था। मूक दर्शक बने रहे। लेकिन बाद में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त हुई और आन्दोलन में उमड़ पड़े। इस परिप्रेक्ष्य में ज्योतिसिंह के दोस्त ने अपने आक्रोश को कुछ इस तरह व्यक्त किया– ''मोमबत्तियों के साथ प्रदर्शन करके मनुष्यों के रूख बदल नहीं सकते। सड़क किनारे मदद् का इंतजार करने वालों को सहायता पहुंचाइये। उस दिन यदि किसी एक ने भी हमारी गुहार सुन लिया होता तो आज परिस्थिति अलग ही होती।'' इस बात पर सभी को गौर करना चाहिए।

सामने वालों को मुसीबत में, मौत के कगार पर देखते हुए भी मदद में आगे न आने व मुंह मोड़कर जाने की एक उदासीन रवैये को शासक योजनाबद्ध तरीके से ही जनता में बढ़ावा दे रहे हैं। उसी का नतीजा है, ज्योतिसिंह एवं उनके दोस्त के प्रति राहगीरों में पहले व्यक्त उदासीनता। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि चाहे शासक जितनी भी साजिश रचे, उनके तैयार सांचे में ही सब के सब नहीं ढ़लेंगे। बाद का जनान्दोलन इसका मिसाल है। लेकिन ऐसे स्वस्फूर्त आन्दोलनों में सही दृष्टिकोण का अभाव होता है। ऐसे आन्दोलनों को सही वैश्विक दृष्टिकोण से लैस करने की जवाबदेही क्रांतिकारी आन्दोलन पर ही है। यहां इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि इस तरह की प्रतिक्रिया एवं स्वस्फूर्त आन्दोलन हर बार देखने को नहीं मिल रही है। ज्योतिसिंह के पहले और बाद में भी बलात्कार की कई घटनाएं हुई। खासकर आदिवासी, दलित महिलाओं पर अंतहीन अत्याचार जारी हैं। इनके प्रति देश के युवाओं में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। इन सब के खिलाफ आन्दोलित होने की चेतना से युवा वर्ग को लैस करने गंभीर प्रयास करने होंगे। सही सामाजिक दृष्टिकोण से युवा वर्ग को लैस करेंगे, तभी युवा शक्ति का सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

महिलाओं पर जारी लैंगिक अत्याचारों सहित सभी किस्म के जुल्मों को खत्म करने के लिए हमारे देश में महिला मुक्ति आन्दोलन जारी है। पितृसत्ता को अपने शोषण का मजबूत औजार बनाने वाले सामंतवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद ही महिलाओं पर जारी सभी तरह के जुल्मों की जड़ हैं, इस स्पष्ट समझदारी के साथ इन्हें लक्ष्य बनाकर महिला आन्दोलन आगे बढ़ रही है। महिलाओं पर अत्याचारों के अंत का नारा लगाने वाली तमाम महिलाओं को इस आन्दोलन से जुड़ना चाहिए और संघर्ष को जारी रखना चाहिए। तभी ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जहां महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। ★

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। जो पार्टी दृढ़ रूप से माओ विचारधारा पर आधारित है, आत्म बलिदान से प्रेरित लाखों लाख मजदूर किसान व मध्यम वर्गीय युवकों द्वारा गठित है, जिस पार्टी के अंदर आलोचना और आत्म–आलोचना का पूर्ण जनवादी अधिकार है, और जिस पार्टी के सदस्यों ने अपनी इच्छा से तथा स्वतंत्र रूप से अनुशासन मान लिया है, जो पार्टी सिर्फ ऊपर का हुक्म मानकर ही नहीं चलती, स्वतंत्र रूप से हर एक निर्देश को जानती है और क्रांति के स्वार्थ में गलत निर्देश का खंडन करने से नहीं हिचकती, जिस पार्टी के हर एक सदस्य अपनी इच्छा से काम चुन लेते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक सबको समान महत्व देते हैं, जिस पार्टी के सदस्य किसी भी हालत में हताश नहीं होते, किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं डरते, उसे हल करने को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही एक पार्टी देश के विभिन्न वर्गो व मतों के लोगों के एकताबद्ध मोर्चे का गठन कर सकती है, ऐसी ही एक क्रांतिकारी पार्टी भारतवर्ष की क्रांति को सफल बना सकती है।

–कामरेड़ चारू मजुमदार

खाद्य सुरक्षा कानून की असलियत

यह कहते हुए कि देश का कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं तड़पेगा, यूपीए–2 सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। सोनिया गांधी की मानस पुत्री के रूप में वर्णित इस योजना को दुनिया भर में गरीबी को दूर करने के लिए अमल में लायी गयी तमाम योजनाओं की अपेक्षा सबसे बड़ी कहकर यूपीए सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। असल में 2009 के चुनावों के मौके पर अपने चुनाव घोषणा पत्र में यूपीए ने खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया था। सौ दिनों के भीतर ही कानून बनाने की बात तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही थी। लेकिन इधर–उधर के कारण बताकर इतने साल तक उसे लटकाये रखा। आखिर पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, उन चुनावों में फायदा उठाने के चक्कर में अगस्त, 2013 में कांग्रेस नीत यूपीए ने यह कानून बनाया।

क्या सही में यह योजना भूख की आग को मिटा सकती है? गरीबी का उन्मूलन कर सकती है? इसका अवलोकन करने के पहले देश में भूख और गरीबी की स्थिति पर एक नजर डालते हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में गरीबी के स्तर का हिसाब करने के लिए सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गरीबी के स्तर का हिसाब करने शासकों ने कई समितियां गठित की। इन कमेटियों के द्वारा अपनाये गये पैमाने एवं उनके निर्धारण अलग–अलग हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी जिसने असंगठित क्षेत्र का अवलोकन किया था का कहना है कि देश के 77 फीसदी लोग प्रति दिन 20 रुपये की आय पर जीवनयापन कर रहे हैं। देश के गरीबों की संख्या को वाद्वा कमेटी ने 70 फीसदी, सक्सेना कमेटी ने 50 फीसदी, टेंडुल्कर कमेटी ने 37 फीसदी निर्धारित किया था। इन सब को खारिज करते हुए योजना आयोग ने देश में सिर्फ 33 फीसदी गरीब होने की बात कही। गरीबी का आंकलन लगाने योजना आयोग ने जो मानक तय किया था उसके मुताबिक प्रतिदिन 22 रुपये खर्च करने वाले शहरवासी और प्रतिदिन 15 रुपये खर्च करने वाले ग्रामीण गरीब नहीं कहलायेंगे। ताजा स्थिति के अनुसार इसमें संशोधन करते हुए शहरी गरीबों के निर्धारण के लिए 29 रुपये एवं ग्रामीण गरीबों के निर्धारण के लिए 22 रुपये तय किया गया है। आज की आसमान छूती महंगाई के दिनों में अन्य न्यूनतम जरूरतों को छोड़ भी दें, तब भी 29 रुपये तीनों पहर पेट भर खाने की पूर्ति नहीं होते हैं। देश के विकास के बारे में शासकों के द्वारा किये जा रहे अनर्गल प्रचार को सही ठहराने एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए किये जाने वाले खर्च में कटौती करने के लिए ही शासक वास्तविक आंकडों में हेराफेरी करके गरीबी को कम करके दिखाते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर तीन गरीबों में एक भारत का है।

गरीबी के फलस्वरूप देश की बहुसंख्यक जनता की जीवन परिस्थितियां अत्यंत हीन स्तर पर हैं। विश्व भूख सूचकांक (जीएचआई) भूख के लिए तीन मानक लेती है।

1) पौष्ठिक आहार की कमी 2) कम वजन के बच्चे 3) शिशु मृत्यु दर। यदि जीएचआई कम है तो माना जाता है कि उस देश में गरीबी कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005–06 के अनुसार हमारे देश में 35 माह की उम्र के 78.9 फीसदी बच्चें एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं। तीन साल से कम उम्र के 40.4 फीसदी बच्चों का कम वजन के चलते सही विकास नहीं हुआ है। पोषकाहार की कमी के चलते हमारे देश में हर साल पांच साल से कम उम्र के 14 लाख बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। पूरी दुनिया में पोषकाहार के अभाव में मरने वाले बच्चों का 40 फीसदी हमारे देश के ही हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो के आंकडों के मुताबिक हमारे देश की 76.8 फीसदी जनता को आवश्यक मात्रा में पोषकाहार उपलब्ध नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया भर के भूख से पीड़ितों का 25 फीसदी हिस्सा हमारे देश में ही है। हमारे देश की भूख की स्थिति को समझने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि टीबी, मलेरिया, एड़स आदि बीमारियों की तुलना में भूख से होने वाली मौतें अधिक हैं।

66 साल के 'आजाद भारत' के द्वारा हासिल 'प्रगति' यही है। इन आंकडों से यह स्पष्ट होता है कि सालों से विकास व कल्याण की जो बातें शासक कर रहे हैं वो कोरी बकवास ही है।

क्यों देश की जनता भूख से इतनी तड़प रही है? देश में क्या फसलें नहीं उग रहे हैं ? ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि शासक खुद ही कह रहे हैं कि अनाज के उत्पादन में स्वयंसमृद्धि हासिल हुई है। यानी देश में अनाज की कमी नहीं है। लेकिन वह जनता तक नहीं पहुंच रहा है। एक तरफ लोग भूख से तड़प रहे हैं तो दूसरी ओर गोदामों में 10 लाख टन अनाज सड़ गया है। गोदामों में सड़े हुए अनाज को गरीबों के बीच बांटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार के कानों में जूएं तक नहीं रेंग रहे हैं। अब खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है। इस कानून के मुताबिक देश के ग्रामीण आबादी के 75 फीसदी एवं शहरी आबादी के 50 फीसदी लोगों को पांच किलो प्रतिमाह चावल, गेहूं या रागी सब्सिडी दरों पर– 3 रु. प्रति

किलो चावल, 2 रु. प्रति किलो गेहूं , 1 रु. प्रति किलो रागी उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विगत के ही समान 35 किलो चावल, सब्सिडी दर पर गेहूं उपलब्ध होंगे। गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को 6 हजार रुपये किश्तों में दिये जाएंगे। छह माह से छह साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी के जरिए पका हुआ खाना दिया जायेगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शाला में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे लोग जो योग्य हैं लेकिन जिन्हें खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो सका, खाद्य सुरक्षा भत्ता हासिल कर सकते हैं। रेशन कार्ड में महिला को ही परिवार की यजमान के रूप में चिन्हित करते हैं। नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ न्यूट्रिशन के अनुसार एक युवा व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2,500 कैलरियों की जरूरत होती है। गरीबी रेखा के नीचे वालों को निर्धारित करने के लिए मानक के रूप में मनुष्य के लिए आवश्यक कैलरियों को लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या को कम करके दिखाने के लिए सरकार ने मनुष्य के लिए आवश्यक कैलरियों की संख्या को भी घटा रही है, जो कि घटिया तरीका है। 1977–78 में बीपीएल के निर्धारण के लिए 2,170 कैलरियों को आधार माना गया। यानी प्रतिदिन 2,170 कैलरियों की ताकत देने वाले खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने लायक आर्थिक स्थिति जिनकी हैं वे बीपीएल के दायरे में नहीं आयेंगे। कैलरियों के मानक को लगातार कम करते जा रहे हैं। 1983 में 2,060 कैलरी, 1993–94 में 1980 कैलरियों एवं 2004–05 में 1,820 कैलरियों को बीपीएल के मानक के रूप में तय किया गया था।

बीपीएल के निर्धारण के लिए आधार जैसा भी हो, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो मानक तय किया, उसके मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रति व्यक्ति को प्रति माह मिलने वाले 5 किलो अनाज यानी प्रतिदिन 165 ग्राम से प्रति दिन मात्र 350 कैलरियों की शक्ति ही मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलरियों का मात्र 14 फीसदी ही उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, क्या भूख मिटाने के लिए सिर्फ चावल, गेहूं या रागी ही पर्याप्त हैं? क्या दाल, तेल आदि की जरूरत नहीं होती? न्यूनतम स्तर पर भी भूख न मिटा सकने वाली योजना को खाद्य सुरक्षा का नाम देने का मतलब है गरीबों की भूख का उपहास उड़ाना। हालांकि खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में कांग्रेस नेताओं ने बढ़ा–चढ़ाकर प्रचार किया था, लेकिन यह जनता की न्यूनतम खाद्य जरूरतों की भी पूर्ति नहीं कर सकता है।

शोषक–शासक वर्गों के द्वारा जनता व देश की बेरोकटोक लूट के चलते ही देश में इस कदर गरीबी बढ़ गयी है। पिछले 66 सालों के 'आजाद' भारत पर चूंकि कांग्रेस ने ही आत्यधिक समय शासन किया था, इसलिए इस लूट–खसोट को जारी रखने में कांग्रेस की ही मुख्य भूमिका रही। देश में सत्तारूढ़ रहते हुए कांग्रेस ने शोषक–शासक वर्गों के हितों, खासकर साम्राज्यवादियों के हितों की पूर्ति करने वाली कई जन विरोधी नीतियों पर अमल करके देश को अंधेरी गर्त में धकेला। अपने शोषक परस्त व जन विरोधी चरित्र पर परदा डालने के लिए इस तरह की योजनाएं बनायी थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं तमाम शासक वर्गीय पार्टियों का यही हाल है कि जनता को भरमाने वाली योजनाओं को सामने लाओ और अपना उल्लू सीधा करो।

यहां सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है? प्रधान मसला यह है कि किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी सत्ता में है? इस आधार पर देखने से कांग्रेस, भाजपा, वाम दल, सपा, बसपा, तृणमूल आदि तमाम संसदीय पार्टियां शोषक वर्गों व साम्राज्यावादियों के हितों को साधने वाली ही हैं। उनकी सेवा करने वाली ही हैं। केंद्र या राज्यों में सत्ता में रहते हुए इन तमाम पार्टियों ने इस बात को साबित किया है।

पांच किलो चावल प्रति माह किसे देने के लिए यूपीए सरकार ने यह कानून बनाया? हमारा देश कृषि प्रधान है। करीबन 65 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर होकर जीवनयापन कर रहे हैं। यानी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभ पाने वाले मुख्यतः गरीब किसान व खेत मजदूर ही हैं। देश के अन्नदाता किसानों को प्रतिमाह 5 किलो चावल के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाने की दुस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? शासकों के द्वारा अपनायी जा रही साम्राज्यवादी परस्त व किसान विरोधी नीतियों के चलते कृषि क्षेत्र संकट ग्रस्त हो गया है। नतीजतन, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिशाहीन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्योरो के 2012 के आंकड़ों के अनुसार 1995–2012 के बीच देश भर में 2,84,694 किसानों ने आत्महत्या की। उन आत्महत्याओं की कोई गिनती नहीं है जो रिकॉर्डों में दर्ज नहीं हैं। कृषि संकट के चलते एक ओर बड़े पैमाने पर किसान की आत्महत्याएं जारी हैं तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर किसान खेती से दूर हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक विगत 20 सालों में औसतन हर दिन 2035 किसानों ने किसानी छोड़ी। 2001 और 2011 की जनगण्ना के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विगत 10 सालों में 7 प्रतिशत से भी ज्यादा किसानों की संख्या कम हुई है। विकास के नाम पर निर्मित हो रहे विशेष आर्थिक जोनों, वृहत् परियोजनाओं के चलते भी कृषि क्षेत्र को धक्का पहुंच रहा है। जनता की आजीविका नष्ट हो रही है। कृषि क्षेत्र को संकट में धकेल कर, किसानों को कृषि से अलग करके, उनकी आजीविका

को छीनकर अब 5 किलो चावल प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। यह किसानों को भिखमंगा बनाने की साजिश है। किसान अपनी मेहनत से जो फसल उगाता है उसे उन्हें भिक्षा में देने की योजना अमल में लायी जा रही है। आज देहात में सबसे महत्वपूर्ण व प्रधान समस्या है, जमीन की समस्या यानी भूमि सुधार की समस्या। सैकड़ों हजार एकड़ की नामी, बेनामी जमीन जमींदारों के पास केंद्रीकृत है। जोतने वालों को जमीन के उसूल पर आधारित भूमि सुधार को अमल करते हुए भुस्वामियों की जमीन को बिना मुआवजा दिये भूमिहीन व गरीब किसानों के बीच बांटने की जरूरत है। लेकिन शासक वर्ग इसके लिए तैयार नहीं। एक और बड़ी समस्या है सिंचाई। साथ ही फसलों का सही समर्थन मूल्य का न मिलना। अनाज, दलहन, तिलहन सहित किसानों के सभी फसलों को सस्ते में खरीद कर दलाल व्यापारी ऊंचे दामों पर बेचकर करोडों रुपये कमा रहे हैं जबकि किसान कर्ज में डूब रहे हैं। यदि किसानों के लागत खर्च को कम करने, उनके फसलों के लिए उचित समर्थन मूल्य घोषित करके तद्वारा कर्ज में डूबने से बचाने की किसान अनुकूल नीतियों को अपनाया जाता है तो किसानों के लिए एक रुपया, दो रुपये, तीन रुपये की दर पर पांच किलो, 35 किलो चावल देने जैसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें किसानों की खुशहाली के बारे में न ही सोचती और न ही कोई अनुकूल योजना बनाकर अमल में लाती है।

सिर्फ किसानों को ही नहीं, देश के सभी क्षेत्रों की परिस्थिति भी बदतर होती जा रही है। नई आर्थिक नीतियों के कारण छंटनी होकर मजदूर सड़क पर आ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सालों से रिक्त पदों की भर्ती स्थायी तौर पर न करते हुए दैनिक वेतनभोगी, संविदा नियुक्ति आदि तरीकों में कम वेतन पर अस्थायी नियुक्तियां कर रहे हैं। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। ताजा हालात यह है कि खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को अनुमति देने से चार करोड़ परिवारों की आजीविका छिन गयी है। दूसरी ओर महंगाई आसमान छू रही है। फलस्वरूप अधिसंख्यक जनता को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इस तरह एक ओर जनता की आजीविका को छीनते हुए, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करते हुए उन्हें भूख से तड़पाते हुए फिर दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं से पेट भरने की बातें करना सरकारों के लिए शर्मनाक है। यदि सभी क्षेत्रों को सही तरीके से विकसित करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ा दिये जाते हैं, महंगाई को नियंत्रित किया जाता है तो सस्ते मूल्य की योजनाओं की दरकार नहीं होती। लेकिन ये सरकारें लुटेरी हैं। जनता के असली विकास से इन्हें कोई लेना–देना नहीं है। दरअसल जनता के स्वावलंबन को खत्म करके उन्हें शोषक–शासक वर्गों के हितों के अनुरूप ढ़ालने के लिए ही, उनकी दया पर निर्भर करने लायक बनाने पर ही सरकारों का ध्यान है और उनकी योजनाएं इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं। सही जन कल्याण के लिए जरूरी सही विकास जो स्वावलंबन पर आधारित हो, की ओर न जाकर अस्थायी व छोटे–छोटे फायदों से जनता को ठंडा करने का प्रयास करती हैं। शासकों को डर है कि यदि इस तरह के प्रयास नहीं करते तो जनता में व्याप्त आक्रोश फूट सकता है। शासक वर्ग इस तरह की योजनाओं के द्वारा जनता के एक तबके को अलग करके अपने अनुकूल ढ़ालने का मकसद भी रखते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जनता की आजीविका को छीनने की नीति हो या जनता के सामने टुकड़े फेंकने की योजनाएं हो विकास की आड़ में ही अमल में लायी जाती हैं।

यह कब का स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकारें असली विकास के लिए कोशिश नहीं करेंगी। कुछ क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसी सब्सिडी योजनाओं के द्वारा जनता को कुछ हद तक राहत मिलती है तब भी यह सोच नहीं सकते कि ये योजनाएं ठीक–ठाक अमल होंगी। जनता की आकांक्षाओं व जन आन्दोलनों की मांग व दबाव के फल स्वरूप अमल में लायी जाने वाली योजनाओं का लाभ सही ढंग से गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कई लोगों को बीपीएल कार्ड नसीब नहीं है। योजना आयोग ने यह खुलासा किया कि बीपीएल के नीचे के 58 फीसदी लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा अब तक अमल में मौजूद सब्सिडी खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच रहे हैं। इन योजनाओं में मंत्री, सचिव, कलेक्टर से लेकर गांव स्तर पर सरपंच, सचिव तक सभी का हिस्सा होता है। जितना संभव हो ये निगल जाते हैं तब बचा–खुचा लोगों को मिलता है।

उत्पीड़ित जनता को शासकों के द्वारा अमल में लायी जा रही इस तरह की सस्ती लोकप्रियता की एवं जनाकर्षक योजनाओं के पीछे की असलियत को समझना चाहिए। इन योजनाओं से संतुष्ट न होकर अपने जीवन व समाज में मूलभूत बदलाव के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। क्रांतिकारी भूमि सुधारों यानी जोतने वालों को जमीन के लिए, कृषि लागत खर्च को कम करने, फसलों के उचित समर्थन मूल्य के लिए, विस्थापन के विरोध में, वनोंपजों के उचित समर्थन मूल्य के लिए, इज्जत से जीने के रोजगार के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा। वर्तमान में भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी सशस्त्र क्रांति जो कि भारत की नवजनवादी क्रांति की धुर है, का हिस्सा बनकर आगे बढ़ना होगा। ★

सैद्धांतिक लेख

पार्टी के भीतर गलत विचारों को सुधारने के बारे में

–कॉमरेड माओ

(दिसम्बर,1929 का यह एक प्रस्ताव है जिसे कॉमरेड माओ त्सेतुङ ने लाल सेना की चौथी फौजी कोर की नवीं पार्टी कांग्रेस के लिए लिखा था। चीनी जनता की सैन्यशक्ति का निर्माण करने का कार्य एक कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। चीन की लाल सेना (जो जापानी आक्रमण–विरोधी युद्ध के समय आठवीं राह सेना और नई चौथी सेना कहलाई तथा अब जनमुक्ति सेना कहलाती है) की स्थापना 1 अगस्त 1927 को नान छाङ विद्रोह के समय की गयी थी, और दिसम्बर, 1929 तक उसे कायम हुए दो साल से ज्यादा समय हो चुका था। इस अवधि में लाल सेना के अन्दर मौजुद कम्युनिस्ट पार्टी संगठन ने विभिन्न प्रकार के गलत विचारों का विरोध करते हुए कुछ सीखा और काफी समृद्ध अनुभव प्राप्त किये। कॉमरेड माओ त्सेतुङ द्वारा लिखा गया प्रस्ताव इन्हीं अनुभवों का सारतत्व है। इस प्रस्ताव ने लाल सेना के निर्माण काम को पूरी तरह मार्क्सवाद–लेनिनवाद के आधार पर जमा दिया और पुरानी किस्म की फौज के सभी असरात खत्म कर दिये। इस प्रस्ताव को सिर्फ लाल सेना की चौथी फौजी कोर में ही नहीं, बल्कि आगे–पीछे लाल सेना की सभी युनिटों में अमल में लाया गया। इस तरह समूची चीनी लाल सेना पूरी तरह और सही मायने में जनता की फौज बन गई। पिछले बीस वर्ष से कुछ अधिक समय में, चीनी जनता की सेना ने अपनी पार्टी–सरगरमियों और राजनीतिक काम में बहुत बड़ी प्रगति की है और नया सृजन किया है। अतः रंगरूप बदलकर बिलकुल नया हो गया है, लेकिन बुनियादी कार्यदिशा अब भी वही है जिसे इस प्रस्ताव में निर्धारित किया गया था।)

लाल सेना की चौथी कोर के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी संगठन में तरह–तरह के गैरसर्वहारा विचार मौजुद हैं जो पार्टी की सही कार्यदिशा को लागू करने में बहुत अड़चने डालते हैं। अगर उन्हें पूरी तरह न सुधारा गया, तो निश्चय ही लाल सेना की चौथी फौजी कोर वे उत्तरदायित्व नहीं सम्भाल पाएगी जिन्हें चीन के महान क्रान्तिकारी संघर्ष ने उसे सौंपा है। चौथी कोर की पार्टी संगठन में मौजुद विभिन्न गलत विचारों की जड़ अवश्य ही यह है कि उसकी बुनियादी इकाई में अधिकांश लोग किसान और निम्न पूंजिपती वर्ग के अन्य हिस्सों से आए हुए हैं; फिर भी पार्टी के नेतृत्वकारी संगठनों द्वारा इन गलत विचारों के खिलाफ एकजुट होकर और डटकर काफी संघर्ष न करना और सही कार्यदिशा के बारे में सदस्यों को पर्याप्त शिक्षा न देना ऐसे गलत विचारों के कायम रहने और बढने का एक महत्वपूर्ण कारण है। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सितम्बर के पत्र की भावना के अनुरूप, यह कांग्रेस बतलाती है कि चौथी फौजी कोर के पार्टी संगठन में विभिन्न गैर–सर्वहारा विचारों की अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है, उनके स्रोत क्या हैं, और उन्हें कैसे सुधारना चाहिए तथा तमाम साथियों का आह्वान करती है कि वे ऐसे विचारों को पुरी तरह नेस्तनाबूद कर दें।

विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण के बारे में

लाल सेना के अनेक साथियों में विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण असाधारण रूप से फैला हुआ है। वह इन रूपों में प्रकट होता है।

(1) वे सभी फौजी मामलें और राजनीति को परस्पर एक दुसरे का विरोधी समझते हैं और यह मानने से इन्कार करते हैं कि फौजी मामलें महज राजनीतिक कार्य पूरे करने के अनेक उपायों में से ही एक उपाय है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि अगर तुम फौजी मामले में अच्छे होंगे, तो स्वाभविक रूप से राजनीति में भी अच्छे हो जाओगे, अगर तुम फौजी मामलों में अच्छे नहीं होंगे, तो राजनीति में भी अच्छे नहीं होंगे। यह एक और कदम आगे बढ़कर राजनीति को फौजी मामले के मातहत रख देना है।

(2) वे यह समझते हैं कि लाल सेना का कार्य श्वेत सेना के कार्य की ही तरह केवल युद्ध करना है। वे यह नहीं समझ पाते कि चीनी लाल सेना क्रांति के राजनीतिक कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक सशस्त्र संगठन है। खास तौर से इस समय लाल सेना को निश्चय ही अपनी गतिविधियां सिर्फ लड़ने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। शत्रु के सैन्य–बल को चकनाचूर करने के लिए लड़ने के अलावा उसे ऐसे महत्वपूर्ण काम भी सम्भाल लेने चाहिए जैसे जनता में प्रचार करना, उसे संगठित करना, उसे हथियारबंद करना तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक सत्ता कायम करने में और कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन कायम करने में उसकी मदद् करना है। जब लाल सेना लड़ती है तो वह केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ती बल्कि आम जनता में प्रचार करने के लिए, आम जनता को संगठित करने के लिए, उसे हथियारबंद करने के लिए और क्रान्तिकारी राजनीतिक सत्ता कायम करने में उसकी मदद् करने के लिए लड़ती है। ऐसे उद्देश्य को छोड़कर लड़ना एकदम निरर्थक हो जाता है और लाल सेना के रहने का कोई कारण नहीं रह जाता।

(3) इसलिए, ये साथी संगठनात्मक रूप से लाल सेना के राजनीतिक काम करने वाले विभागों को फौजी काम करने वाले विभागों के मातहत रख देते हैं और यह

नारा देते हैं: ''फौजी हेडक्वार्टर को फौज के बाहर के मामले निपटाने दो।'' यदि यह विचार और भी बढ़ता गया, तो इसकी वजह से आम जनता से अलगांव होने, राजसत्ता पर फौज का नियंत्रण कायम होने और सर्वहारा नेतृत्व से हट जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। यह कोमिन्तांग सेना की तरह युद्धप्रतिवाद की राह पर चलना होगा।

(4) इसके साथ ही प्रचार–कार्य में वे लोग प्रचार दलों के महत्व पर ध्यान नहीं देते। जन संगठन के बारे में, वे लोग फौज में सिपाही–कमेटियों के संगठन कार्य और स्थानीय मजदूर–किसानों के संगठन कार्य की उपेक्षा कर देते हैं। इसके फलस्वरूप प्रचार–कार्य और संगठन–कार्य दोनों को ही तिलांजलि दे दी जाती है।

(5) वे लोग लड़ाई जीतने पर घमंड से भर जाते हैं और हारने पर पस्त हो जाते हैं।

(6) स्वार्थपूर्ण विभागवाद–यानी वे लोग केवल चौथी फौजी कोर के हितों को ध्यान में रखते हैं और यह नहीं समझ पाते कि स्थानीय जनसमुदाय को हथियारबन्द करना लाल सेना का महत्वपूर्ण कार्य है। यह संकीर्ण ग्रुपवाद का ही एक बढ़ा–चढ़ा रूप है।

(7) चौथी फौज के सीमित वातावरण से आगे न देख सकने के कारण चन्द साथियों का यह विचार है कि दूसरी कोई भी क्रान्तिाकारी शक्ति मौजुद नहीं है। इसलिए यह विचार उनके दिमाग में गहरी जड़े जमा चुका है कि अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा जाए और लड़ाई से बचा जाए। यह अवसरवाद का असर है।

(8) कुछ साथी मनोगतवाद और वस्तुगत परिस्थितियों को भुला कर क्रान्ति के प्रति उतावलेपन का शिकार हो जाते हैं, वे आम जनता में छोटे–छोटे और बारीक काम करने का झंझट उठाने से कतराते हैं तथा दिन–रात हवाई मन्सूबे बांधते रहते हैं। वे सिर्फ बड़े–बड़े काम ही करना चाहते हैं। यह मुहिमजोई का अवशेष[1] है।

विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण के स्रोत ये हैं:

(1) निम्न राजनीतिक स्तर। इसके परिणामस्वरूप हमारे कुछ साथी फौज में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका को नहीं पहचान पाते तथा यह नहीं समझ पाते कि लाल सेना और श्वेत सेना बुनियादी तौर से अलग–अलग हैं।

(2) भाड़े की सेना की मनोवृत्ति। पिछली लड़ाईयों में पकड़े गए दुश्मन के बहुत से सैनिक लाल सेना में शामिल हो गए हैं। ऐसे लोग भाड़े की सेना की गहरी मनोवृत्ति भी अपने साथ लाते हैं। इस तरह उनके कारण विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण के लिए साधारण सैनिकों में एक आधार बन जाता है।

(5) पिछले दो कारणों से एक नया कारण पैदा हो जाता है यानी सैन्य शक्ति में अत्याधिक विश्वास होना और आम जनता की शक्ति में विश्वास का अभाव होना।

(6) पार्टी काम व फौजी काम पर सक्रिय रूप से ध्यान न दे पाने और बहस न कर पाने से कुछ साथियों में भी विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है।

इसमें सुधार के उपाय इस प्रकार हैं:–

(1) शिक्षा के द्वारा पार्टी के अन्दर राजनीतिक स्तर को ऊंचा करो, जिससे कि विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण की सैद्धांतिक जड़ों को उखाड़ फेका जाए तथा लाल सेना और श्वेत सेना के बुनियादी फर्क को साफ–साफ पहचान लिया जाए। साथ ही अवसरवाद और मुहिमजोई के अवशेषों को खत्म कर देना चाहिए और चौथी फौजी कोर की स्वार्थपूर्ण विभागवाद को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए।

(2) अफसरों और सिपाहियों की राजनीतिक शिक्षा को, विशेषकर भूतपूर्व बन्दी सैनिकों की राजनीतिक शिक्षा को तेजी से बढ़ाओ। साथ ही स्थानीय सरकारों द्वारा संघर्ष के अनुभव से सम्पन्न मजदूरों और किसानों को चुनकर हर मुमकिन तरीके से लाल सेना में भर्ती कराना चाहिए, जिससे कि विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण की जड़ को संगठनात्मक रूप से कमजोर बनाया जा सके और यहां तक कि उसे उखाड़ा जा सके।

(3) स्थानीय पार्टी संगठनों को इस काम के लिए उत्साहित करो कि वे लाल सेना के पार्टी–संगठनों की आलोचना करें, तथा जनता की राजनीतिक सत्ता के संगठनों को इस बात के लिए उत्साहित करो कि वे लाल सेना की आलोचना करें, जिससे कि लाल सेना के पार्टी–संगठनों पर और लाल सेना के अफसरों व सिपाहियों पर असर पड़े।

(4) पार्टी को चाहिए कि वह फौजी काम पर सक्रिय रूप से ध्यान दे और उस पर विचार–विमर्श करे। पार्टी द्वारा विचार किये जाने और फैसले लिए जाने के बाद ही सारा काम साधारण सैनिकों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

(5) लाल सेना के नियम–विनियम तैयार करो जिसमें उसके कर्तव्यों, उसकी फौजी मशिनरी और राजनीतिक मशिनरी के सम्बन्धों, सिपाही व कमेटीयों के कर्तव्यों तथा फौजी व राजनीतिक संगठनों से उनके सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

अतिजनवाद के बारे में

जब से लाल सेना की चौथी फौजी कोर ने पार्टी की केन्द्रीय कमेटी को स्वीकार कर लिया है, तब से अतिजनवाद की अभिव्यक्ति काफी कम हो गयी है। मिसाल के लिए, पार्टी के फैसले अब काफी अच्छी तरह से अमल में लाये जा सकते हैं, अब कोई इस तरह का गलत प्रस्ताव पेश नहीं करता कि लाल सेना जनवादी केन्द्रीयता नीचे से ऊपर की ओर लागु की जाए, अथवा सभी समस्याओं के

बारे में पहले निचले स्तर के संगठनों को बहस करने दी जाय और फिर ऊपरी स्तर के संगठनों को फैसला करने दिया जाए। लेकिन वास्तव में ऐसी अभिव्यक्ति का कम होना महज अस्थाई और ऊपरी है कि अतिजनवादी विचार अब निर्मूलन कर दिए गये हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से साथियों के दिमाग में अतिजनवाद की जड़ें अब भी बहुत गहरी जमी हुई हैं। पार्टी के फैसलों पर अमल करने में तरह–तरह की आनाकनी करना इसका एक सबुत है।

इसमें सुधार के उपाय इस प्रकार हैं:

(1) सिद्धांत के क्षेत्र में अतिजनवाद की जड़ें काट दो। पहले यह बता दिया जाए कि यह पार्टी संगठन को हानी पहुंचाता है अथवा पूरी तरह नष्ट भी कर देता है, और पार्टी की जुझारू क्षमता को कमजोर बना देता है, अथवा पूरी तरह तहस–नहस भी कर देता है तथा पार्टी को अपने जुझारू कार्य पूरे करने में बिलकुल असमर्थ बना देता है, और इस प्रकार क्रान्ति की पराजय का कारण बन जाता है। दूसरे यह बता दिया जाए कि अतिजनवाद का स्रोत है–अनुशासन के प्रति निम्नपूंजीपति वर्ग की व्यक्तिवादी अरुचि। जब यह प्रवृत्ति पार्टी के भीतर आ जाती है, तो वह राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से अतिजनवादी विचारों में विकसित हो जाती है। ये विचार सर्वहारा विचार के जुझारू कार्यों से कतई मेल नहीं खाते।

(2) संगठन कार्य के क्षेत्र में, केन्द्रित निर्देशन के अधीन जनवाद पर सख्ती से अमल करो। इसे निम्नलिखित कार्यदिशाओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिए :

(क) पार्टी के नेतृत्वकारी संगठनों को चाहिए कि वे निर्देश की सही कार्यदिशा अपनाए और जब भी समस्याएं उठ खड़ी हो तो उसका समाधान करने के लिए उपाय निकालें, जिससे कि वे आगे आपको नेतृत्व केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकें।

(ख) ऊपर के संगठन को यह मालुम होना चाहिए कि नीचे के संगठनों की हालत क्या है और जनता के जीवन की हालत क्या है, जिससे कि सही निर्देशन के लिए उन्हें वस्तुगत आधार मिल सके।

(ग) किसी भी स्तर के पार्टी संगठन को बिना यथेष्ट विचार किए फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन एक बार फैसला कर लेने पर उसे दृढता से अमल में लाना चाहिए।

(घ) ऊपर के पार्टी–संगठनों ने ज्यादा महत्व के जो भी फैसले किए हों, उन्हें तुरंत नीचे के संगठनों और आम पार्टी–सदस्यों तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसका तरीका है–सक्रिय तत्वों की मीटिंग बुलाना, अथवा यहां तक कि पूरे कालम[2] के पार्टी सदस्यों की भी मीटिंग बुलाना (जब भी परिस्थिति उपयुक्त हो) और ऐसी मीटिंग में रिपोर्ट पेश करने के लिए लोगों की नियुक्ति करना।

(च) पार्टी के निचले संगठनों और आम पार्टी सदस्यों को चाहिए कि वे ऊपर के संगठनों के निर्देशों पर विस्तार से विचार करें जिससे कि वे उनका महत्व पूरी तरह समझ सके और यह तय कर सकें कि उन्हें अमल में लाने के तरीके क्या होंगे।

संगठनात्मक अनुशासन की अवहेलना के बारे में

चौथी फौजी कोर के पार्टी–संगठन में संगठनात्मक अनुशासन की अवहेलना की प्रवृत्ति इन रूपों में प्रकट होती है :

(क) अल्पमत का बहुमत के अधिन न होना। मिसाल के लिए, जब अल्पमत वाले यह देखते हैं कि उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, तो वे पार्टी संगठन के फैसले को सच्चे दिल से अमल मे नहीं लाते।

इनमें सुधार के उपाय इस प्रकार हैं :

(1) मीटिंग में सभी लोगों को अपनी राय यथेष्ट रूप से जाहिर करने देना चाहिए। विवादास्पद सवालों के सही और गलत पहलुओं पर समझौते या लाग–लपेट के बिना स्पष्ट कर देना चाहिए। स्पष्ट नतीजे पर पहुंचने के लिए, जो बात एक मीटिंग में तय न हो उस पर दूसरी मीटिंग पर विचार कर लेना चाहिए (बशर्ते कि काम में हर्ज न हो)।

(2) पार्टी–अनुशासन की यह मांग है कि अल्पमत वाले बहुमत वालों की मानें। अगर अल्पमत वालों का सुझाव रद्द कराया जाये, तो अल्पमत वालों को चाहिए कि वे बहुमत द्वारा स्वीकृत फैसले का समर्थन करें। जरूरत हो तो दूसरी मीटिंग में इस सवाल को बहस के लिए फिर उठा सकते हैं, लेकिन इसके सिवा उन्हें इस फैसले के खिलाफ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए।

(ख) संगठनात्मक अनुशासन की अवहेलना करके आलोचना करना :

(1) पार्टी के भीतर की जाने वाली आलेाचना पार्टी–संगठन को मजबुत करने और उसकी जुझारू क्षमता को बढाने का साधन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लाल सेना के पार्टी–संगठन में सदैव ही ऐसी आलोचना होती हो, और कभी–कभी वह व्यक्तिगत आक्षेपों का रूप ले लेती है। नतीजा यह होता है कि उससे व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पार्टी संगठन को भी नुकसान पहुंचता है। यह निम्न–पूंजीवादी व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति है। इसे सुधारने का उपाय यह है कि पार्टी–सदस्यों के सामने यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आलोचना का उद्देश्य पार्टी की जुझारू क्षमता को बढ़ाना है जिससे कि वर्ग–संघर्ष में जीत हासिल हो सके, और आलोचना को व्यक्तिगत आक्षेपों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

जेलों में संघर्ष का परचम लहराती क्रांतिकारी महिला जेलबंदी

प्रगतिशील, जनवादी व क्रांतिकारी आन्दोलनों को कुचलने के लिए केंद्र–राज्य सरकारों के द्वारा जारी फासीवादी दमन अभियान के तहत अवैध गिरफ्तारियां, फर्जी केसों में फंसाकर जेलों में लंबे समय तक सड़ाना, बिना या फर्जी गवाही के लंबी सजाएं देना आम बात हो गयी है। कोर्ट और जेल दमनकारी राज्य यंत्र के मुख्य हिस्से हैं। कोर्ट–जेल के जरिए हजारों संघर्षशील लोगों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की जेलों में हजारों आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता, कई माओवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एवं नेता बंद हैं। जेलों में बंद लोगों में सैकड़ों महिलाएं खासकर आदिवासी महिलाएं एवं महिला क्रांतिकारी हैं। जेलों में बंद कॉमरेडों में एसजेडसी सदस्या से लेकर पार्टी सदस्याओं, पीएलजीए सदस्याओं, जन संगठन की सदस्याओं तक शामिल हैं। इन सभी के ऊपर कइयों फर्जी केस लगाये गये हैं। जगदलपुर जेल में बंद कॉमरेड निर्मला पर 147 केस लगाये गये थे। 2007 से लेकर 2013 के आखिरी तक इनमें से 75 से ज्यादा केसों में वो बाइज्जत बरी हो गयी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। बिना सजा के ही सालों–साल जेलों में सड़ाया जाता है। नब्बे दिनों में पेश किये जाने वाले चालान को पेश करने में छह महीने से ज्यादा लगाते हैं। गवाही चार्ज लगने में ही दो, तीन साल लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में जैसे जमानत देने की प्रथा ही नहीं है।

जेलों की स्थिति तो और भी बदतर है। जेलों में बंद लोगों खासकर माओवादी मामलों की बंदियों को गार्ड/एस्कॉर्ट न लगने का बहाना करके पेशियों में नहीं ले जाते हैं। साल में एक दो पेशियों में ले जाते तो बहुत बड़ी बात है। इस कारण से साधारण केसों जिनमें छह महीने से लेकर एक, दो साल की सजा का प्रावधान है, में भी पांच, सात साल सड़ाया जाता है। धारा 110,151,109 आदि मामलों में भी दो, तीन सालों से कई महिलाएं जेलों में बंद हैं।

जेलों के अंदर रहन–सहन की परिस्थितियां आमनवीय हैं। सभी जेलों में क्षमता से अधिक दो, तीन, चार गुना बंदियों को ठूंसा जाता है। उठने–बैठने की जगह भी पर्याप्त नहीं मिलती है। नहाने–धोने, शौच की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। खाने–पाने के बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं। जेल अधिकारियों के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल की सुविधाएं भी आज नसीब नहीं हैं। पेट भर खाना नहीं, दाल–तेल नाम मात्र का। सबसे बुरा हाल तो इलाज का। आये दिन सभी केंद्रीय कारागारों में बंदियों की मौत के समाचार सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर जेल में दिखता नहीं। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद बाहर के अस्पताल में नहीं ले जाया जाता है। मेडिकल डाइट का तो नामो–निशान ही नहीं। अखबारों में छंटे हुए समाचार ही देखने को मिलते हैं। पत्रिकाओं, पुस्तकों का सवाल ही नहीं। परिवारजनों से मुलाकात भी ठीक–ठाक नहीं करने देते।

जगदलपुर केंद्रीय जेल की महिला वार्ड में 2009 तक महिला बंदियों को 24 घंटे लाकॅअप में रखते थे। खाना–पीना–धोना सभी कार्य अंदर ही करना पड़ता था। इस ज्यादती के खिलाफ महिला बंदियों ने एक दिनी भूख हड़ताल करके लॉकअप टाइम में बदलाव हासिल किया। तब से 10 घंटे खुले में रहने की सुविधा मिल गयी थी। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से 6 बजे

---

(2) बहुत से पार्टी–सदस्य पार्टी के अंदर आलोचना नहीं करते, बल्कि उसके बाहर करते हैं। इसका कारण यह है कि आम पार्टी–सदस्यों ने पार्टी के संगठन (उसकी मीटिंग आदि) का महत्व अभी नहीं समझा और वे पार्टी के भीतर और बाहर की जाने वाली आलोचना में कोई फर्क नहीं समझते। इसे सुधारने का उपाय यह है कि पार्टी सदस्यों को शिक्षित किया जाए जिससे वे यह समझ लें कि पार्टी का संगठन महत्वपूर्ण है और पार्टी कमेटियों या साथियों की आलोचना पार्टी मीटिंगों में की जानी चाहिए।

नोट

1. 1927 में क्रान्ति की पराजय होने के बाद, थोड़े समय के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में ''वामपंथी'' मुहिमजोई के शिकार साथियों ने चीनी क्रान्ति को ''स्थाई क्रान्ति'' और चीन की क्रान्तिकारी परिस्थिति को ''स्थाई उभार'' मान लिया और इस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित ढ़ंग से पीछे हटने के कार्य को संगठित करने से इनकार कर दिया, तथा फरमानशाही के तरीके अपनाकार थोडे से पार्टी–सदस्यों और जन–समुदाय के एक छोटे हिस्से के भरोसे समूचे देश में ऐसे बहुत से स्थानीय विद्रोह कराने का गलत प्रयत्न किया, जिसकी सफलता की कोई संभवना नहीं थी। 1927 के अन्त में, मुहिमजोई की इस प्रकार की कार्यवाही बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। 1928 के आरम्भ में वह धीरे–धीरे ठप्प हो गई, यद्यपि कुछ पार्टी–सदस्यों के अन्दर मुहिमजोई का पक्षपोषण करने की भावना फिर भी बनी रही। मुहिमजोई दुस्साहसवाद ही है।

2. उस समय लाल सेना की संगठन–व्यवस्था में एक कालम, पैदल सेना की एक रेजीमन्ट के बराबर होता था।

(शेष अगले अंक में)

तक लॉकअप से बाहर रखना मंजूर हो गया था। इस विजय के बाद महिला राजनीतिक बंदियों का हौसला बढ़ गया। 2012 में ये संगठित होकर पांच, छह साल के पुराने केसेज के जल्द निपटारे की मांग को लेकर हाईकोर्ट को आवेदन भेजना चाह रही थी। लेकिन जेल अधिकारियों ने आवेदन भेजने से मना कर दिया था। 2012 में ही हाईकोर्ट को आवेदन भेजने की इनकी एक और कोशिश को भी जेल प्रशासन ने नाकाम कर दिया था। महिला बंदियों ने इससे हिम्मत नहीं हारी। मजबूत एकता के साथ 2013 में तीन मुख्य मांगों को लेकर 8 से 17 फरवरी तक 10 दिनों की जबर्दस्त भूख हड़ताल की। माओवादी मामलों की 26 महिला बंदियों ने इस हड़ताल को मंजिल तक पहुंचाया। इनकी तीन मुख्य मांगे थी–

1. सभी बंदियों को नियमित रूप से पेशी में ले जाया जाए।

2. महिला बंदियों के लिए अलग किचन की व्यवस्था मैनुअल के मुताबिक राशन की आपूर्ति की जाए।

3. महिलावार्ड में स्टाफ नर्स एवं डॉक्टर की नियुक्ति, सही इलाज की सुविधा, गंभीर मामलों में जिला अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की जाए।

जेल अधिकारियों ने जगदलपुर जेल की महिला बंदियों की इस अभूतपूर्व हड़ताल को तोड़ने कई हथकंडे अपनाएं। दबाव, धमकी, धौंस सभी का प्रयोग किया। आत्महत्या का प्रयास करने का आरोप लगाकर नया केस दर्ज करने, ज्यादा सजा दिलाने, जेल ट्रांसफर करने, आदि धमकियां दी। कुछेक को अलग से सभी सुविधाएं देने का लालच दिखाकर एकता को तोड़ने की कोशिश की। चौबीसों घंटे राउण्ड्स, हर पल चेकिंग, गाली–गलौज आदि के जरिए हड़तालरत महिलाओं का मनोबल घटाने के प्रयास किये। जेल प्रशासन के दबाव, धमकी व धौंस को धत्ता बताकर महिला बंदियों ने अटूट एकता के साथ अपने आन्दोलन को और तेज किया था। एक दिन लॉकअप भी नहीं दी। अपनी हड़ताल से बाहरी दुनिया को अवगत कराने, मीडिया को खबर भेजने महिला बंदियों ने बहुत कोशिशें की लेकिन जेल के लौह दीवारों के बाहर तक उनके नारों की गूंज को प्रशासन ने पहुंचने नहीं दिया। हड़ताल को विफल बनाने के लिए 10 दिनों तक एडी–चोटी एक करने वाले जेल प्रशासन ने आखिरकार महिला बंदियों के संघर्ष के सामने झुक कर तीनों मुख्य मांगों को मान लिया।

मार्च, 2013 से इलाज व डॉक्टरों की मांग पर अमल शुरू हुआ। सभी को नियमित रूप से पेशी में ले जाना भी प्रारंभ हो गया है। 5 अप्रैल से महिला बंदियों ने अपना अलग किचन शुरू किया। संभवतः आन्ध्र प्रदेश के बाद यह दूसरी जेल है जहां बंदियों को अलग किचन हासिल हुआ है और छत्तीसगढ़ की जेलों के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है। साथ ही गर्भवती महिला बंदियों एवं बच्चों को दूध, फल, सहित आवश्यक मेडिकल डाइट भी शुरू हो गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में यह पहली बड़ी सफलता ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है।

जगदलपुर जेल की महिला राजनीतिक बंदियों ने जेल में क्रांतिकारी दिवस मनाने की परंपरा जारी रखी हुई हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच शहीद सप्ताह, 2 दिसंबर को पीएलजीए दिवस, 10 फरवरी को महान भूमकाल दिवस आदि मना रही हैं।

महिला बंदियों ने दी, कॉमरेड रामलाल को अंतिम विदाई

2009 में मैनपुर में गिरफ्तार कॉमरेड रामलाल (हीरा सिंह) को एक फर्जी केस में 5 साल की सजा हुई थी। वे जून, 2011 तक दुर्ग जेल में रहे। बाद में जगदलपुर जेल में आये थे। जुलाई, 2012 में उनकी तबीयत बिगड़ गयी थी। महिला बंदी कॉमरेडों को खबर लगते ही एक पहर खाना बंद करके कॉमरेड रामलाल को तुरंत जिला अस्पातल भेजने की मांग की। उन्होंने जेल प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गयी तो वे भूख हड़ताल पर जाएंगी। जेल प्रशासन मजबूर होकर कॉमरेड रामलाल को अस्पताल ले गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में दूसरे दिन कॉमरेड रामलाल की शहादत हुई। कॉमरेड रामलाल की शहादत की खबर पाकर महिला बंदियों ने एक बार फिर जेल प्रशासन से मांग की कि अंतिम दर्शन व सलामी के लिए कॉमरेड रामलाल की लाश को जेल परिसर में लाया जाय। मजबूर होकर जेल प्रशासन कॉमरेड रामलाल की लाश को जेल परिसर में लाया था। महिला बंदियों की प्रतिनिधि मंडल ने 'कॉमरेड रामलाल अमर रहे', 'कॉमरेड रामलाल के अधूरे आशय को पूरा करेंगे' नारों के साथ कॉमरेड रामलाल को श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी ।

महाराष्ट्र की नागपुर जेल में बंद महिला कॉमरेडों ने जेल में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों एवं जेल पुलिस के द्वारा महिला बंदियों के साथ किये गये अनुचित व्यवहार के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन किया था। आन्दोलन के सामने झुककर जेल प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।

दुश्मन के चंगुल में रहते हुए भी हिम्मत व साहस के साथ जेलों को संघर्ष के मैदान में तब्दील करती महिला राजनीतिक बंदियों को उनकी जोरदार जीत पर प्रभात क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ लाल–लाल सलाम पेश करता है।

★

संदेश

आइये, हम सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के परचम को बुलंद रखें!

'भारत के जनयुद्ध के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' के सफल समापन पर लाल सलाम!!

प्यारे साथियों,

हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी), जनमुक्ति छापामार सेना (पी.एल.जी.ए), क्रांतिकारी जन कमेटियां (आर.पी.सी), क्रांतिकारी जन संगठनों और भारत की क्रांतिकारी जनता की तरफ से देश और विदेश की उन सभी पार्टियों, संगठनों और व्यक्तियों को हम तहे दिल से क्रांतिकारी अभिवादन तथा लाल सलाम पेश करते हैं जो भारत की नई जनवादी क्रांति के लिए विश्वव्यापी सर्मथन जुटाने प्रयासरत हैं और जिनके प्रयासों की वजह से ही 24 नवम्बर, 2012 को जर्मनी के हेमबर्ग शहर में 'भारत के जनयुद्ध के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी उत्साह के साथ हेमबर्ग सम्मेलन में जारी किये गये आपके संदेशों और वक्तव्यों से विश्व समाजवादी क्रांति के इस मोर्चे में यानि भारत में वर्ग दुश्मनों के खिलाफ तीखी लड़ाई लड़ रही शोषित जनता, कार्यकर्ताओं और योद्धाओं ने बेहद जरूरी मनोबल हासिल किया है। जैसा कि आप सभी को मालुम है, हम यहां दुश्मन के दिन–ब–दिन बढ़ते गंभीर दमनकारी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में हमें आपके संदेश समय पर नहीं मिल पाये। जो भी संदेश हम तक पहुंचे, वो भी काफी समय गुजरने के बाद। आपके अथक प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में इस संदेश को भेजने में हुई देरी के लिए हम आपके क्षमाप्रार्थी हैं।

यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि हेमबर्ग में विशेषकर नौजवानों, छात्रों, महिलाओं और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दुनिया के विभिन्न कोनों में आयोजित किये गये अभियानों के ब्योरों ने हमें जोश और अल्लास से भर दिया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह तमाम समर्थन और एकजुटता हमें विश्व सर्वहारा वर्ग तथा विश्व सर्वहारा क्रांति में हमारी भूमिका के प्रति और भी ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है। दुश्मन के अभूतपूर्व हमले की वजह से इस सम्मेलन में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना हमारे लिये मुमकिन नहीं हो सका।

हमारे नेतृत्वकारी साथियों की शहादत के समय, दुखभरी घड़ियों में आपने हमारा साथ दिया, चाहे वह 1999 में कामरेड्स श्याम, महेश, मुरली की शहादत हो या फिर पिछले कुछ सालों में क्रांति के महान नेता कामरेड्स आजाद और किशनजी की शहादत हो, जिन्हें साम्राज्यावादियों की परोक्ष सहायता से भारत के शाषक वर्गों ने बेरहमी से हत्या की। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना से परिपूर्ण आपके वक्तव्य – 'भारत के माओवादियों का संघर्ष हमारा संघर्ष, उनकी क्षति हमारी क्षति' ने हमारे दिलों को तसल्ली से भर दिया और हमें हमारे दुखों से उबरकर संघर्ष की राह पर साहस के साथ अग्रसर होने में मदद की।

आपने यह सही कहा है कि भारत के और विश्व क्रांति के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है भारत में चल रहे जनयुद्ध के लिये ज्यादा से ज्यादा मदद और समर्थन जुटाना। यह साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष को तेज करने और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को मजबूत करने के प्रयासों का ही हिस्सा है। हेमबर्ग सम्मेलन ने यह सिद्ध किया कि आपके द्वारा निर्धारित इन कार्यभारों को पूरा करने की प्रक्रिया में यह एक और महत्वपूर्ण कदम था।

आप सभी भारत के शासक वर्गों के द्वारा छेड़े गये जनता पर युद्ध की लगातार निंदा और विरोध करते आये हैं और इसे तुरंत बंद करने की मांग भी कर रहे हैं। विभिन्न देशों के सर्वहारा, मेहनतकश जनता, पार्टियों, संगठनों और व्यक्तियों के इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भारत के क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों की जनता तहे दिल से याद करती है क्योंकि इसी तरह के समर्थन की किसी भी जन आंदोलन को जरूरत होती है।

आपने भारत के जनयुद्ध के समर्थन में विश्वव्यापी एकजुटता अभियान चालू किया है। आप लोग साम्राज्यवाद के जिन गढ़ों में यह अभियान चला रहे हैं, वहां उसके महत्व की विश्व क्रांति के केन्द्रों में से एक भारत की संघर्षरत जनता और हमारी पार्टी बखूबी सराहना करती है।

इस तरह के समर्थन और सहयोग को हम बहुत ही महत्व देते हैं और दृढ़ता के साथ यह ऐलान करते हैं कि हम भी विश्व के कोने–कोने की संघर्षशील पार्टियों, संगठनों और जनता को यथासम्भव सहयोग देगें। संघर्षरत जनता का हौसला और आत्मविश्वास ऐसे समर्थनों से और बुलन्द होता है और उसे यह आश्वासन मिलता है कि लड़ाई में

वह अकेली नहीं है। यह एकजुटता फिर से इस सच्चाई को उजागर करती है कि हम सभी एक ही साझा दुश्मन यानी साम्राज्यवाद, उसके दलाल/कठपुतलियों तथा दुनियाभर के प्रतिक्रांतिकारियों का सामना कर रहे हैं। एकजुटता की भावना जनता और जनसेना की जुझारू ताकत को बड़ाती है और संघर्ष को दृढ़संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होती है। हमारी पार्टी, जनमुक्ति छापामार सेना, क्रांतिकारी जन कमेटियां, क्रांतिकारी जन संगठन और क्रांतिकारी जनता; हमारे देश की सभी प्रगतिशील और जनवादी ताकतें भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक इसी तरह की एकजुटता और सहयोग की अपेक्षा रखती हैं। हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी कार्यभार है जनयुद्ध को जारी रखना और इसका विकास करना।

भारत के जनयुद्ध के समर्थन में हाथ बढ़ानेवाली हर पार्टी और संगठन अपने–अपने देश के क्रांति को आगे बढ़ाने और अन्य क्रांतियों के प्रति सहयोग को अपने क्रांतिकारी कार्यभार का अहम हिस्सा मानते हैं। यह अवधारणा कि हमारे अपने देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों को विकसित करना ही दूसरे देशों की क्रांतियों के प्रति हमारी एकजुटता को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस बात को सम्मेलन ने दृढ़ता से व्यक्त किया है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। हम भारत के माओवादी इसी उत्साह के साथ कार्यरत हैं। सच्चे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में प्रारंभ नक्सलबाड़ी संघर्ष के समय से लेकर अब तक हमारे क्रांतिकारी व्यवहार की यही खासियत रही है।

नक्सलबाड़ी की विरासत को बरकरार रखनेवाली हमारी पार्टी का हमेशा से यह विचार रहा है कि भारत की नई जनवादी क्रांति विश्व सर्वहारा क्रांति का एक अभिन्न अंग है; हमारी पार्टी जो कि भारत के सर्वहारा वर्ग का अगुआ दस्ता है, विश्व सर्वहारा वर्ग के हिरावल दस्ते का एक हिस्सा है; भारत की जनमुक्ति छापामार सेना विश्व सर्वहारा सेना की एक टुकड़ी है और यहां निर्माणाधीन क्रांतिकारी जन कमेटियां विश्व सर्वहारा अधिनायकत्व तथा विश्व समाजवादी राज्य का ही हिस्सा हैं। भारत की क्रांति में दी गयी जनता और साथियों की अनमोल शहादतें भी विश्व समाजवादी क्रांति के अंतर्गत दुनिया के हर देश में असंख्य प्यारे शहीदों द्वारा किये गये महान त्यागों का ही हिस्सा हैं। इसी समझदारी के साथ भारत की विभिन्न क्रांतिकारी धाराओं ने नक्सलबाड़ी के समय से ही दूसरे देशों में चल रहे क्रांतिकारी और जनवादी आंदोलनों के समर्थन में एकजुटता अभियान चलाये। इन अभियानों में प्रमुख हैं – वियतनाम, लाओस और कम्पूचिया के क्रांतिकारी संघर्षों के प्रति एकजुटता, ़फिलस्तीन, तमिल ईलम आदि उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के मुक्ति संघर्षों के समर्थन में अभियान तथा इराक व अफगानिस्तान की जनता के साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष के साथ एकजुटता, आदि। इसी कड़ी में हमारी पार्टी ने 22 से 28 अप्रैल 2013 के दौरान फिलिप्पीन्स की नई जनवादी क्रांति के समर्थन में एकजुटता सप्ताह मनाया।

हमारी पार्टी का यह मानना है कि क्रांतिकारी संघर्षों के आगे बढ़ने से ही इस तरह के एकजुटता अभियान मजबूत हो सकते हैं और अपने आपको लम्बे समय तक सक्रिय रख सकते हैं। दूसरी तरफ, क्रांतिकारी संघर्ष भी इस तरह के एकजुटता अभियानों से जरूरी आत्मगत और वस्तुगत शक्ति हासिल कर सकता हैं। वर्तमान विश्व परिस्थिति में सभी क्रांतिकारियों को इस अंतरसंबन्ध के बारे में गहरी समझ होनी चाहिए। हमें यह महसूस हुआ कि इसी समझदारी की वजह से हेमबर्ग सम्मेलन इस दिशा में एक सही कदम लेने में सफल रहा है।

ग्रीन हंट अभियान के नाम से छेड़े गये देशव्यापी चौतरफा आक्रमण, यानी जनता पर युद्ध के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के किराये के प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों द्वारा किये जा रहे अनगिनत क्रुर अत्याचारों ने देश और दुनिया के एक बड़े हिस्से की जनता को आक्रोशित किया, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से और आदर्श में भिन्न मत रखते हों। यह आक्रोश जल्द ही बड़े विरोध प्रदर्शनों और अभियानों में तबदील हो गया जिनकी प्रमुख मांग थी फौरी तौर पर ग्रीन हंट अभियान की रोकथाम। भारत की संघर्षरत जनता के समर्थन में और इस हमले को बंद करने के लिये भारत सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों के निर्माण में क्रांतिकारी, जनवादी और प्रगतिशील ताकतों ने देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किये। इसी क्रम में दुनिया की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों ने भी भारत के जनयुद्ध के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता आंदोलन तैयार करने की सही पहलकदमी दिखायी। ग्रीन हंट विरोधी मुहिम और भारत के जनयुद्ध के समर्थन में एकजुटता आंदोलन दोनों एक दुसरे के पूरक हैं। ग्रीन हंट विरोधी कार्यक्रम को इस एकजुटता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि इस देशव्यापी चौतरफा आक्रमण को हराना हमारे सामने एक फौरी कार्यभार है। हमारी पार्टी का मानना है कि भारत के जनयुद्ध के पक्ष में खड़ी सभी कम्युनिस्ट ताकतों के सामने यह समय की मांग है कि वे ग्रीन हंट विरोधी मुहिम को मजबूत करने और एक व्यापक विश्वव्यापी साम्राज्यवादी–विरोधी मोर्चे के निर्माण के लक्ष्य से जिसके लिये प्रयास अभी जारी हैं, बड़े पैमाने पर साम्राज्यवादी–

विरोधी, जनवादी और क्रांतिकारी शक्तियों को गोलबंद करने की यथासम्भव कोशिश करें। दुनिया की कम्युनिस्ट ताकतों की एकता को और मजबूत करने से भारतीय क्रांति को भी और ज्यादा मजबूत समर्थन मिल पायेगा।

आज एक तरफ जब साम्राज्यवाद उसके अब तक के सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है, वहीं दुसरी तरफ मजदूर वर्ग, अन्य शोषित वर्गों व ताकतों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के मुक्ति संघर्ष तथा अर्ध–सामंती, अर्ध–औपनिवेशिक देशों में जनयुद्ध भी तेज हो रहे हैं। विश्व समाजवादी क्रांति की दो धाराएं – अर्ध–सामंती अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक देशों में नई जनवादी क्रांतियां और पूंजीवादी–साम्राज्यवादी देशों में समाजवादी क्रांतियां अलग–अलग स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग मार्क्सवाद–लेनिनवाद और माओवाद को अपने मार्गदर्शक आदर्श के रूप में अपना रहे हैं। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि साम्राज्यावादियों, पिछड़े देशों के उनके कठपुतली शासकों और हर किस्म की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का गठजोड़ दुनिया के उत्पीड़ित जनता और राष्ट्रीयताओं का साझा दुश्मन है। इसलिये वे इनके विरुद्ध बढ़ी संख्या में लड़ाकुओं की कतारों में शामिल हो रहे हैं। विश्व के सभी बुनियादी अंतरविरोध तथा प्रत्येक देश के आन्तरिक अंतरविरोध दिन–ब–दिन बढ़ रहे हैं और तीखे होते जा रहे हैं। विश्व परिस्थिति क्रांति के लिये अनुकूल है। इसलिये विश्व के सभी कम्युनिस्टों के सामने सबसे प्रमुख कार्यभार है इस बेहतरीन वस्तुगत परिस्थिति का उपयोग करते हुए शोषित जनता को गोलबंद करना तथा आत्मगत शक्तियों को मजबूत करना, क्योंकि एक मजबूत सर्वहारा पार्टी और संगठित जनता ही क्रांति को सफल बना सकती हैं।

वर्तमान आर्थिक संकट जिसमें विश्व पूंजीवाद लगातार जकड़ता जा रहा है, इस मौजूदा व्यवस्था के आन्तरिक अंतरविरोधों को तेज कर रहा है और विशाल जन आंदोलनों, विद्रोहों और क्रांतियों को जन्म दे रहा है।

हमारे महान मार्क्सवादी शिक्षक कॉमरेड लेनिन के विश्लेषण के अनुरूप साम्राज्यवाद उसकी मृत्युशय्या पर है और यह संकट इसी तथ्य को फिर से उजागर कर रही है। इस असमान पूंजीवादी विश्व में आर्थिक संकट भी अलग–अलग देशों में असमान रूप से प्रतिबिम्बित होता है। इसलिये हम कम्युनिस्टों का कर्तव्य है कि हम मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के विश्वजनीन विचारों को अपने–अपने देशों की ठोस परिस्थिति के मुताबिक व्यवहार में प्रयोग करें। हमारी सभी तैयारियां तथा व्यवहार भी क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सही उल्लेख किया है, पूंजीवादी देशों में मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं आदि के आंदोलनों को विकसित करना होगा। साथ ही, दूसरे देशों के जनयुद्धों को समर्थन देना भी हर एक सर्वहारा पार्टी का एक अभिन्न और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार होगा।

इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिये पहलकदमी लेनेवाले और इसे सफल बनानेवाली सभी भाईचारा पार्टियों और संगठनों ने हम पर जो भरोसा दिखाया इसके जवाब में हम फिर से यह शपथ लेते हैं कि कई नेतृत्वकारी साथियों की शहादत और कुछ संघर्ष इलाकों की क्षति के बावजूद विश्व समाजवादी क्रांति के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हम भारत की क्रांति को जारी रखेंगे, इसे मजबूत करेगें और आगे बढ़ायेगें।

यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साम्राज्यवाद और भारतीय शासक वर्गों के खिलाफ एक बड़ी चोट है। साथ ही, सर्वहारा और उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के विशाल शिविर में इसने भारत की नइ जनवादी क्रांति तथा विश्व सामाजवादी क्रांति के प्रति आशा की नई किरणें भर दी। इस परिप्रेक्ष्या में आप सभी के सामने हम एक बार फिर यह शपथ लेते हैं कि विश्व समाजवादी क्रांति के महान शहीदों के ऊंचे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम अपना संघर्ष जारी रखेगें। हम यह ऐलान करते हैं कि एक कठिन और टेढ़े–मेढ़े दीर्घकालीन रास्ते में अग्रसर हमारी पार्टी और भारत की क्रांतिकारी जनता के जुझारू उमंग को किसी भी तरह का फासीवादी दमन नहीं कुचल सकता है। अन्तिम जीत हासिल होने तक बलिदानों के जरिये हम नई दृढ़ता के साथ आगे कदम बढ़ाते जायेंगें। विश्व सर्वहारा वर्ग और भारत की क्रांति के सभी दोस्तों तथा शुभचिंतकों को हमारा यह वादा है।

★ सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद!

★ अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा, क्रांतिकारी और जनवादी ताकतों तथा दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और जनता की एकजुटता जिंदाबाद्!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

गणपति

सचिव

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

पीएलजीए व जनता का साहसिक प्रतिरोध – मिनपा से सीआरपीएफ कैंप हटा!

दक्षिण बस्तर डिविजन (सुकमा जिला) के चिंतागुफा पुलिस थाने के दायरे में स्थित मिनपा गांव में सीआरपीएफ कैंप स्थापित करने के लिए 15 मई 2013 को एक हजार जवान पहुंच गये थे। बलों के साथ दो प्रोक्लेइन, दस ट्रकों में सिमेंट, ईंटा, रेती, टीना, लोहे की सामग्री, रसद भी गांव में पहुंच गयी थी। गांव में पहुंचते ही गांव का घेराव करके सीआरपीएफ ने घरों–खेतों से लोगों को अपने कब्जों में लिया था। गांव से आवाजाही को बंद कर दिया था। विगत में ही टूटे हुए वन विभाग के बंगलों के पास नींव खोदने, जमीन को समतल करने के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किये गये थे। दूसरी ओर ट्रकों में लाये रेती को बोरों में भरकर बंकरों का निर्माण किया गया था। कैंप निर्माण स्थल से 400 मीटर की दूरी तक सुरक्षा के इंतजाम किये गये।

मिनपा में पुलिस कैंप के निर्माण संबंधी तैयारियों की खबर दावानल की तरह आस–पास के गांवों में पहुंच गयी। पीएलजीए के बुनियादी बलों ने दुश्मन का मुकाबला करने सभी गांवों में खबर पहुंचाया। शाम तक प्रधान बल भी पहुंच गये थे। दोनों ही बलों ने संयुक्त रूप से कैंप बलों पर हमला बोला था। दोनों ओर से गोलीबारी, ग्रेनेड्स, शेल्लिंग एवं विस्फोट की आवाजों से पूरा मिनपा इलाका ही जंग का मैदान नजर आने लगा था। कैंप निर्माण कार्यों को रोककर सीआरपी बल आत्मरक्षा में लग गये थे। अचानक हुए हमले के कारण उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। चूल्हा–चक्की बंद करके रात भर जमीन से चिपककर (प्रोन पोजिशन) फायरिंग करते रहे। 17 तारीख की सुबह आत्मरक्षा के तहत गांव के चारों ओर पेट्रोलिंग करने निकले थे। छापामारों ने घात लगाकर हमला किया, दो को मार गिराये और कुछ को घायल किये। इससे हक्का–बक्का होकर पुलिस जवान वापस कैंप तक भागते रहे। छापामार सुरक्षित निकल गये।

17 मई के दिन फोर्स ने कैंप निर्माण कार्यों को तेज किया। शाम तक नींव खोदकर दीवाल खड़े किये। आत्मरक्षा के लिए खंदक बनाये। दिन भर लोगों को बंधक बना कर रखा। गांव से बाहर जाने नहीं दिया गया था। दूसरे गांवों के किसी को भी मिनपा में घुसने नहीं दिया। आत्मरक्षा के तहत छापामारों को कैंप के नजदीक जाने से रोकने के लिए रात भर शेल्लिंग, फायरिंग करते रहे। भयानक आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। 18 मई की सुबह बाहर आकर शौच से निपटकर वापस कैंप जाते पुलिस बलों पर छापामारों ने फायरिंग की। हैरान व परेशान पुलिस बल कैंप की ओर भाग रहे थे। उन्हें छापामार समझकर कैंप में मौजूद बलों ने फायरिंग की जिसमें दो जवान मारे गये और कुछ घायल हो गये। इसी बीच सांप के डंसने से एक जवान मारा गया था। लगातार दो दिनों से मृत्यु भय से पीड़ित जवानों का मनोबल जवाब दे गया था और आपसी भिड़ंत की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जिसे देखो छापामार ही नजर आने लगा था।

16 से 27 मई तक हर दिन फायरिंग, शेल्लिंग जारी था। मिनपा के आस–पास का इलाका रणभूमि बन गया था। इस दौरान पूरे पांच जवान मारे गये थे और पांच जवान घायल हुए थे। दूसरी ओर हजारों की संख्या में क्रांतिकारी जनता, सैकड़ों मिलिशिया दस्तों ने गोलबंद होकर चिंतलनार से चिंतागुफा, पूसवाडा, कांकेरलंका, पोलमपल्ली तक दर्जनों खंदक खोद दिये और दोरनापाल एवं सुकमा से अतिरिक्त बलों के आने के रास्ते में बाधाएं खड़ी की। 25 किमी के दायरे में जन मिलिशिया घात लगाकर बैठी थी ताकि दुश्मन बल मिनपा कैंप की मदद् में पहुंच न सके। मिनपा गांव के चारों ओर गड्डे खोदे गये, बूबी ट्रैप्स लगाये गये, पारंपरिक फंदे बनाये गये। कुल मिलाकर एक तरह से दुश्मन के पांव बांध दिये थे। कई गांवों की जनता व जन मिलिशिया ने छापामारों के साथ मिलकर कैंप को मार भगाने जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया था। जनप्रतिरोध की तीव्रता को देखकर सीआरपीएफ ने यह समझ लिया कि मिनपा में कैंप को संचालित करना फिलहाल संभव नहीं है। रातों–रात कैंप खाली करके गड्डों को पाटते हुए फोर्स 40 किमी दूर दोरनापाल वापस चली गयी। इस तरह दुश्मन जन प्रतिरोध के सामने टिक नहीं सका और कॉरपेट सेक्युरिटी के तहत खोले गये नये कैंप को उसने वहां से हटा लिया। मिनपा कैंप को मार भगाना जनता व जन मुक्ति छापामार सेना की संयुक्त विजय था।

दक्षिण बस्तर डिविजन

वायुसेना के हेलिकॉप्टर पर हमला

18 फरवरी, 2013 को सुकमा जिले के तेमेलवाडा के नजदीक एरिया डॉमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ एवं सीएएफ के संयुक्त बलों पर एंबुश करके पीएलजीए ने सीआरपीएफ के दो जवानों को मौत के घाट उतार दिया था एवं एक को घायल किया। एंबुश पार्टी को यह सूचना मिलने के बाद कि घायल जवान को अस्पताल ले जाने हेलिकॉप्टर आनेवाला है, उस ने यह तय किया कि हेलिकॉप्टर की सुरक्षा में तैनात होने वाले जवानों पर

हमला किया जाए और तेमेलवाडा कैंप के समीप घात लगाये बैठी। हेलिकॉप्टर के कैंप के समीप उतरते समय उसमें मौजूद पुलिस जवानों ने एंबुश पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू की थी। एंबुश पार्टी ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग करते हुए हेलिकॉप्टर को निशाना बनाया जिससे ऑयल टैंक सहित हेलिकॉप्टर को 16 गोलियां लगी। हेलिकॉप्टर में बैठा रेडियो ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब तक शाम हो चुका था। कोई चारा न देख हेलिकॉप्टर को एक घंटे की दूरी पर तेमेलवाडा, चिंतागुफा कैंपों के बीच के घने जंगल में उतारा गया था।

हेलिकॉप्टर के आपातकालीन लैंडिंग के तुरंत बाद चालक, अभियंता, सहायक अभियंता एवं वायुसेना के दो गरुड़ कमांडो चिंतागुफा पुलिस थाना भाग गये थे। एचएमजी व गोली–बारूद सहित घायल रेडियो ऑपरेटर को भी हेलिकॉप्टर में ही छोड़ गये थे। दुश्मन के भाड़े के सशस्त्र बलों की कायरता का यह एक और मिसाल है। उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद नाइट विजन उपकरणों से लैस सीआरपीएफ की एक कंपनी अंधेरे में धीरे–धीरे हेलिकॉप्टर की ओर बढ़ने लगी थी। तब तक उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। बूबी ट्रैपों के डर के मारे सुबह 5 बजे तक भी हेलिकॉप्टर से रेडियो ऑपरेटर को बाहर नहीं निकाल सके। उसके बाद ही ऑपरेटर को अस्पताल के लिए रवान किया गया था। इतना होने के बावजूद बाजू के तेमेलवाडा कैंप में मौजूद सीआरपीएफ के बल घटना स्थल नहीं पहुंचे। अपने कैंप पर छापामारों की फायरिंग की झूठी खबर देकर वे कैंप से ही बाहर नहीं निकले थे। ध्वस्त हुए हेलिकॉप्टर की मरम्मत के लिए चूंकि पांच दिन का समय लगा था इसलिए करीबन एक हजार सशस्त्र बलों को दिन–रात हेलिकॉप्टर की सुरक्षा में कई तकलीफें झेलते हुए पहरा देना पड़ा। हेलिकॉप्टर की मरम्मत के लिए दिल्ली से वायुसेना की दो टेक्निकल टीमों को बुलाना पड़ा।

बड़े भट्टुम–हेलिकॉप्टर पर हमला

सुकमा जिले के जेगुरगुण्डा पुलिस थाने के दायरे में स्थित पुव्वर्ति गांव में 16 अप्रैल, 2013 को पीएलजीए के डेरे पर ग्रे–हाउण्डस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बलों ने हमला करके हमारे नौ कामरेडों की हत्या की थी। घटना स्थल से लाशों को हेलिकॉप्टर से भद्राचलम ले जाया गया था। 17 अप्रैल को जवान वापसी के लिए बडे भट्टुम के पास जमा हो गये थे। फील्ड में मौजूद पुलिस बलों को वहां से ले जाने आन्ध्रप्रदेश से एक, छत्तीसगढ़ से दो कुल तीन हेलिकॉप्टर एंगेज किये गये थे। एक ऊपर में पेट्रोलिंग करता था बाकी दो हेलिकॉप्टर जवानों को ले जाते थे।

उन हेलिकॉप्टरों पर हमले के लिए एक छापामार दस्ता एंगेज हुआ। जवान हेलिकॉप्टर में चढ़ ही रहे थे कि छापामारों ने फायरिंग चालू की। हेलिकॉप्टर की बॉडी एवं कॉकपिट में गोलियां लगी थी। हड़बड़ाकर हेलिकॉप्टर चालक ने बचे हुए पांच पुलिस जवानों को वहीं छोड़कर दरवाजा बंद किये बगैर ही हेलिकॉप्टर को हवा में उड़ाया। हेलिकॉप्टर का अचानक उड़ान भरने के कारण, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा ग्रे–हाउण्डस का एक जवान नीचे गिर गया। वहां बचे पांचों जवानों को पीएलजीए के सेकंडरी व मिलिशिया बल एवं जनता ने काउरगट्टा तक भगाया। छापामारों की फायरिंग में ग्रे–हाउण्ड्स का एक सीआई मारा गया जिससे एक एके–47 रायफल, चार मैगजीन, 91 गोली, एक जीपीएस एवं एक सेल फोन जब्त किया गया था। बूरी तरह थक चुके ग्रे–हाउण्ड्स के चार जवान जीपीएस की मदद से जैसे–तैसे पामेड की दिशा में भागे। बीच से ही हेलिकॉप्टर के जरिए उन्हें ले जाया गया। 19 तारीख को तीन वाहनों में पुलिस बल दोबारा इलाके में घुसे थे लेकिन जानबूझकर सीआई की लाश को छोड़ कर वापस गये। बाद में पुलिस ने एक ओर सीआई की लाश न देने का झूठा प्रचार किया तो दूसरी ओर तय समय के भीतर लाश यदि नहीं सौंपी जाती है तो रघुनाथ, बल्ला रवींद्रनाथ जैसे एपीसीएलसी एवं सीआरपीपी नेताओं व उनकी जीवन संगिनियों की हत्या करने की फोन पर धमकियां दी। बुद्धिजीवियों से अपीलें जारी करवाई। एचआरएफ के नेता खादर बाबा, तुडुम देब्बा के नेता रमणाला लक्ष्मय्या को बुलवाकर खम्मम एसपी ने धमकाकर लाश लेकर आने चेरला भेजा। आखिर में पामेड़ में अध्ययनरत काउरगट्टा के तीन नाबिलग छात्रों का अपहरण करके सीआई की लाश सौंपने जनता पर दबाव डाला। लाश न सौंपने की स्थिति में बच्चों की हत्या करने की धमकी दी। इस तरह नीच हथकंडे अपनाकर लाश को जनता के द्वारा पामेड़ मंगाया।

किष्टारम एंबुश

8 मई, 2013 को सुकमा जिले के किष्टारम सीएएफ कैंप से दुश्मन के बल सुबह गश्त पर निकले थे। किष्टारम थाने से आधे किलो मीटर की दूरी पर बुग्गिपट्टी मोहल्ले में इन बलों पर पीएलजीए ने एंबुश किया था। इस हमले में सीएएफ के तीन जवान मारे गये एवं एक प्लाटून कमांडर और एक प्रधान आरक्षक घायल हो गये। इनसे पीएलजीए ने एक एके–47 और एक एसएलआर बंदूक जब्त की।

सोयम मूका डोगोर को मौत की सजा

29 मई, 2013 को सुकमा जिला एर्राबोरु गांव के भूतपूर्व सरपंच एवं सलवा जुडूम का एक और मुख्य नेता सोयम मूका की मौत की सजा पर पीएलजीए ने अमल

किया। यह गगनपाड़ के नजदीक स्थित कोंगडम् गांव का रहने वाला था। महेंद्र कर्मा का विश्वसनीय पिट्टु था। कोण्टा जनपद में सलवा जुडूम के संचालकों में यह मुख्य था। इसके नेतृत्व में सैकड़ों गांवों पर हमले हुए थे। सामूहिक हत्याओं, महिलाओं पर अत्याचारों, संपत्ति को ध्वस्त करने, चोरी एवं डकैती आदि के लिए यह प्रधान जिम्मेदार था। इसे सजा देने का समाचार पूरे एरिया में तुरंत फैल गया था। उत्पीड़ित जनता में खुशी की लहर दौड़ गयी। पार्टी के खिलाफ खड़े होकर प्रतिक्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने वालों का यही हश्र होगा, कहते हुए लोगों ने जश्न मनाया। कर्मा, मूका की अवहेलना करते हुए गाने गाये।

पूर्व बस्तर डिविजन

सोलाह साल बाद पकड़ाया पुलिस एजेंट

कोंडागांव जिले के रेंगागोंदी गांव का पुलिस एजेंट दिलीप सोढ़ी 1997 में कोंडागांव दलम की बंदूकों को साजिश के तहत पुलिस को सौंपने की योजना बनायी थी। बंदूक लेकर कोंडागांव जाने वाला था। रात होने से बीच में रिश्तेदार के गांव में रूका था। खबर पाते ही गांव की क्रांतिकारी जनता एवं जन संगठन के कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय हो गये थे। पुलिस एजेंट का पता लगाकर बंदूकों को वापस कब्जे में लेकर दलम को सौंपे थे। इस बीच एजेंट दिलीप भागने में सफल रहा। जन अदालत में इस साजिश का भांडाफोड़ हुआ था एवं इसके पीछे के मुख्य एजेंट को मौत की सजा दी गयी थी। दिलीप सोढ़ी तब से गायब था। दोबारा गांव में कदम नहीं रखा था। 2013 तक उसका अता–पता नहीं चला था जबकि वह नाम बदलकर नारायणपुर जिले के महराबेडा (महिमा गावडी कोंगेरा के पास) गांव में बस गया था। हमारे संघर्ष इलाके में ही वह रह रहा था। 13, अगस्त 2013 को झारा कैंप की पुलिस ने कोंगेरा गांव के कोसलपारा पर हमला करके वहां के संगठन नेता एवं पार्टी सदस्य सुखराम कोर्राम की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की थी। इस घटना की जांच पड़ताल के दौरान दिलीप सोढ़ी का नाम सामने आया था। दिलीप सोढ़ी झारा पुलिस की योजना के मुताबिक कोंगेरा गांव के पार्टी नेतृत्व के साथ संबंध स्थापित किया था। उनके जरिए एसी, डीवीसी तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसी कोशिश के तहत हथियार व गोली बारूद की आपूर्ति का लालच भी दिखाया था। दाल में कुछ काला महसूस करके डीवीसी के व्दारा स्थानीय नेतृत्व को संभावित खतरे से अवगत कराया गया था। लेकिन सुकराम के साथ दिलीप का संबंध जारी रहा। पुलिस हमले के दिन दिलीप ने ऐसी व्यवस्था की कि पुलिस को सुकराम घर पर ही मिले और पुलिस का निशाना बन सके।

सुकराम की हत्या के बाद दिलीप का अता–पता करने पर उसका पुराना करतूत सामने आया। 16 साल तक पहचान छुपाकर जन विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। सारी स्थितियां स्पष्ट होने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था।

वयानार एसआई पर हमला

30 अप्रैल, 2013 को कोंडागांव जिले के वयानार पुलिस थाने के क्रूर एसआई शंकर ध्रव पर जनता की मांग के अनुरूप पीएलजीए की कार्रवाई दस्ते ने हमला किया था। कुल्हाड़ी, चाकु आदि पारंपरिक हथियारों से किये गये इस हमले में एसआई गंभीर रूप से घायल हुआ था। उससे पीएलजीए ने एक रिवॉल्वार, 6 जिंदा कारतूस एवं एक केनउड वॉकीटॉकी को जब्त किया।

मर्सुकोल हमला

3 जून, 2013 को कुवनार एरिया के मर्सुकोल गांव में एक शादी समारोह में शामिल जनता को घेरकर पुलिस ने शादी वाले परिवार सहित कई ग्रामीणों की बेदम पिटाई की थी। कई लोगों को गिरफ्तार करके थाना ले जा रहे थे। तभी गांव के नजदीक में ही पीएलजीए के तीनों बलों के एक संयुक्त दस्ते ने वापस जाती पुलिस पर फायरिंग की थी जिसमें एक एसआई एवं एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए। गोलीबारी का फायदा उठाकर ग्रामीण पुलिस के चंगुल से छूटकर अपने अपने घर लौट गये।

एसपीओ पर कार्रवाई

17 जून 2013 को किसकोडो के गांव इरागांव का रहने वाला एसपीओ, गुण्डा व जन विरोधी लखेन कलाड़ी को पीएलजीए ने मौत के घाट उतार दिया।

केशकल नाइट एंबुश

रायपुर–जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर कोंडागांव जिले के केशकल पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी परे रात्रि गश्त में लगी पुलिस गाडी को निशाना बनाकर 20 जून, 2013 का पीएलजीए ने हमला किया था। केशकल घाटी के पास बोरगांव के निकट रात 12.00 बजे यह हमला किया गया था। इसमें एक एएसआई मारा गया। जबकि पुलिस के तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गये। इनसे छापामारों ने एसएलआर के 40 कारतूस, 2 मैगजीन, एक सेलफोन को जब्त किया। इस हमले में दुश्मन के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए 17–पीएल की पीपीसी सदस्या कामरेड मीना वीरगति को प्राप्त हुई।

कोरर–मुंजालगोंदी क्लेमोर विस्फोट

13 जुलाई 2013 को कोरर के नजदीक स्थित मुंजालगोंदी के पास गश्त पर आयी पुलिस बैच पर पीएलजीए ने क्लेमोर विस्फोट किया था। इसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया था।

सहायक आरक्षक को मौत की सजा

22 जुलाई 2013 को वयानार इलाके के आदपाल गांव का गुण्डा एवं सहायक आरक्षक धानसाय को पकड़कर पीएलजीए ने जन अदालत में उसे दी गयी मौत की सजा पर 24 जुलाई को अमल किया।

एंबुश–फर्जी मुठभेड़–जन प्रतिरोध

13 अगस्त, 2013 को गांवों पर हमले के लिए निकले सीएएफ के गश्ती दल पर झारा–नारायणपुर रोड़ पर महराबेडा एवं कोसलपारा के बीच पीएलजीए के तीनों बलों के एक संयुक्त दस्ते ने हमला किया था। इस साहसिक हमले में एक एसआई सहित तीन जवानों ने अपनी जानें गंवाई दो और जवान गंभीर रूप से घायल हो गये। इससे भयभीत होकर पुलिस जवान फायरिंग करते हुए कैंप तक भागते रहे। एक और बैच पहले से ही गांव में घुसकर जनता की पिटाई कर रही थी। गांव का एक अस्वस्थ किसान सुकराम कोर्राम जो जन संगठन के नेता व पार्टी सदस्य भी थे, पुलिस की बेदम पिटाई से अधमरा हो गया था। उसे कैंप ले जाती पुलिस ने दूसरी बैच के साथ हुई मुठभेड़ के बाद उसकी फर्जी मुठभेड़ में क्रूरतापूर्वक हत्या की एवं कोसलनार की मुठभेड़ में माओवादी के मारे जाने का झूठा दावा किया था। बाद में लाश को नारायणपुर भेजा गया था। गांव की जनता एवं सुकराम के परिवारजनों ने पहले थाना एवं बाद में नारायणपुर जाकर फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया एवं लाश की मांग की। दो दिन तक लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए, अपनी मांग पर अड़े रहकर अंत में लाश को गांव में लाकर क्रांतिकारी परंपरा के साथ सुकराम को अंतिम विदाई दी। एंबुश को अंजाम देने वाली पीएलजीए ने जनता के साथ में रहकर सुकराम को अंतिम विदाई दी और स्मारक सभा का आयोजन भी किया।

राजवेडा–मंगवाल फायरिंग

24 अगस्त, 2014 को वयानार पुलिस गश्त पर निकली थी। मंगवाल, राजवेडा के संगठन नेतृत्व को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी पुलिस पर पीएलजीए के तीनों बलों के संयुक्त दस्ते ने फायरिंग की थी। इसमें तीन जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायल जवानों को लेकर फायरिंग करते हुए पुलिस अपने कैंप तक भागती रही।

एसटीएफ का कंपनी कमांडर खत्म

27 अगस्त, 2013 को बस्तर जिले के मारडुम थाने के अंतर्गत गांव टेडुम के जंगल में पीएलजीए के द्वारा किये गये घात हमले में एसटीएफ के कंपनी कमांडर के अलावा एक अन्य जवान मारा गया था। एसटीएफ, डीएफ के कुल 800 संयुक्त बलों ने इस इलाके में एरिया डॉमिनेशन चला रहे थे। इसी ऑपरेशन के तहत 26 अगस्त को छोटे बुरगूम के पास पीएलजीए की एक छोटी टीम फंस गयी थी। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कामरेड जानो, (मिलिशिया पीएल की सदस्या एवं भूतपूर्व दल सदस्या) एवं कामरेड ज्योति (डीवीसीएम गार्ड) शहीद हुई थीं। फायरिंग में घायल कामरेड ज्योति को उसी अवस्था में पकड़कर पूछताछ करके, गंभीर यातनाएं देकर बाद में मार डाला गया था। दोनों की लाशों को लेकर वापस जाते समय शाम छह बजे टेडुम गांव के समीप जंगल में रात्रि विश्राम के लिए पुलिस ने डेरा डाला था। पीएलजीए के अलग–अलग दस्तों ने दुश्मन को रात में ही घेरे रखा था। दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को सुबह छह बजे दुश्मन वापस अपने कैंप जा रहा था, तभी पीएलजीए के एक दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में एसटीएफ के कंपनी कमांडर के साथ एक जवान भी मारा गया था। यह वही कंपनी कमांडर था जो अक्टूबर, 2011 में तिरकानार में हुई मुठभेड़ जिसमें पीएलजीए के चार कामरेडों को घर में जिंदा जला दिया गया था, के समय भी पुलिस बैच का कमांडिंग कर रहा था। तिरका मुठभेड़ की क्रूरता के लिए उसे राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार भी मिला था। कंपनी कमांडर के मारे जाने की खबर सुनकर बुरगुम शहीदों के परिवारजन सहित इलाके की जनता ने पीएलजीए का अभिनंदन किया।

कोवर्ट पर कार्रवाई

कंपनी–6 से भागकर धनोरा थाने में आत्मसमर्पण करके, बाद में नारायणपुर एसपी, गद्दार नवीन, कचरू, लच्छू के मार्गदर्शन में पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने के भीतर घाती उद्देश्य के साथ फिर से पार्टी में काम करने के बहाने माड़ आया कोसा को उसकी साजिश का पता लगने के बाद जन अदालत में पेश करके जनता के निर्णय के मुताबिक सितंबर, 2013 में मौत की सजा दी गयी।

दरभा डिविजन

भाजपा उपाध्यक्ष को मौत की सजा

पिएलजीए के एक कार्रवाई दस्ते के व्दारा 29 अप्रैल, 2013 को दंतेवाड़ा जिले के भाजपा उपाध्यक्ष व एचटीएम कंस्ट्रक्शन के प्रबंधक शिवदयाल तोमर को गोली मार कर उसकी मौत की सजा पर अमल किया गया। राज्य की

भाजपा सरकार के द्वारा उस समय प्रारंभ विकास यात्रा का वह जिला इंचार्ज भी था। राज्य सरकार के द्वारा क्रांतिकारी आन्दोलन के उन्मूलन के लिए चालाये जा रहे दमन अभियान का तोमर न केवल समर्थन कर रहा था बल्कि सशस्त्र बलों की अवाजाही को सुगम बनाने के लिए उद्देश्यित सड़क निर्माण कार्य में पार्टी के मना करने के बावजूद लगा रहा।

पुलिस पर हमला

12 अक्टूबर, 2013 को दंतेवाडा जिला, नकुलनार के बाजार में पीएलजीए के सेकंडरी व बेस फोर्स के संयुक्त कार्रवाई दस्ते ने पुलिस पर हमला करके एक जवान को मौत के घाट उतार दिया था और एक को गंभीर रूप से घायल किया था। इस हमले में पीएलजीए ने एक एसएलआर को जब्त किया।

उत्तर बस्तर–माड संयुक्त डिविजन

सत्तीघाट नाइट एंबुश

26 अप्रैल, 2013 को कांकेर जिले के ताडोकी गांव से पांच किमी की दूरी पर स्थित सत्तीघाट की तरफ गश्त पर निकले सीआरपीएफ की ई–20 कंपनी, जिला पुलिस एवं बीएसएफ के संयुक्त बलों पर रात तीन बजे पीएलजीए ने हमला किया था जिसमें ताडोकी एसआई, एक प्रधान आरक्षक एवं एक जवान मारे गये थे। एक और एसआई एवं तीन जवान घायल हो गये। तीन घंटों तक चले इस एंबुश में छापामारों ने एक एक–47 रायफल जब्त की।

मिलिशिया कार्रवाई

उत्तर बस्तर के प्रतापुर एरिया में पुलिस हमलों व प्रताड़ना के विरोध में जन मिलिशिया ने झाडकट्टा पुलिस कैंप की बिजली के तारों को दो बार काट दिया था। कैंप के नजदीक पोस्टर चस्पा करके पुलिस वालों को हैरान किया। इससे पुलिस आत्मरक्षा की स्थिति में पहुंच गयी। कुछ समय के लिए पुलिस ने गांवों पर हमले बंद किये थे। माओवादियों के संभावित हमले के डर से कैंप से 4 किलो मीटर की दूरी पर नाइट एंबुश बैठना शुरू किया था। इससे पुलिस गश्त भी अस्थायी तौर पर बंद हो गया और 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच शहीद सप्ताह को सफलतापूर्वक मनाया गया था। मिलिशिया का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था।

गढ़चिरोली डिविजन

बड़े झलिया नाइट एंबुश

17 अक्टूबर, 2013 को गढ़चिरोली जिले के धनोरा तहसील के ग्यारहपत्ती पुलिस थाने के दायरे के कुरकेडा एरिया में स्थित बड़े झलिया गांव के समीप पीएलजीए ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था जिसमें स्पेशल एक्शन ग्रूप (एसएजी) के 3 कमांडो मारे गये एवं 14 जवान घायल हुए।

दो जवानों का सफाया

13 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए आने वाले बीएसएफ एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बलों पर पीएलजीए ने फायरिंग की थी। इसमें दो जवान मारे गये थे जबकि एक घायल हुआ था।

अपार्च्युनिटी एंबुश

28 अक्टूबर, 2013 को गढ़चिरोली जिला, एटापल्ली सब डिविजन के इंदूर गांव के पास पीएलजीए के सेकंडरी बलों का घेराव करने वाले पुलिस बलों का छापामारों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया। इस मुठभेड़ के बाद अस्वस्थ हालत में गांव में मौजूद कामरेड रीता एवं उनकी मदद में गयी एक और कामरेड सरिता को पकड़कर, यातनाएं देकर पुलिस ने उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की थी। इनकी लाशों को लेकर घमंड के साथ वापस जाते समय पुलिस बलों पर रेकलमेट्टा के समीप पीएलजीए छापामारों ने अपार्च्युनिटी एंबुश करके सी–60 के एक कमांडो को मार गिराया था और दो को घायल किया था।

और दो घटनाएं

आलेवारा में 14 दिसंबर 2013 को रिले बूबी ट्रैप के विस्फोट में बम निरोधक दस्ते के तीन जवान एक एसआई घायल हो गये थे।

23 दिसंबर 2013 को गश्त पर निकली पुलिस पर रेंगावाई के निकट पीएलजीए की फायरिंग में सी–60 के दो कमांडो घायल हो गये थे।

पश्चिम बस्तर डिविजन

एक जवान को मार गिराया

29 दिसंबर, 2013 को बीजापुर जिले के मिरतूल बाजार में पीएलजीए की एक संयुक्त कार्रवाई टीम ने पुलिस पर हमला करके एक जवान को मार गिराया और एक को घायल किया। इस घटना में पीएलजीए ने पुलिस से दो इन्सास रायफल, कुछ कारतूस जब्त किया था।

बन्सीलाल गोटा को मौत की सजा

13 मई, 2013 को बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाने के दायरे के सोमनपल्ली गांव में रात 12.00 बजे सलवा जुडूम नेता बन्सीलाल गोटा को खत्म करके पीएलजीए की कार्रवाई टीम ने उसकी मौत की सजा पर अमल किया। बन्सीलाल गोटा चिन्नाराम गोटा का बड़ा भाई था जिसे पूर्व में ही सजा दी गयी थी। ★

फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आन्दोलन के प्रति दण्डकारण्य की क्रांतिकारी जनता के द्वारा जबर्दस्त समर्थन व भाईचारे का प्रदर्शन!

विश्व समाजवादी क्रांति के हिस्से के रूप में फिलिप्पीन्स में नव जनवादी क्रांति आगे बढ़ रही है। इस क्रांतिकारी आन्दोलन का दमन करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों की मदद से बेनिग्नो अक्विनो के नेतृत्व में फिलिप्पीनी शासक वर्ग एडी–चोटी एक कर रहे हैं। इसी के तहत 'ओप्लान बयानिहान' के नाम से एक क्रूर चौतरफा हमला जारी है। इस हमले से होने वाले नुकसानों को झेलते हुए ही वहां की पार्टी, नई जन सेना एवं संयुक्त मोर्चा इसे हराने वीरतापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के झंडे को बुलंद रखते हुए हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने फिलिप्पीनी क्रांतिकारी जनयुद्ध की मदद् में 22 से 28 अप्रैल, 2013 तक भाईचारा सप्ताह मनाने तमाम पार्टी कतारों, पीएलजीए, जन संगठनों व क्रांतिकारी जनताना सरकारों का आव्हान किया था। पार्टी ने अपने आव्हान में कहा था कि इस अवसर पर जनता के बीच में फिलिप्पीनी क्रांतिकारी जनयुद्ध के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार करते हुए उसके प्रति देशव्यापी समर्थन हासिल किया जाए एवं उसके ऊपर जारी क्रूर दमन अभियान के खिलाफ जन विरोध को संगठित किया जाए। केंद्रीय कमेटी के इस आव्हान को सफल बनाने के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसी के अंतर्गत दण्डकारण्य के सभी डिविजनों में एक सप्ताह तक कई आयोजन हुए। इस मौके पर सीसी के द्वारा जारी बुकलेट का अध्ययन करके पार्टी कतारों ने फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में अपनी समझदारी को बढ़ाया। दक्षिण बस्तर डिविजन के कोण्टा एरिया में पार्टी कतारों को फिलिप्पीनी जन युद्ध पर दो दिन राजनीतिक कक्षाओं का आयोजन किया गया था। अध्ययन व राजनीतिक कक्षाओं के जरिए जो समझदारी बनी थी, उससे जनता को अवगत कराया गया था। गांवों में भूमकाल बैठकों को आयोजित करके विस्तृत पैमाने पर प्रचार किया गया था। जन संगठनों खासकर सीएनएम के नेतृत्व में प्रचार दस्तों ने जनता के बीच व्यापक प्रचार किया। गांवों से लेकर विकासखंड व कुछ जिला केंद्रों में भी पोस्टर्स चस्पा किये गये। पर्चे बांटे गये एवं बैनर बांधे गये। गांव, एरिया स्तर पर बड़े पैमाने पर आमसभाएं आयोजित की गयी थी। इन सभाओं के जरिए दण्डकारण्य की जनता आगे बढ़ते फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में, उस पर जारी फासीवादी दमन के बारे में जान गयी। यहां के क्रांतिकारी आन्दोलन के तहत हासिल उपलब्धियों व यहां जारी ऑपरेशन ग्रीनहंट के चौतरफा हमलों से तुलना करते हुए फिलिप्पीनी आन्दोलन को समझने की कोशिश की गयी। 22 से 28 अप्रैल तक आयोजित भाईचारा सप्ताह के आयोजनों के जरिए दण्डकारण्य की जनता ने फिलिप्पीनी जनता पर जारी दमन का बुलंद आवाज के साथ विरोध किया, उसकी निंदा की एवं वहां की जनता के प्रति अपना समर्थन व भाईचारा प्रकट किया। उसने यह विश्वास व आशा व्यक्त की कि फासीवादी दमन को परास्त करते हुए फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आन्दोलन जरूर आगे बढ़ेगा। ★

जोन में भूमि समतलीकरण अभियान सफल

दण्डकारण्य की जनता की उत्पादन प्रणाली में विकासोन्मुख बदलाव लाने के तहत जोन जनताना सरकार तैयारी कमेटी ने हर साल जनवरी–फरवरी महीनों में भूमिसमतलीकरण अभियान को संचालित करने का 2011 में प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव के मुताबिक 2011 से हर साल अभियान चलाया जा रहा है। जनवरी–फरवरी, 2013 में भी पार्टी के मार्गदर्शन में क्रांतिकारी जनताना सरकारों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया था। जोन भर में दसियों हजार लोगों ने जोशो–खरोश के साथ इस अभियान में शामिल होकर इसे सफल बनाया। हजारों एकड़ जमीन का समतलीकरण किया। इस अभियान में क्रांतिकारी जन संगठनों ने अहम् भूमिका निभाई। पीएलजीए ने भी इस अभियान में जनता के साथ मिलकर काम किया एवं सुरक्षा प्रदान की।

उत्तर बस्तर–माड़ संयुक्त डिविजन

संयुक्त डिविजन में भूमि समतलीकरण अभियान 21 जनवरी से 10 फरवरी, 2013 के बीच संचालित किया गया था। कुछेक जगहों में जहां तय समय तक काम पूरा नहीं हुआ था, मार्च महीने तक काम जारी रहा। 10 फरवरी को सभी पंचायत स्तर की क्रांतिकारी जनताना सरकारों के नेतृत्व में भूमकाल दिवस मनाया गया था। 10 से 20 फरवरी के बीच भूमि समतलीकरण की समीक्षा की गयी थी।

भूमि समतलीकरण शुरू करने के पहले डिविजन में अलग–अलग स्तर पर वर्कशॉप आयोजित करके अभियान की ठोस योजना बनायी गयी थी। इस योजना के मुताबिक शहीद योद्धाओं के परिजनों के लिए 4 दिन, जेल बंदी कामरेडों के परिवारजनों के लिए 4 दिन, पीएलजीए योद्धाओं के परिवारजनों के लिए 4 दिन, गरीब परिवारों के लिए 4 दिन, मध्यम किसान परिवारों के लिए 3 दिन, धनी किसान के परिवारों के लिए 2 दिन इस तरह पूरे 21 दिन काम करके हजारों एकड़ जमीन का समतलीकरण किया गया था। इस अभियान के दौरान 8 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी दी गयी थी। हर घर से एक व्यक्ति के हिसाब से अभियान में शामिल हुए थे। अधिकांश पंचायतों में जनता अपने–अपने घरों में खाना खाकर काम करने गये थे। कुछ पंचायतों में काम की जगह में ही सामूहिक रूप से खाना बनाकर खाये थे। अभियान में पार्टी, जन संगठन, क्रांतिकारी जनताना सरकार, पीएलजीए सभी शामिल हुए। पीएलजीए के शामिल होने से जनता के बीच में अच्छा असर पड़ा।

इस अभियान को विफल करने पुलिस ने नाकाम कोशिश की। डराना–धमकाना, हमले करना, गिरफ्तार करना आदि हथकंडे अपनाकर दहशत पैदा करने की भरपूर कोशिश की गयी। लेकिन 24 घंटे पेट्रोलिंग, रेक्की के जरिए पीएलजीए ने इस अभियान को सफल बनाने दिन–रात सुरक्षा प्रदान की। काम की जगह पर गीत, नृत्य, परंपरागत वाद्य यंत्रों के जरिए कई सांस्कृतिक आयोजन किये गये।

पूर्व बस्तर डिविजन

पूर्व बस्तर के कुवानार एरिया में दो वर्कशॉप आयोजित करके भूमि समतलीकरण अभियान की ठोस योजना बनाकर उस पर अमल किया गया था। केशकल एरिया में जनताना सरकार वर्कशॉप के ऊपर पुलिस हमला हुआ था। एरिया में लगातार पुलिस गश्त अभियानों, गांवों पर हमलों, अवैध गिरफ्तारियों की वजह से भूमि समतलीकरण अभियान सफल नहीं हो सका था। सिर्फ एक आरपीसी इलाके में 30 एकड़ जमीन का समतलीकरण हुआ था।

कुवानार में भी दुश्मन ने इस अभियान को विफल करने के लिए लगातार गांवों पर हमले किये लेकिन पीएलजीए की सुरक्षा में उसके दमन अभियान को विफल करते हुए भूमि समतलीकरण अभियान को जनता ने सफल बनाया था। एरिया में 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक अभियान चला। कहीं–कहीं 20 फरवरी तक भी काम चला। इस अभियान के तहत हर आरपीसी में पूरे 20 दिन काम किया गया था।

पुलिस, अर्ध–सैनिक बल इस अभियान के दौरान ही गांवों पर हमले करके 12 जन को गिरफ्तार करके ले गये थे। भूमि समतलीकरण काम में शामिल होते हुए ही संबंधित गांवों की जनता थाने जाकर गिरफ्तार 12 में से 10 लोगों को छुड़ाकर लायी थी।

अधिकांश लोग भूमि समतलीकरण अभियान में अपने–अपने घरों में खाना खाते हुए ही शामिल हुए थे। बेहद् गरीब लोगों को ही चावल उपलब्ध कराया गया था। इस अभियान के तहत पूरे एरिया में 214 टीमों ने काम किया था। इस अभियान में 3,420 महिलाएं 4,542 पुरूष, 410 बालिका, 882 बालक, 119 छात्र–छात्राएं, 31 गुरूजी कुल 9,404 लोग शामिल हुए। कुल कार्य दिवस 1,81,300 थे। इस अभियान के साथ–साथ 60 जन डॉक्टरों ने 2,250 लोगों का इलाज भी किया था। जीआरडी, मिलिशिया प्लाटून, सेकंडरी व मेन फोर्स की सुरक्षा में पूरे एरिया में कुल 2,128 एकड़ जमीन का समतलीकरण हुआ। इसमें गरीब किसानों की 987 एकड़, धनी किसानों की 205 एकड़, पीएलजीए योद्धाओं की 79 एकड़, जेल बंदियों के परिवारों की 104 एकड़, मध्यम किसानों की 513 एकड़, शहीद योद्धाओं के परिवारों की 104 एकड़ जमीन का समतलीकरण किया गया था। भूमि हीन गरीब परिवारों को

अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ मना शहीद सप्ताह

जोन भर में हर साल की तरह अमर शहीदों को याद करते हुए 28 जुलाई से 3 अगस्त 2013 के बीच शहीद सप्ताह मनाया गया। सभी डिविजनों में इस मौके पर पर्चे, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन आदि के जरिए शहीदों के बलिदानों के बारे में, उनकी महानता के बारे में जनता के बीच व्यापक प्रचार किया गया। पिछले साल भर में शहीद हुए कामरेडों की याद में कई नये स्मारकों का निर्माण किया गया था और पुराने स्मारकों का रंग–रोगन किया गया था। लाल झंडों, बैनरों, व तोरणों के साथ अलंकृत किया गया। कुछ जगहों पर अस्थायी स्मारकों का निर्माण किया गया था। गांव, पंचायत व एरिया स्तर में जुलूस निकाले गये। आमसभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में बड़े पैमाने पर लोग शामिल होकर शहीदों की जीवनियों से परिचित हुए। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये। उनकी जीवनियों से प्रेरणा लेकर उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।

दक्षिण गढ़चिरोली डिविजन

डिविजन में इस मौके पर कई आयोजन हुए। चादगांव एरिया के 5 आरपीसियों के दायरे में दो जगह आम सभाएं आयोजित हुई। एक जगह पांच फूट व दूसरी जगह 7 फूट के स्मारक निर्मित किये गये। दोनों सभाओं में 18 गांवों की 550 जनता शामिल हुई।

इसी इलाके के और पांच आरपीसियों के दायरे के 20 गांवों की जनता ने एक आमसभा का आयोजन किया था। यहां 15 फूट के ऊंचा स्मारक का निर्माण किया गया था। करीब 500 लोग इसमें शामिल हुए। इनके अलावा एरिया में कई जगह गांव व आरपीसी स्तर पर सभाएं हुई। ऐसी सभाओं में कुल 1700 लोग शामिल हुए और अपने प्रिय शहीदों को श्रद्धांजलि दिये।

पेरिमिलि एरिया में कई प्रचार दस्ते गठित हुए। 500 पोस्टर्स, 20 बैनर, 600 पर्चों के साथ इन दस्तों ने जनता के बीच प्रचार किया। स्मारकों का रंग–रोगन किया गया। कुल छह जगहों में आमसभाएं आयोजित की गयी। इन सभाओं में शामिल 130 महिला समेत कुल 1100 लोगों ने अपने शहीद नेताओं को याद किया।

सिरोंचा एरिया में 1000 पर्चे, 500 पोस्टर, 40 बैनरों के साथ प्रचार किया गया।

उत्तर गढ़चिरोली डिविजन

टिप्रागढ़ एरिया में पिछले साल भर में शहीद हुए कामरेडों की स्मृति में कई जगह नये स्मारक बनाये गये। बैनर, पोस्टर, पर्चों के साथ प्रचार किया गया था। छह जगहों में स्मारक सभाओं का आयोजन किया गया। इन स्मारक सभाओं में 350 महिलाओं समेत कुल 1000 जनता शामिल हुई।

कसनसूर एरिया में सात जगहों में स्मारक सभाएं आयोजित हुई। तीव्र दमन के बीच ही तीन जगहों पर स्मारकों का निर्माण किया गया। 500 पर्चे, 100 पोस्टर, 14 बैनरों के साथ प्रचार चलाया गया। इन सभाओं में 1000 महिलाओं सहित कुल 4000 से ज्यादा लोग भाग लिए। शहीदों की यादगार सभाओं व स्मारकों की सुरक्षा में तैनात मिलिशिया के साथ सी–60 कमांडों बलों की 29 जुलाई को मुठभेड़ हुई थी।

उत्तर बस्तर–माड़ संयुक्त डिविजन

डिविजन के चार एरियाओं में प्रचार के लिए प्रचार दस्तों का गठन किया गया था। इन दस्तों ने जनता के बीच पर्चा, पोस्टर, बैनर, जूलूस व सभाओं के जरिए विस्तृत प्रचार किया। इंद्रावति एरिया में आयोजित सभाओं में छह हजार महिलाएं एवं दस हजार पुरूषों ने भाग लिया। रावघाट इलाके में प्रचार, सभाओं के साथ–साथ दुश्मन के द्वारा ध्वस्त किये गये स्मारकों का पुनर्निर्माण किया गया था। शहीद सप्ताह को विफल बनाने के दुश्मन के तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए पंचायत स्तर पर कई सभाओं का सफल आयोजन किया गया था। पांच आरपीसियों में आयोजित इन सभाओं में सभी तबकों की ढ़ाई हजार जनता शामिल हुई। डिविजन के जन संगठनों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(बाकी डिविजनों से शहीद सप्ताह–2013 की ठोस रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं होने के कारण इस अंक में प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं।) ★

समतलीकरण करके 106 एकड़ जमीन बांटी गयी थी। कुल 208 मेड़ बनाये गये थे। ऐसे गांवों जहां आरपीसी नहीं है, में भी भूमि समतलीकरण अभियान चलाया गया था।

इस पूरे अभियान के लिए 5 लाख 20 हजार रुपये खर्च हुए। इस अभियान को जनता ने क्रांतिकारी उत्साह के साथ सफल बनाया। सामूहिकता, व श्रमदान के साथ सफल इस अभियान का एरिया की जनता पर जबर्दस्त असर रहा। इस अभियान के दौरान जितनी जमीन का समतलीकरण किया गया था, उसके लिए शोषक–शासक वर्गों की सरकारी भूमि समतलीकरण दर के मुताबिक 8 करोड़ रूपये से भी ज्यादा खर्च होता। लेकिन जनता की मजबूत एकता, क्रांतिकारी चेतना व जोश, सामूहिकता व श्रमदान के जरिए जो काम होता है, वह बेशक, लाजवाब होता है। ★

जन प्रतिरोध

दक्षिण बस्तर डिविजन

चिंतागुफा थाने का घेराव

2013 सितंबर 1 से 3 तारीख के बीच एरिया डॉमिनेशन के नाम पर चलाये गये संयुक्त ऑपरेशन के तहत दक्षिण बस्तर डिविजन के कोण्टा/एरिया के बोट्टेम, कोलाईगुडा, डब्बा कोण्टा, पिड़मेल गांवों पर पुलिस हमले हुए। इस में चिंतागुफा, कांकेरलंका, पोलम्पल्ली, एर्राबोरु, विंजरम, गोरखा, बेज्जि आदि पुलिस थानो कैंपों के सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस के बल शामिल थे। हमेशा की तरह इन बलों ने गांवों–घरों में घुसकर मनमाफिक जनता की संपत्ति को लूट लिया था। 15 हजार रुपये, पुराने सिक्के, सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, चाकू, छूरे, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, सहित टार्च लाइट, तेल, साबून, तंबाकू, मुर्गे, बकरी, बतख ही नहीं आखिर सूखा मछली, सूखा मांस और चड्डी, बनियन तक सब कुछ लूटकर ले गये।

अपनी गाड़ी कमाई को लूटने वाले पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों पर गुस्से व नफरत से लैस 11 गांवों की जनता गोलबंद होकर चिंतगुफा थाने का घेराव किया था। बिना किसी डर के थाने के अंदर घुसकर लूटी गयी संपत्ति की मांग करते हुए पुलिस करतूत का कड़ा विरोध किया था। इस दौरान पुलिस के साथ झूमा–झटकी भी हुई। इस विरोध–प्रदर्शन में महिला, पुरूष मिलाकर कुल 650 लोग शामिल हुए थे।

महिलाएं गिरफ्तार ग्रामीणों को छुड़ा लाई

2,3 सितंबर, 2013 को भैरमगढ, सारकेनगुडा की पुलिस कोरसागूडेम, औटम के बीच के जंगल के टीलों के ऊपर से होते हुए गोट्टोड गांव में आयी थी। वहां से वापस जाते समय तर्रेम के तीन ग्रामीण किसानों को गिरफ्तार करके ले गयी थी। गांव की महिलाएं भैरमगढ़ जाकर अपने प्रतिरोध के बलबूते तीनों को छुड़ाकर लायी थी।

मिनपा की महिलाओं का प्रतिरोध

17 अगस्त, 2013 को चिंतागुफा, बुर्कापाड़ की पुलिस ने मिलकर मिनपा गांव का घेराव किया था। तीन ग्रामीणों को गिरफ्तार करके चिंतागुफा थाना ले गयी थी। गांव की महिलाएं जमा होकर थाना जाकर पुलिस के साथ लड़कर तीनों को छुड़ाकर लायी।

उत्तर बस्तर–माड संयुक्त डिविजन

5 अगस्त को नारायणपुर एवं एड्का से गश्त पर निकली पुलिस कोरोहबेडा के खेतों से जैनीबाई कौडो एवं किसकोडो की पुनाईबाई को गिरफ्तार करके नारायणपुर ले गयी थी। गिरफ्तारी की जगह से ही दोनों गांवों की महिलाएं गिरफ्तार महिलाओं की रिहाई के लिए पुलिस के पीछे लगी थी। गिरफ्तार महिलाओं को न छोड़ते देख सारी महिलाएं काम–धाम छोड़कर नारायणपुर गयी थी। वहां उनकी जिद एवं हिम्मत के सामने झुककर पुनाईबाई एवं जैनीबाई को तुरंत रिहा करना पड़ा था। दोनों गिरफ्तार महिलाओं को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर साथ लेकर लौटी, संघर्षरत महिलाएं।

★

विगत 20 सालों से हमारी पार्टी हर दिन जनता को गोलबंद कर रही है। विगत 12 सालों से हर दिन जन दिशा के बारे में बता रही है। हम लोगों ने हमेशा जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करने पर आधारित होकर ही, प्रत्येक का सहयोग लेते हुए ही क्रांतिकारी आन्दोलन का संचालन किया। कुछ लोगों के द्वारा आदेश जारी करने के तरीके का विरोध किया। अभी भी कुछ कामरेडों की गतिविधियां पूरी तरह जन दिशा पर आधारित नहीं हैं। वे अभी भी सिर्फ कुछ ही लोगों पर निर्भर करके अपना कामकाज चला रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे जो भी करते हैं उसे उस जनता जिसका वे नेतृत्व कर रहे हैं, को समझाने के लिए सदा विमुख रहते हैं। उस जनता जिसका वे नेतृत्व कर रहे हैं की सृजनात्मक शक्ति का क्यों, कैसे इस्तेमाल करना है, यह नहीं समझते हैं। ये कामरेड मनोगतवादी ढंग से यह आशा करते हैं कि हर एक व्यक्ति काम में भागीदार बने। लेकिन वे लोगों को यह नहीं समझाते कि उस काम को क्यों और कैसे करना है। जब समस्या ऐसी है तब कोई भी यह कैसे सोच सकता है कि काम आगे बढ़ेगा और समस्या का सही ढंग से हल होगा। इस समस्या का हल करना है तो बुनियादी तौर पर जन दिशा से संबंधित सैद्धांतिक शिक्षा से लैस करना होगा। उसी मौके पर इन कामरेडों को कामकाज के ठोस तरीके जरूर सिखाने चाहिए।

कामरेड माओ

तेलंगाणा की उत्पीड़ित जनता के प्यारे नेता कॉमरेड् आकुला भूमय्या अमर रहे!

तेलंगाना प्रजाफ्रंट के अध्यक्ष कामरेड आकुला भूमय्या की शासक वर्गों ने क्रूरतापूर्वक हत्या की। 24 दिसंबर 2013 को आन्ध्रप्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में एक किताब के विमोचन के अवसर पर आयोजित सभा में शामिल होकर उसी शहर में स्थित अपने घर लौटते समय रात करीबन साढ़े नौ बजे एक टिप्पर के साथ भिंडत में घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। यह योजनाबद्ध तरीके से करायी गयी भिंडत थी। इस जघन्य हत्या को दुर्घटना का रूप देने की सरकारी कोशिशों के बावजूद यह पर्दाफाश हो गया कि सरकार के दिशा–निर्देश पर एसआईबी ने यह साजिश रची थी। लंबे समय से पीड़ित जनता के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़े होकर अविराम संघर्ष करने के चलते ही कामरेड आकुला भूमय्या की शोषक शासक वर्गों ने बलि चढ़ायी। वे अपने पीछे पत्नी एवं तीन बेटियों के भरे–पूरे परिवार को छोड़ गये।

कॉमरेड् आकुला भूमय्या करीमनगर जो कि क्रांतिकारी आन्दोलनों की जन्म स्थली है, के जूलापल्ली मंडल के काचापुर गांव में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे।

वे छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। वे 1969 के पृथक तेलंगाना आन्दोलन में जुझारूपन के साथ भाग लिए। जिले के छात्र नेता की हैसियत से उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व किया। जब से वे उस आन्दोलन में भाग लेना आरंभ किया था, तभी से तेलंगाना के इतिहास एवं विद्रोहों के बारे में स्पष्ट समझदारी को विकसित करने लगे थे। उसके तुरंत बाद नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम के सशस्त्र किसान संघर्ष आंधी बनकर करीमनगर, जगित्याल पहुंच गये थे। तब कॉमरेड् भूमय्या क्रांतिकारी आन्दोलन का हिस्सा बनकर सामंतवादी विरोधी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसी संघर्ष के तहत एक हत्या के मामले में वे कुछ समय तक जेल में भी रहे। उसके बाद वे लंबे समय तक शिक्षक संगठनों में काम करते रहे। उस समय शिक्षकों के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करते रहे। तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश में सक्रिय आन्ध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन (एपीटीएफ) का तेलंगाना में विस्तार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। एपीटीएफ को तेलंगाना में मजबूत करने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। इस कार्य में वे तेलंगाना के सभी जिलों का व्यापक दौरा करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने शिक्षकों में व्यापक पैमाने पर प्रगतिशील व क्रांतिकारी विचारों को फैलाने की कोशिश की।

1985 में तत्कालीन भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) ने पेद्दापल्ली के डीएसपी बुच्चि रेड्डी को मौत के घाट उतारा था। उसके तुरंत बाद पुलिस गुण्डों ने एपीसीएलसी के नेता कॉमरेड् जाफा लक्ष्मा रेड्डी की हत्या की थी। उसके बाद 1986 में जिला एसपी ने करीमनगर टूटाउन के एसआई के द्वारा कॉमरेड् भूमय्या को यह धमकी दिलायी थी कि यदि जिले के किसी पुलिस अधिकारी पर नक्सलवादी कार्रवाई करते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भूमय्या को मार डाला जायेगा। साथ में यह भी कहा गया कि भूमय्या पार्टी सूत्रों को संदेश भेजें कि वह पुलिस पर कार्रवाई न करें। कॉमरेड् भूमय्या ने पुलिस की इस धमकी की न केवल अवहेलना की बल्कि कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने अपने कामकाज को जारी रखा। ऐसी धमकियों से वे कभी नहीं रुके। अब यही समझना होगा कि 1986 की पुलिसिया धमकी 2013 तक अमल में रही और आखिरकार राज्य ने अपनी जनविरोधी नीतियों का कड़ा विरोध करने वाली, उनका पर्दाफाश करते हुए जनता को जागरूक करने वाली एक बुलंद आवाज को दबाकर यह भ्रम पाल रही है कि उसने उस बुलंद आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

तेलंगाना के दूसरी दशा के आन्दोलन में वारंगल घोषणा के समय से कॉमरेड् भूमय्या उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते आये। 1997 में पृथक जनवादी तेलंगाना राज्य हासिल करने के उद्देश्य से जब तेलंगाना जनसभा का गठन हुआ था तब वे उसके अध्यक्ष बन गये थे। इस संगठन ने तेलंगाना के हजारों गांवों में प्रचार आन्दोलन के जरिए पृथक राज्य के गठन की आवश्यकता से लोगों को अवगत कराया। इस संगठन पर विश्व बैंक के पिट्ठू चंद्रबाबू नायडू ने भयानक दमन अमल किया था और इस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे कॉमरेड्स आइलन्ना, बेल्लि ललिता, चंद्रशेखर, नल्ला वसंत, सुदर्शन आदि की

बर्बरतापूर्वक हत्या करायी। कॉमरेड् भूमय्या की भी हत्या करने की कई साजिशें रची गयी। इस क्रम में उनके गांव के पुराने दुश्मन के हाथों उनकी हत्या करवाने की कोशिश भी गयी जो कि सफल नहीं हुआ था।

दूसरी दशा के आन्दोलन के दौरान कॉमरेड् भूमय्या ने तेलंगाना जन सभा, तेलंगाना संयुक्त कार्यचरण संगठन एवं तेलंगाना प्रजा फ्रंट संस्थाओं का नेतृत्व किया। इस तरह तेलंगाना आन्दोलन के लिए उन्होंने अनमोल सेवाएं प्रदान की। वे तेलंगाना आन्दोलन का जब का तब, दूरदर्शिता के साथ दिशा–निर्देशन देते आये। अपने राजनीतिक अनुभव व ज्ञान के साथ हर विषय पर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के सैद्धांतिक रोशनी में सही पक्ष लेते हुए जनता के साथ डटे रहे। अपनी वाक्पटिमा से सरकार की जन विरोधी नीतियों का भांडाफोड़ करते थे। मार्क्सवाद–लेनिनवाद– माओवाद के सैद्धांतिक समझदारी के साथ राष्ट्रीयताओं के संघर्षों का संश्लेषण करते हुए इतिहास व राजनीति के साथ उसे जोड़कर पृथक जनवादी तेलंगाणा आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। विगत 45 सालों से पृथक जनवादी तेलंगाना राज्य के लिए वे समझौताविहीन संघर्ष करते रहे। ठीक इसी कारण से वे शोषक–शासक वर्गों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। लंबे समय से पृथक तेलंगाना राज्य के लिए जारी संघर्ष एवं जनता की जनवादी आकांक्षाओं को लौह बूटों तले रौंदते आये शासक वर्ग आखिरकार जन आन्दोलन के सामने झुककर पृथक तेलंगाना राज्य गठन के लिए तैयार हो गये। यहां गौर करने वाली बात यह है कि शासक वर्गों ने केवल भौगोलिक विभाजन पर आधारित तेलंगाना को ही मंजूरी दी हैं। नव गठित तेलंगाना में अपने शोषण को यथावत, बेरोकटोक जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए तेलंगाना की पीड़ित जनता की यह आकांक्षा कि भौगोलिक तेलंगाना नहीं, जनवादी तेलंगाना चाहिए, शासकों के गले नहीं उतर रही है। इस आकांक्षा का नेतृत्व करने वाले कॉमरेड् भूमय्या एवं उनके जैसे और लोगों का उन्मूलन करके, तेलंगाना के पुनर्निर्माण में जनता की जनवादी आकांक्षाओं को दबाने शासक वर्गों ने साजिश रची। उसी के तहत हाल ही में महबूबनगर में मुनिपेंटा वेंकटेश्वरलू, अमर शहीदों के बंधु–मित्र संगठन के गौरवाध्यक्ष कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की शासक वर्गों ने हत्या की। इस तरह की हत्याओं के जरिए शासक वर्गों ने तेलंगाना की उत्पीड़ित जनता की जनवादी आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाली तमाम शक्तियों को एक चेतावनी जारी की।

पृथक तेलंगाना के गठन के मौके पर कॉमरेड् भूमय्या को खोना तेलंगाना के पुनर्निर्माण के लिए अपूरणीय क्षति है। पृथक जनवादी तेलंगाना के लिए जब संघर्ष शुरू हुआ था, तभी कॉमरेड् भूमय्या की हत्या की षड्यंत्र रचने वाली सरकार ने आखिर तेलंगाना के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका को रोकने के लिए उनकी हत्या करायी।

कॉमरेड् भूमय्या अच्छे वक्ता थे। विषय पर पकड़ के साथ, सही विश्लेषण के साथ वे श्रोताओं के दिमाग में विषय को सीधा–सपाट बैठाते थे। वे अच्छे शिक्षक थे। मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद पर एवं उसकी सैद्धांतिक रोशनी में विभिन्न विषयों पर आयोजित अध्ययन कक्षाओं में उन विषयों को सरलता से समझाते थे। वे अच्छे लेखक भी थे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का चीरफाड़ करते हुए इसे अर्ध–सामंती, अर्ध–औपनिवेशिक व साम्राज्यवादीपरस्त करार देकर सही आजादी एवं स्वावलंबन पर आधारित, संप्रभुता संपन्न नवजनवादी भारत के लिए आवश्यक 'वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली' पर उन्होंने अच्छी किताब लिखी। शिक्षा प्रणाली के अलावा तेलंगाना के मुद्दों पर व पृथक राज्य के आन्दोलन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उन्होंने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में कई लेख लिखे। कॉमरेड् भूमय्या स्पष्टवादी थे। बैठकों में वे अपने विचारों को खुल कर रखते थे। सामूहिक निर्णयों पर अमल करने के मामले में वे सख्त रहते थे।

शोषक–शासक वर्गों ने हालांकि उन्हें भौतिक रूप से तेलंगाना की जनता से दूर किया लेकिन लंबे समय से उन्होंने जिस संघर्ष स्फूर्ति के साथ तेलंगाना की पीड़ित जनता का मार्गदर्शन किया, उसे उनके साथी अपनायेंगे और जारी रखेंगे। यह साबित करेंगे कि हत्याओं के जरिए आन्दोलनों को रोका नहीं जा सकता है। ★

यदि जनता की सेवा करनी है, उनके हितों के अनुरूप व्यवहार करना है, उनके हितों को ठीक से समझना है तो हिरावल दस्ता यानी पार्टी को जनता के बीच में ही अपनी तमाम गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। बिना किसी अपवाद के उसमें से सभी प्रधान लोगों को आन्दोलन में गोलबंद करना चाहिए। हर मौके पर सावधानी से यह अवलोकन करते रहना चाहिए कि क्या जनता के साथ हमारे संबंध निष्पाक्षिक एवं जीवंत हैं। सिर्फ इस तरीके से ही हिरावल दस्ता सुशिक्षित हो सकता है। जनता को चेतनत कर सकता है। उनके हितों को अभिव्यक्त कर सकता है। उन्हें संगठित होने के बारे में सिखा सकता है। उनकी तमाम गतिविधियों को वर्गीय राजनीतिक दिशा के अनुरूप चेतनापूर्वक संचालित करने का दिशा–निर्देश दे सकता है।

–कामरेड़ लेनिन

(आखरी पेज से ...)

सबलेंद्र शुक्ल कर्मा के नाम पर गण्टि प्रसादम की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए अखबारों को एक बयान जारी हुआ था। झारखंड में पीएलजीए की एंबुश में मारा गया एसपी का नाम सबलेंद्र है। दरभा के झीरमघाटी हमले में विद्याचरण शुक्ल एवं महेंद्र कर्मा मारे गये थे। इसे समझने के लिए ज्यादा बुद्धिमानी की भी जरूरत नहीं है कि इन तीनों के नाम को जोड़कर दिया गया वक्तव्य दरअसल पुलिस की ही करामात थी।

इस तरह व्यक्तियों के उन्मूलन के जरिए शायद कुछ समय के लिए जनता को भयभीत कर सकते हैं, संस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन आन्दोलनों का सफाया कतई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक समस्याएं रहेंगी, दमन व उत्पीड़न रहेगा, तब तक जन आन्दोलन जन्म लेते रहेंगे, प्रतिरोध जारी रहेगा। शासकों की नित नयी जन विरोधी नीतियों के चलते दिन–ब–दिन जनता की समस्याएं व परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए संघर्ष के सिवाय जनता के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। दमन जितना भी बढ़े, जनता को संघर्ष के रास्ते में जाने से रोक नहीं सकता है। इस बात का सबूत यही है कि डराने, धमकाने, अड़चन पैदा करने के तमाम सरकारी हथकंडों को धत्ता बताकर बोब्बिलि में बड़े पैमाने पर जनता ने कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की अंतिम यात्रा में भाग लेकर उनके अधूरे आशय को पूरा करने के संकल्प के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कॉमरेड् प्रसादम की हत्या करने वाले राज्य ने उनकी स्मृति में किताब प्रकाशित न करने का फतवा जारी किया था। क्रांतिकारी लेखक संघ की सचिव वर लक्ष्मी को किताब प्रकाशित करने की सूरत में गोलियों की बौछार होने की धमकी भरा पत्र भेजा गया था। इतना ही नहीं, वरवर राव, हरगोपाल, चिलका चंद्रशेखर, पिनाकपानी, कल्याण राव जैसे लोगों की स्मृति में किताबें प्रकाशित करने के लिए जिंदा बचने कॉमरेड् वरलक्ष्मी को धमकाया गया था। यानी बिना कहे ही उपरोक्त सभी को मारने की चेतावनी दी गयी थी। इन धमकी–चमकियों को दरकिनार करके 'मैं हूं कामरेड' के नाम पर पुस्तक प्रकाशित करके जन संगठनों ने उनकी स्फूर्ति को जनता तक पहुंचा दिया।

कॉमरेड् गण्टि प्रसादम अविभाजित श्रीकाकुलम जिले के बलिजापेट मंडल के चाकरपल्ले गांव के मध्य वर्गीय परिवार में 1949 में पैदा हुए थे। बोब्बिलि शहर में नाना–नानी के यहां रहकर पढ़ाई की थी। 1970 में उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। उसी समय वे श्रीकाकुलम के किसान सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित हुए। बोब्बिलि शहर उस इलाके का पहला औद्योगिक केंद्र है। एक क्रांतिकारी की हैसियत से कॉमरेड् गण्टि प्रसादम का कामकाज मजदूर क्षेत्र से शुरू हुआ। 1977 तक वे उस शहर में एक महत्वपूर्ण मजदूर कार्यकर्ता बन गये थे। उन्होंने पहला कलासी (रेलवे गैंगमेन) संगठन का गठन किया था। वह ऐसा समय था जब नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम के किसान सशस्त्र संघर्षों ने धक्का खाया था और क्रांतिकारी शक्तियों को फिर से संगठित करने के प्रयास चल रहे थे। इन प्रयासों के तहत 1970 में गठित क्रांतिकारी लेखक संघ व 1972 में गठित जन नाट्य मंडली ने नक्सलबाड़ी की राजनीतिक चिंगारी को बुझने नहीं दिया। कॉमरेड् प्रसादम ने जिनकी साहित्य एवं कला क्षेत्रों में अभिरुचि थी, स्वाभाविक रूप से इन दोनों संगठनों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। मामिड़ि अप्पला सूरि जो कॉमरेड् चारू मजुमदार के अनुयायी थे, कॉमरेड् प्रसादम के नेता व राजनीतिक गुरू थे। उस समय अप्पला सूरि भाकपा (मा–ले) के नेता थे। कॉमरेड् चारू मजुमदार की शहादत के बाद भाकपा (मा–ले) विभाजन का शिकार हो गयी थी। विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क टूट गया था। इसके बावजूद अप्पला सूरि एवं कोंडापल्ली सीतारामय्या (केएस) ने मिलकर पार्टी को संचालित करने के प्रयास शुरू किये। इन प्रयासों के फलस्वरूप 1974 में भाकपा (मा–ले) सीओसी का गठन हुआ था।

सीओसी के नेतृत्व में बहुत कम समय में ही कॉमरेड् प्रसादम मजदूर क्षेत्र में सक्रिय नेता के रूप में विकसित हुए थे। साथ ही इन पर दमन भी बढ़ गया था। पुलिस व मिल मालिकों के हमले बढ़ गये थे। इससे आपातकाल में वे भूमिगत हो गये थे। इसी क्रम में 1977 में वे गिरफ्तार हो गये और जेल भेज दिये गये थे। जब कॉमरेड् गण्टि छूटकर बाहर आये तब तक अप्पला सूरि एवं केएस के बीच मतभेद बढ़ गये थे। सीओसी से अलग होकर केएस एवं उनके अनुयायी भाकपा (मा–ले) आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के नाम पर काम करने लगे थे। बाद में 1980 में केएस के नेतृत्व वाली पार्टी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) में तब्दील हो गयी। जबकि अप्पला सूरि के नेतृत्व वाली पार्टी का 1982 में भाकपा (मा–ले) पार्टी यूनिटी में विलय हो गया था।

कॉमरेड् प्रसादम पार्टी यूनिटी में ही काम करते रहे। इस दौरान वे बोब्बिलि में लोकप्रिय मजदूर नेता के रूप में विकसित हुए। हॉटल मजदूरों, शुगर मिल, जुट मिल के मजदूरों, हमालों आदि विभिन्न तरह के मजदूरों के करीबन 30 संगठनों की स्थापना करके इन सभी संगठनों की समन्वय समिति का भी कॉमरेड् गण्टि ने गठन किया था। कई मजदूर संघर्षों का नेतृत्व किया था। ऐतिहासिक नेल्लिमर्ला जूट मिल संघर्ष इनमें से ही एक था। पार्टी यूनिटी से संबंद्ध जन संगठन प्रगतिशील मजदूर संगठन, किसान–गरीब समिति, जन कला मंडलि के निर्माण व

संचालन में कॉमरेड् गण्टि ने अप्पल सूरि के दांये हाथ के रूप में काम किया था। उस पार्टी की मासिक पत्रिका 'चैतन्यम' (चेतना) के संचालन में भी उनकी प्रधान भूमिका थी। राजनीतिक, सैद्धांतिक व सांगठनिक क्षेत्रों में अच्छी पकड़ हासिल करने वाले कॉमरेड् प्रसादम क्रमशः पार्टी यूनिटी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में विकसित हुए थे।

अप्पला सूरि की मौत के एक साल बाद 1998 में पार्टी यूनिटी व पीपुल्सवार का विलय हो गया था। विलय के बाद वे भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य बने थे। बाद में उन्होंने राज्य कमेटी के मुखपत्र 'क्रांति' की जिम्मेदारी संभाली। राजनीतिक, सैद्धांतिक तौर पर गहरी समझ रखने वाले कॉमरेड् प्रसादम को अच्छी भाषा व शैली के साथ लेखन में कुशलता हासिल थी। 2005 में गिरफ्तार होते तक वे क्रांति पत्रिका की जिम्मेदारी में थे। पत्रिका के साथ–साथ कई किताबों का प्रकाशन कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राज्य के विभिन्न तबकों की जनता को संगठित करने के लिए आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के मार्गदर्शन में तीन कामरेडों के साथ गठित समन्वय कमेटी का कॉमरेड् गण्टि प्रसादम ने नेतृत्व किया। 'क्रांति' की जिम्मेदारी को निभाते हुए ही उन्होंने समन्वय कमेटी का मार्गदर्शन किया था।

2004 में आन्ध्रप्रदेश सरकार के साथ वार्ता के दौरान नियम–कायदे बनाने में, विभिन्न मुद्दों पर किये गये अध्ययन में, विभिन्न तबकों की जनता के साथ हुई बात चीत में कॉमरेड् प्रसादम की मुख्य भूमिका रही। वार्ता के बाद 2005 में जब वे औरंगाबाद में क्रांतिकारी लेखक संघ के नेताओं की बैठक ले रहे थे, तब गिरफ्तार हो गये थे।

2006 में अपनी रिहाई के बाद से वे पार्टी निर्णय के मुताबिक खुले जनजीवन में रहते हुए क्रांतिकारी कामकाज को जारी रखे हुए थे। अमर शहीदों के बंधु–मित्रों की कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आन्ध्रप्रदेश में राज्य सत्ता के द्वारा मनमर्जी ढंग से क्रांतिकारियों की हत्या करते हुए शहीदों के परिवारजनों को उनकी लाशें तक न देने के फासीवादी माहौल के परिप्रेक्ष्य में इस कमेटी का गठन हुआ था। कॉमरेड् प्रसादम के छोटे भाई कॉमरेड् गण्टि सुब्रह्मण्यम (रमेश, राजन्ना) अपनी शहादत के समय भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की उत्तर तटवर्तीय रीजनल कमेटी के सदस्य थे। उस शहीद के भाई एवं कई अन्य शहीदों के मित्र की हैसियत से कॉमरेड् प्रसादम ने वह जिम्मेदारी सम्भाली थी। उस जिम्मेदारी में रहते हुए उन्होंने राज्य में हुई तमाम फर्जी मुठभेड़ों का भांडाफोड़ किया। घटना स्थलों का दौरा किया। कई शहीदों के शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई। वे शहीदों के परिजनों से मुलाकात करते थे, उनका हालचाल की जानकारी लेते थे। बाद में आरडीएफ (क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा) के अध्यक्ष बने। राजनीतिक बंदियों की रिहाई कमेटी में भी वे सक्रिय थे। हालांकि वे इन संगठनों की ठोस व प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारियां निभा रहे थे लेकिन साथ ही सभी जन संगठनों के समन्वय का काम भी देख रहे थे। ग्रीनहंट के आतंकी माहौल के परिप्रेक्ष्य में तमाम क्रांतिकारी जन संगठनों के सक्रिय रूप से काम करने, ग्रीनहंट विरोधी कार्यक्रमों के आयोजन में उनका विशेष योगदान रहा। पृथक तेलंगाना के लिए विगत कुछ सालों से जो उग्र आन्दोलन चला, उसमें भी कॉमरेड् गण्टि की मेहनत थी। उस आन्दोलन में मौजूद गलत रूझानों को चिन्हित कराने में, आन्दोलन में भाग लेने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अवसरवाद की भर्त्सना करने में, पृथक जनवादी तेलंगाना की मांग को जोर–शोर से उठाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। साम्राज्यवादियों के हितों की पूर्ति के तहत जनता को विस्थापित करने वाली सरकारों की जन विरोधी नीतियों का खिलाफत करने में, विस्थापन विरोधी संघर्षों को संचालित करने में उनकी सराहनीय भूमिका रही। श्रीकाकुलम जिले में खासकर कोव्वाडा में कॉरपोरेट कंपनियों के विनाशकारी योजनाओं का प्रतिरोध करने वाले जन आन्दोलन का उन्होंने सक्रिय मार्गदर्शन दिया था। उतना ही नहीं, जन संगठनों में उत्पन्न गलत सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक रूझानों को सुधारने के लिए वे अविराम प्रयास करते रहे। संस्थाओं के दायरे को व्यापक बनाने सोच विचार करते थे। इस प्रयास में उन्होंने राज्य भर का दौरा किया था।

यह कहते हुए कि आन्ध्रप्रदेश को माओवादी विहीन राज्य में तब्दील किया गया है, अपनी बढ़ाई की ढींगे हांकने वाले एवं क्रांतिकारी आन्दोलन के सफाये में आन्ध्रप्रदेश को एक नमूने के रूप में प्रचारित करने वाले शासक वर्गों की आंखों की किरकिरी बन गये थे, कॉमरेड् प्रसादम। क्योंकि उनके नेतृत्व में तमाम जन संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। शासक वर्गों को यह भय सता रहा था कि जन संगठनों की बढ़ती गतिविधियों से जन चेतना बढ़ेगी और वह आन्ध्रप्रदेश में फिर से मजबूत क्रांतिकारी आन्दोलन में बदल जायेगी। इसीलिए फर्जी केसों में फंसाकर उन्हें जेल में बंद करने की साजिश की गयी। 2010 में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार करके ओडिशा राज्य की कोरापुट जेल में बंद किया गया था। जेल में भी वे आन्दोलन करते रहे। कोरापुट एवं मल्कानगिरी जेलों में जबरन बंद किये गये सभी आदिवासियों की निशर्त रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। फरवरी, 2011 में एओबी में पीएलजीए के छापामारों

ने जिलाधीश विनील कृष्णा को बंदी बनाकर कॉमरेड् प्रसादम सहित कई क्रांतिकारियों खासकर भोले–भाले आदिवासियों की रिहाई की मांग रखी थी। उस मौके पर कॉमरेड् प्रसादम की मध्यस्तों के साथ वार्ता हुई। उन्होंने जेल बंदियों के प्रति सरकार एवं जेल अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार का भांडाफोड़ किया था। इसके कुछ दिन बाद वे रिहा हो गये और क्रांतिकारी व्यवहार में फिर से शामिल हो गये थे।

कॉमरेड् प्रसादम अच्छे लेखक, अनुवादक, वक्ता, राजनीतिक शिक्षक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी। कई राजनीतिक व सैद्धांतिक विश्लेषणात्मक रचनाएं की। उनकी रचनाएं 'क्रांति' एवं अन्य कई पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। 'क्रांति' के लिए वे बेनाम लिखते थे जबकि उनकी कलम के कई नाम थे जिनका इस्तेमाल वे दीगर पत्रिकाओं के लिए करते थे। अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने कई अनुवाद किये। चाहे रचना हो या अनुवाद वे आसानी से और तेजी से करते थे। उनका भाषण धारा प्रवाह चलता था। कई मौकों पर उन्होंने कैडरों को राजनीतिक कक्षाओं में बढ़िया पढ़ाया था। वे मंच पर गीत गाते थे। छापामार कैंपों में घुंघरू बांधकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे।

कॉमरेड् प्रसादम सभी स्तरों की पार्टी कतारों के प्यारे थे। हमेशा उत्साह व उमंग के साथ रहते थे। हर पल कॉमरेडों के साथ बतियाते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए, हंसते, हंसाते रहते थे। उन्हें दिल की बीमारी थी। उसके बावजूद छापामार जीवन में युवा छापामारों के साथ टक्कर लेते हुए पानी व जलाऊ लकड़ी लाने, खाना बनाने जैसे समिष्ठि कार्यों में शामिल होते थे। कुल मिलाकर उनकी उपस्थिति से छापामार कैंपों में एक विशेष हलचल पैदा होती थी।

कॉमरेड् गण्टि प्रसादम अपने पीछे पत्नी एवं एक बेटे को छोड़ गये हैं। उनकी पत्नी सामान्य जन जीवन में रही। यद्यपि परिवार के प्रति असीम प्यार था उसके बावजूद वे परिवार से लंबी जुदाई को दृढ़संकल्प के साथ सहन करते थे जो कि भूमिगत जीवन में अनिवार्य है।

कुल मिलाकर 64 साल की जिंदगी में 40 साल से भी ज्यादा वे समाज के लिए जिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने जीवन को जनता के लिये समर्पित किया था। वे आजीवन राजनीतिक, सैद्धांतिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक एवं लेखन के क्षेत्र में विशेष योगदान देते रहे। ऑपरेशन ग्रीनहंट के चौतरफा हमले के परिप्रेक्ष्य में कॉमरेड् गण्टि प्रसादम जो सेवाएं दे रहे थे, वे अत्यंत मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक थी।

ऐसी स्थिति में उन्हें खोना क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। फिर भी लंबे समय से वे जिस क्रांतिकारी स्फूर्ति को चारों ओर बिखेर रहे थे, निश्चय ही वह जनता को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी, जनता में नयी ऊर्जा का संचार करेगी, क्रांतिकारी आन्दोलन की विजय की गारंटी प्रदान करेगी। ★

नारायणपुर जिले में पुलिस भर्ती अभियान विफल

शोषक–शासक वर्गों की जन विरोधी नीतियों के चलते राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारों की इसी फौज से शोषक–शासक वर्ग अपनी सेवा, सुरक्षा व गुलामी के लिए आवश्यक लोगों की पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों व सेना में भर्ती करते हैं। संघर्ष इलाकों के गरीब व मध्यम वर्गीय आदिवासी, गैर–आदिवासी युवाओं को नौकरी का लालच देकर भर्ती कर रहे हैं। साक्षात्कार के लिए एक महीने का मुफ्त प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यह उत्पीड़ित शोषित जनता के युवाओं के द्वारा अपनी ही उंगली से अपनी ही आंखे फोड़वाने की साजिश है। इसी के तहत मई महीने में पूरे राज्य भर में पुलिस भर्ती अभियान चलाया गया था। नारायणपुर जिले के माड़ इलाके में 6 से 24 मई के बीच एवं 25 मई से 31 मई के बीच प्रत्येक दिन एक–एक थाना, कैंप वाले बस्तियों–छोटे डोंगुर, डौला, झारा, बेनूर, भाटपाल, आदि में भर्ती रैलियां आयोजित करने का ऐलान किया गया था। माड–उत्तर बस्तर संयुक्त डिविजनल कमेटी एवं पूर्व बस्तर डिविजनल कमेटियों ने पुलिस भर्ती रैली के विरोध में विशेष प्रचार अभियान चलाया था। 25 मई को नारायणपुर एवं कोंडागांव जिलों के बंद का आव्हान किया गया था। बंद पूर्णतया सफल रहा। प्रचार के तहत बड़े पैमाने पर पर्चे बांटे गये। पोस्टर चस्पा किये गये। बैनर बांधे गये। गांवों में बैठकें आयोजित करके युवा वर्ग को पुलिस में भर्ती न होने की समझाइश दी गयी। मां–बाप एवं सगे संबंधियों को यह अवगत कराया गया कि वे अपने बच्चों को पुलिस में न भेजें। पुलिस में भर्ती होने का मतलब है, जनता का दुश्मन बनना। अपने ही अस्तित्व व आत्मसम्मान, जल–जंगल जमीन के लिए जारी जन संघर्षों के दमन के लिए रास्ता साफ करना, अपनों का दमन करने तैयार होना, शोषक–शासकों की सुरक्षा, सेवा व गुलामी करना। इस तरह के प्रचार आंदोलन से नारायणपूर जिला में प्रस्तावित भर्ती अभियान विफल हो गया था।

पीड़ित जनता के प्रिय नेता व अविश्रांत कम्युनिस्ट योद्धा कॉमरेड् गण्टि प्रसादम अमर रहे।

भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ नेता कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की केंद्र व आन्ध्रप्रदेश राज्य की सरकारों ने साजिशपूर्ण तरीके से 4 जुलाई 2013 को क्रूरतापूर्वक हत्या करवाई। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के तहत वे नेल्लूर शहर गये हुए थे। अस्पताल में भर्ती एक मरीज का हालचाल पूछकर वे बाहर आये थे कि अस्पताल परिसर में ही कॉमरेड् गण्टि प्रसादम पर तीन हत्यारों ने हमला किया था। एक हत्यारे ने तलवारनुमा हथियार से कॉमरेड् गण्टि के गर्दन पर वार किया था जबकि दूसरे हत्यारे ने बंदूक से तीन राउण्ड फायर की थी। इस जघन्य हमले के समय कॉमरेड् गण्टि के बगल में उनके दो साथी भी मौजूद थे। गर्दन पर वार, उदर व रीड़ की हड्डी में धंसी तीन गोलियों के चलते वे वहीं ढ़ेर हो गये थे। उनके साथियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों व अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने तुरंत इलाज शुरू किया था एवं दो ऑपरेशन भी किये लेकिन कॉमरेड् गण्टि को वे बचा नहीं सके। मृत्यु शय्या से उन्होंने यह घोषणा की थी कि हत्यारे उन्हें मार सकते हैं लेकिन उनकी स्फूर्ति को कभी नहीं। इस तरह वे सर्वोच्च बलिदान–शहादत की ऊंचाइयों को छूए।

कॉमरेड् गण्टि प्रसादम आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य के रूप में काम करते हुए 2005 में गिरफ्तार हुए थे। 2006 की आखिरी में वे रिहा हो गये थे। बाद में वे खुले जन जीवन में रहते हुए क्रांतिकारी आन्दोलन की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। शहादत के समय वे अमर शहीदों के बंधु–मित्रों की कमेटी के अध्यक्ष, आरडीएफ (क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा) के उपाध्यक्ष एवं सीआरपीपी (राजनीतिक बंदियों की रिहाई कमेटी) के नेता के रूप में जिम्मेदारियां निभा रहे थे। साथ ही कई जन संगठनों के कामकाज का समन्वय कर रहे थे।

आन्ध्रप्रदेश के शासक वहां की क्रांतिकारी जनता व क्रांतिकारी आन्दोलन पर पाशविक दमन को अमल करने के लिए कुख्यात हैं। पार्टी के भूमिगत कॉमरेडों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करना, खुले जीवन में रहने वाले पार्टी कॉमरेडों व जन संगठनों के नेताओं की अज्ञात हत्यारों के आवरण में एवं हत्यारे गैंगों के जरिए हत्या करवाना वहां आम बात है। गोपि राजन्ना, डॉ.रामनाथम, जाफा लक्ष्मा रेड्डी, नर्रा प्रभाकर रेड्डी, पुरुषोत्तम, आजम अली आदि कई जन संगठन नेताओं की जिस जघन्य तरीके से हत्या की गयी, उसी तरीके में कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की भी हत्या की गयी।

आज समूचे देश में ऑपरेशन ग्रीनहंट जारी है। हालांकि शासक वर्ग बड़े पैमाने पर यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह हमला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने माओवादियों पर है लेकिन देश की जनता इस बात से अवगत है कि यह दरअसल जनता पर थोपा गया नाजायज युद्ध है और इसका मकसद है, देश के संसाधनों को दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना। इस अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ देश व्यापी विरोध की लहर उत्पन्न हो रही है। इसमें आन्ध्रप्रदेश की जनता अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। खासकर हाल के दिनों में दण्डकारण्य में शोषक–शासक वर्गों के सशस्त्र बलों के द्वारा जनता पर जारी दमन व नरसंहारों के खिलाफ आन्ध्रप्रदेश की जनता, विभिन्न जन संगठन एवं प्रगतिशील बुद्धि जीवियों ने आवाज बुलंद की। आम जनता का कत्लेआम करके उन्हें माओवादी घोषित करने के छत्तीसगढ़ शासकों व पुलिस अधिकारियों के जनविरोधी कारनामों का पर्दाफाश करते हुए सच्चाई को जनता के सामने ला रहे हैं। ऑपरेशन ग्रीनहंट के विरोध में एवं क्रांतिकारी आन्दोलन के समर्थन में सभा–सम्मेलनों, संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। यह शोषक–शासकों के गले नहीं उतर रहा है। इसीलिए जनता, जन संगठनों के कार्यकर्ताओं व नेताओं को आतंकित करने एवं जन संगठनों की गतिविधियों को बाधित करने के लिए ही उन्होंने कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की हत्या की। यह शासकों के द्वारा जनपक्षधर कार्यकर्ताओं व नेताओं की हत्या की परंपरा का ही हिस्सा है।

कॉमरेड् गण्टि प्रसादम की 4 जुलाई को हुई हत्या के चार दिन बाद 8 जुलाई को भाकपा (मा–ले) तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, झारखंड संयुक्त राज्य कमेटी की तरफ से

(शेष पेज 37 में ...)